सर्व शिक्षा अभियान

पर्सपेक्टिव प्लान

(2002-2007)

जनपद - फतेहपुर

अनुक्रमणिका

क्र. सं0	विवरण	पेज
अध्याय – 1	जनपद का परिचय	1 से 7
अध्याय – 2	जनपद का शैक्षिक परिदृश्य	8 से 27
अध्याय – 3	नियोजन प्रक्रिया	28 से 42
अध्याय – 4	सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य	43 से 48
अध्याय – 5	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	49 से 57
अध्याय – 6	पहुँच में विस्तार एवं औपचारिक विद्यालय	58 से 64
अध्याय – 7	शिक्षा की पंहुच का विस्तार शिक्षा गारण्टी योजना/ वैकल्पिक शिक्षा नवाचार शिक्षा योजना	65 से 77
अध्याय – 8	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम	78 से 96
अध्याय – 9	गुणवत्ता सम्वर्द्धन एवं अकादमिक क्षमताओं का विकास	67 से 132
अध्याय – 10	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	133 से 140
	• परियोजना लागत (फेजिंग सहित) – वर्ष 2002 – 2007	141 से 145
	• वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2003–2004	146 से 152

जनपद फतेहपुर
जनपद कानपुर
जनपद उन्नाव
जनपद रायबरेली
जनपद हमीरपुर
देवमई
मलवाँ
अमौली
खजुहा
फतेहपुर
भिटौरा
हसवाँ
असोथर
धाता

अध्याय – 1

जिले की पृष्ठभूमि

जनपद –फतेहपुर गंगा एवं यमुना नदियों से बने हुए दो–आब के मध्य बसा हुआ है इस जनपद के मध्य शहर से प्राचीन मुगल सड़क जो दिल्ली एवं कोलकाता को जोड़ती है, गुजरती है।

1.2 भौगोलिक परिदृश्य :

जिला फतेहपुर 25^0 – 26′ से 26^0 – 14′ उत्तरी अक्षांश और 80^0 – 13′ से 81^0 – 21′ देशान्तर के मध्य स्थित है। इस जनपद के पूर्व में कौशाम्बी, उत्तर में रायबरेली, पश्चिम में कानपुर तथा दक्षिण में जनपद बांदा स्थित है। गंगा एवं यमुना नदी से जनपद की उत्तरी एवं दक्षिणी सीमायें निर्धारित करती है। जबकि पश्चिम में पाण्डुनदी जनपद की सीमा निर्धारित करती है।

दो–आब में जनपद के बसे होने के कारण सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है।

1.9 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

राजपूतों के पतन के पश्चात् इस्लामी शासन के प्रारम्भ के कुछ कार्य व्यवधानों सहित सन् 1801 ई0 तक यह जनपद मुस्लिम शासकों के आधिपत्य में रहा कोट में बना किला सम्भवतः मोहम्मद गोरी के समय का है। हथगाम में जयन्द्र के समय का हाथी खाना है। गुलामवंश और खिलजीवंश के अवशेष कोट, कुटिया आदि ग्रामों से प्राप्त हुए है। अकबर के काल में यह भूभाग कड़ा और कोड़ा इनदो सरकारों में विभक्त था। कहा जाता है कि कोड़ा से मिला हुआ जहानाबाद शाहजहाँ की स्मृति में बसाया गया था। जनपद का खुजहा ग्राम वही ग्राम है जहां औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 1659 ई0 में दूरी कर अपनी विजय की स्मृति में 223 एकड़ में बादशाही बाग, 14

एकड़ में एक तालाब और 130 कमरों की एक सराय बनवाई। मुगलकालीन शिल्प के अनूठे अवशेष आज भी उपलब्ध है। अकबर के शासन काल में व्यापारिक महत्व का एकडला ग्राम भी यही अवस्थित है। इस्लामी शासकों के समय में यह क्षेत्र समय–समय पर दिल्ली कन्नौज तथा जौनपुर के सूबेदारो के आधिपत्य में रहा था। मुगलरोड का इस जनपद से निकलना खजुहा में अकबर का रुकना, शुक्लों का फतुहाबादी कहलाना कोड़ा के सूबेदार का असोथर के असरू सिंह द्वारा बफ तथा असोका और गाजीपुर में भगवन्तराय खींची और शहादत खां के बीच युद्ध आदि घटनायें इस जनपद की ऐतिहासिकता को समृद्ध करती है। भगवन्तराय खींची के बाद यह क्षेत्र पुनः अवध के हाथों में चला गया। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, आलम द्वितीय और नवाब शुजाउद्दौला की क्लाइव से पराजय हुई तथा जनपद के इस समस्त भूभाग को निचले दोआब के साथ सन् 1801 ई0 में नवाब शहादत अली खां ने अंग्रेजों को हस्तान्तरित करा दिया। सन् 1814 ई0 में इस भूभाग को पहली बार एक संयुक्त मजिस्ट्रेट के अधीन रखा गया। कानपुर और इलाहाबद के बीच स्थित इस जनपद, को सन् 1814 ई0 में एक अतिरिक्त परगने का दर्जा मिला और इसका मुख्यालय भिटौरा बना दिय गया। सन् 1826 में इसे एक जिले के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।

सामाजिक परिवेश

समाज के विभिन्न वर्गों के वर्गीकरण के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि जनपद में सबसे बड़ा वर्ग ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्यों एवं कायस्थों का है। पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत कुर्मियों का भी एक बड़ा वर्ग है। जनपद में अनुसूचित जाति के लोग भी पर्याप्त संख्या में है।

प्रशासनिक व्यवस्था :

प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से जनपद तीन तहसीलों यथा खागा, सदर फतेहपुर एवं बिन्दकी में बंटा हुआ है। प्रत्येक तहसील में क्रमशः 4, 5 एवं 4 कुल 13

विकास खण्ड हैं। कुल 132 न्याय पंचायतें 789 ग्राम पंचायते 1516 कुल राजस्व ग्राम 2976 बस्तियां एवं कुल 04 टाउन एरिया है।

तहसील विकास खण्ड वार इनका विवरण निम्नांकित सारिणी में दिया गया है।

सारिणी 1:1

जनपद की प्रशासनिक इकाइयां ग्रामीण क्षेत्र

क्र. सं.	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	न्याय पंचायतो की संख्या	ग्राम पंचायतों की सं0	कुल राजस्व ग्राम		बस्तियां	टाउन एरिया
					आवादि	गैर आबाद		
1.	खागा	घाता	09	65	109	03	179	
		हथगाम	13	73	170	67	375	
		विजयीपुर	10	57	96	04	229	01
		ऐरायां	11	51	102	15	301	01

2.	सदर	हसवा	12	56	60	03	151	
	फतेहपुर	असोथर	09	45	56	03	289	
		बहुआ	11	55	101	13	139	01
		तेलियानी	09	55	101	09	153	
		भिटौरा	14	77	159	09	300	
3.	बिन्दकी	मलवां	09	66	110	08	278	
		खजुहा	09	69	101	06	227	
		अमौली	08	60	101	14	190	
		देवमई	08	60	86	10	165	01
	योग	13	132	789	1352	164	2976	04

तालिका 1 : 2 नगरीय क्षेत्र

नगरनिगम	नगरमहापालिका	नगर पालिका	टाउन एरिया	बार्डो की संख्या
—	—	1. फतेहपुर	खागा	25
		2. बिन्दकी	किशनपुर बहुआ कोडा जहानाबाद	25
योग	—	02	04	50

तालिका 1:3

विकास खण्डवार/नगर क्षेत्रवार जनसंख्या –1991 (वास्तविक) एवं 2001

क्र0 सं0		1991 की जनसंख्या						2001 की जनसंख्या						प्रतिशत
		कुल जनसंख्या			अनु0 जाति			कुल जनसंख्या			अनु0 जनसंख्या			
		M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	%
1.	देवमई	55584	48876	104460	12604	10911	23515	67812	69629	137441	15377	13311	28688	22.5%
2.	मलवा	84459	12728	157189	23359	20219	43578	103040	88728	191768	28498	24667	53165	27.7%
3.	अमौली	66023	58000	124023	12821	10868	23689	80548	70760	151308	15642	13259	28901	19.1%
4.	खजुहा	75797	67363	1143160	15795	13604	29399	92472	82183	174655	19270	16597	35867	20.5%
5.	तेलियानी	55899	49250	105149	16624	14700	31324	68197	60085	128282	20281	17934	38215	29.8%
6.	भिटौरा	79035	69664	148699	20846	18719	39565	96423	84990	181413	25432	22837	48269	26.6%
7.	हसवा	78024	68445	146469	23125	21041	44160	95189	72403	178692	28213	22670	53883	30.1%

8.	बहुआ	66025	55657	120682	18497	16303	34800	80551	67902	148453	22566	19890	42456	28.5%
9.	असोथर	69584	60504	130088	12690	11012	23702	84892	73815	158707	15482	13433	28915	18.2%
10.	हथगाम	73954	67773	141727	19641	17957	37598	90224	82683	172907	23962	21908	45870	26.5%
11.	ऐराया	69550	63089	132639	18129	16944	35073	84851	76969	161820	22117	20672	42789	26.4%
12.	विजयीपुर	69774	61264	130988	19049	17086	36135	85124	74742	159866	23240	20845	44085	27.5%
13.	धाता	66382	69575	125957	20111	18189	38300	80986	84881	165867	24535	22191	46726	28.1%
	योग ग्रामीण	909040	802188	1711228	233291	207553	440844	1110309	1000870	2111179	274615	253214	537829	25.5%
	योग नगरीय	100329	87684	188013	15308	13301	28609	122401	106974	229312	18676	16227	34903	15.2%
	योग जनपद	1009369	889872	1899241	248599	220854	469453	1232710	1107844	2340554	303291	269441	572732	24.5%

जनसंख्या–

सन् 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 18,99,241 है जिसमं से 53.15 प्रतिशत पुरूष तथा 46.85 प्रतिशत महिलायें जिनमें कुल जनसंख्या का 90 प्रतिशत ग्रामीण तथा 9.9 नगरीय है। 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या के सापेक्ष अनुसूचित जाति की जनसंख्या 24.63 प्रतिशत एवं महिलाएं 24.82 प्रतिशत है।

लिंग अनुपात

तालिका 1:4

जनगणना वर्ष	प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या
1981	896
1991	882
2001	898

इस प्रकार महिला जनसंख्या पुरूष जनसंख्या की पिछली दो जनगणनाओं की आख्यानुसार अब भी न्यून बनी हुयी है। किन्तु अनुमानित जनसंख्या के अनुसार इस दशक में पिछली जनगणना की आख्यानुसार 16 महिलाए प्रति 1000 पुरूषों पर वृद्धि है।

अध्याय–2

शैक्षिक परिदृश्य

2.1 भूमिका :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के क्षेत्र में यद्यपि कई योजनायें जैसे अनौपचारिक शिक्षा, आंगनबाड़ी, बालबाड़ी आदि संचालित की गयीं। किन्तु शत् प्रतिशत सम्प्राप्ति नहीं हो सकी।

इस दिशा में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो 2000–01 से प्रारम्भ हो चुका है। सतत क्रियाशील है।

2:11 साक्षरता दर

सारिणी 2:1

क्र0सं0	क्षेत्र / लिंग	जनपद की साक्षरता दर	राज्य की साक्षरता दर
1	कुल	44.6	41.6
2	ग्रामीण	42.9	36.66
3	नगरीय	61.0	61.00
4	कुल पुरुष	59.8	55.75
5	कुल महिलायें	27.2	25.31
6	ग्रामीण पुरुष	58.6	52.11
7	ग्रामीण महिलायें	24.9	19.02
8	नगरीय पुरूष	71.6	69.98
9	नगरीय महिलायें	48.7	50.38

स्रोत : जिला सांख्यकी पत्रिका 1998

जनपद की कुल साक्षरता दर 44.6 है। नगर की तुलना में ग्रामीण की साक्षरता दर लगभग 18 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार पुरूषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर न्यून है। यह ग्रामीण क्षेत्र में और भी न्यून है यह न्यूनता महिलाओं एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है।

2 : 1.2 विकास खण्डवार साक्षरता दर

सारणी 2 : 2

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर			साक्षरता दर		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	देवमयी	30447	14167	44614	66.9	36.0	52.6
2	खजुहा	38651	18358	57009	63.6	34.3	49.9
3	अमौली	35456	17002	52458	65.7	36.6	52.2
4	मलवा	45171	19471	64642	66.3	33.7	51.3
5	हसवा	35089	11189	46278	55.7	20.5	39.4
6	वहुआ	30779	10440	41319	58.3	23.5	42.4
7	भिटौरा	33955	10316	44271	53.2	18.5	37.0
8	तेलियानी	27767	10318	38085	61.3	26.3	45.1
9	असोथर	30462	10261	40723	54.6	21.5	39.4
10	हथगाम	30996	9621	40617	52.5	17.8	35.9
11	ऐराया	28856	8683	37539	52.1	17.4	35.6
12	विजयीपुर	29676	8113	37789	53.4	16.8	36.4
13	धाता	31420	10747	42167	59.2	22.7	42.0
	योग ग्रामीण	428725	158686	587411	58.6	24.9	42.9
	योग नगरीय	59059	34442	93501	71.6	48.7	61.0
	योग जनपद	487784	193128	680912	59.8	27.2	44.6

स्रोत जिला सांख्यिकी पत्रिका 1996

जनपद की साक्षरता दर 44.6 प्रतिशत की तुलना में 08 विकास खण्डों यथा भिटौरा, हसवा, बहुआ, असोथर, हथगाम, ऐराया, विजयीपुर एवं धाता की साक्षरता दर न्यून है। जिसमें से विकास खण्ड ऐराया की साक्षरता दर न्यूनतम है।

शैक्षिक संस्थाएं

तालिका 2 : 3

		परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1 (A)	प्रा0 वि0 उ0 प्रा0 वि0 से सम्बद्ध प्रा0 वि0	1442 3	36 2	1478 5	184 –	111 3	295 3	1577 3	147 05	1724 08	221 –	10 –	231 –
2	मा0 वि0 से सम्बद्ध उ0 अनुभाग	–	01	01	01	–	01	01	01	02	–	–	–
3	उ0 प्रा0 वि0	187	07	194	150	53	203	314	60	374	68	4	72
4	मा0 वि0 से सम्बद्ध उ0 प्रा0 अनुभाग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	केन्द्रीय विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	नवोदय वि0	01	–	01	–	–	–	01	–	01	–	–	–
7	हाई स्कूल	03	–	03	41	02	43	44	02	46	01	–	01
8	इण्टरमीडिट	–	03	03	63	05	68	63	08	71	03	–	03
9	डिग्री कालेज	–	02	02					02	02	–	–	–
10	स्नातकोत्तर महा0वि0	–	–	–	02	–	02	02	–	02	–	–	–
11	विश्व वि0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	तकनीकी संस्थान		02	02	–	–	–	–	02	02	–	–	–
13	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	आंगनबाड़ी केन्द्रों की सं0	1415	–	1415	–	–	–	1415	–	1415		–	–

5	मकतब / मदरसा	–	–	–	23	02	25	23	02	25	03	–	03
6	संस्कृत पाठशालायें	–	–	–	06	01	07	06	01	07	–	–	–
7	विकलांक बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थायें	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01	01
8	बाल श्रमिक वि0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

स्रोत बी एस ए फतेहपुर

परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की विकास खण्डवार विद्यालय संख्या एवं कार्यरत शिक्षकों की संख्या निम्नांकित सारणी 2:4 में अंकित है।

नोट : क्रमांकण में 1429 प्रा0 वि0 में से 02 शासकीय एवं क्रमांक 04 में 172 उच्च प्रा0 वि0 में से 01 शासकीय विद्योलय सम्मिलित है।

तालिका सं0 2 :4

(सन्दर्भ तिथि 31.07.2003)

ब्लाक	कुल प्रा0 वि0 की संख्या	कार्यरत अध्यापक			कुलजू0 हा0 स्कूलों की सं0	कार्यरत अध्यापक			ब्लाक में कार्यरत कुल अध्यापक
	(परिषदीय)	प्र0शि0	स0शि0	योग	(परिषदीय)	प्र0शि0	स0शि0	योग	
देवमई	100	72	191	263	13	01	44	45	308
खजुहा	112	97	133	230	12	04	31	35	265
अमौली	122	100	143	243	15	06	54	60	303
मलवा	133	102	240	342	21	07	53	60	402
हसवा	104	84	140	224	15	06	49	55	279
बहुआ	102	87	187	274	17	10	54	64	338
भिटौरा	132	104	199	303	15	06	74	80	383
तेलियानी	105	94	288	302	21	06	66	72	374
असोथर	92	78	101	179	10	08	43	51	230
ऐराया	99	59	122	181	08	02	33	35	216

हथगाम	125	90	132	222	08	06	34	40	262
विजयीपुर	111	81	107	188	16	08	43	53	241
धाता	104	88	135	273	11	01	31	32	255
न.क्षे. फतेहपुर	26	22	57	79	06	03	24	27	106
न0 क्षे0 बिन्दकी	09	08	20	28	01	00	06	06	34
योग	1477	1166	2115	3281	194	74	74	715	3996

स्वीकृत पदों का विवरण तालिका सं0 2 : 4 (अ) में दिया गया है।

तालिका सं0 2 : 4 (अ)

क्रमांक	स्वीकृत पदों का विवरण	
1.	**प्राथमिक विद्यालय**	प्र0 अ0 1209
		स0 अ0 3220
2.	**उच्च प्राथमिक विद्यालय**	प्र अ0 156
		स0 अ0 665

शिक्षकों की उपलब्धता परिषदीय विद्यालय

तालिका 2 : 5

	सृजित			कार्यरत			रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्र
	प्र0 अ0	स0 अ0	योग	प्र0 अ0	स0 अ0	योग		
प्रा0 वि0	1209	3220	4429	1166	2115	3281	1148	448
उ0 प्रा0 वि0	156	665	821	74	641	715	106	—

स्रोत– बी.एस.ए. फतेहपुर

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कुल कार्यरत शिक्षकों की संख्या 3281 है, जिसमें सृजित पदों के विपरीत 1148 पद रिक्त है। इन 1148 रिक्त पदों में 448 शिक्षा

मित्र स्वीकृत है। इस प्रकार शिक्षा मित्रों को भी अध्यापन कार्य की दृष्टि से समायोजित किये जाने पर 700 अभी भी रिक्त है। प्राथमिक शिक्षा में छात्र अनुपात बनाये रखने के लिए 40 : 1 के अनुपात के लिए वर्तमान नामांकन 235361 के अनुसार कुल 5884 शिक्षकों की आवश्यकता है। जिसमें से 3281 शिक्षक एवं 448 स्वीकृत शिक्षा मित्र कुल 2155 अतरिक्त शिक्षक 2155 दर्शित होंगे।

इसी प्रकार उच्च प्रा0 वि0 में 1:5 विद्यालय शिक्षक का अनुपात बनाये रखने हेतु कुल वर्तमान विद्यालय संख्या 194 के अनुसार 970 शिक्षकों की कुल आवश्यकता है। जिसमें से 715 कार्यरत है। इस प्रकार 255 अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता वर्तमान सत्र 2003–04 में है।

शिक्षकों की प्राथमिक एवं उच्च प्रा0 विद्यालयों हेतु आगामी वर्षो की शिक्षकों की आवश्यकता निम्नांकित तालिका सं0 2:6, 2:7 में दर्शायी गयी है।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता

तालिका संख्या 2 : 6

क्र. सं.	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक (शिक्षा मित्रों को जोडते हुए)	40:1 दर	आवश्यक शिक्षक	क्रमागत शिक्षकों की संख्या		
						कुल	शिक्षक	शिक्षा मित्र
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2003–04	235361	4877	5884	1007	5884	504	503
2	2004–05	241478	5884	6037	153	6037	77	76
3	2005–06	247754	6037	6194	157	6194	79	78
4	2006–07	254193	6195	6355	161	6355	81	80

उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता :–

तालिका सं0 2 : 7

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल वि0	नवीन वि0	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
	1	2	3	4	5	6
1	2002–03	171	23	970	821	149
2	2003–04	194	55	1245	970	275
3	2004–05	249	0	1245	1245	0
4	2005–06	249	0	1245	1245	0
5	2006–07	249	0	1245	1245	0

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

तालिका सं0 2 : 8

	1 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 किलो से अधिक किन्तु 1.5 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित प्रा0वि0 / **EGS**
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	1437	634	0	0
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम है।	608	145	152	152

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद की कुल 2976 बस्तियो मे से वर्ष 2003–04 तक की प्राप्त स्वीकृतियों (डी0 पी0 ई0 पी0 एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत) के अनुसार सभी बस्तियां अब भी सेवित है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों का खोला जाना

तालिका 2 : 9

वर्ष	प्राथमिक विद्यालयों की पुर्नस्थापना
2002–03	50
2003–04	55

परिषदीय अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

तालिका 2 : 10

	3 किमी से कम दूरी पर परिषदीय उच्च प्रा0 वि0 /मान्यता प्राप्त आलस्य	3 किमी0 से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	उच्च प्रा0 तथा प्रा0 अनुपात 1:2 करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उच्च प्रा0 वि0 की संख्या
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	954	0	0
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम है।	1950	162	162

• नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता

1	जनपद में कुल संचालित प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय + राजकीय)	1428
2	सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित नवीन प्राथ0 वि0	105
3	कुल योग	1533
4	1:2 के मानक पर आवश्यक उच्च प्राथमिक विद्यालय	177
5	वर्तमान में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय + राजकीय)	205
6	मान्यता प्राप्त	46
7	हाई स्कूल	71
8	इण्टर कालेज	499
9	कुल संस्थायें (5 + 6 + 7 + 8)	78
10	1 : 2 के अनुपात पर शुद्ध आवश्यकता (4 – 9)	78

उपर्युक्त तालिका एवम् विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल जनपद की कुल 2976 बस्तियों में 78 बस्तियां ऐसी है जिनकी आबादी 800 से अधिक होते हुए भी 3 किमी से अधिक दूरी पर विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रों को जाना पड़ता है।

वर्तमान परिस्थितियों में 78 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के खोले जाने की आवश्यकता होगी। जिसे वर्ष 2003–04 तक मे पूरा कर लिया गया है।

वर्षवार उच्च प्रा0 विद्यालयों के खोले जाने का लक्ष्य

तालिका सं0 2 :11

वर्ष	नवीन प्रस्तावित उच्च प्रा.वि.की सं0
2002–03	23
2003–04	55
2004–05	0
योग	78

नामांकन प्राथमिक (6–11 वर्ष) व उच्च प्राथ0 (11–14 वर्ष) स्तर

(नेट इनरोलमेण्ट रेसियो इ0एम0आई0एस0 आंकड़ो से)

तालिका सं0 2 : 12

छात्र नामांकन प्राथमिक स्तर

सन्दर्भ तिथि : 31.7.2003

6–11 वयवर्ग में बच्चों की संख्या	नामांकन				
	परिषदीय	शासकीय एवं मान्यता प्राप्त	गैर मान्यता प्राप्त (अनुमानित)	योग	नामांकन अनुपात

बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
191162	166038	357200	121325	114036	235361	46134	35977	8211	3884	12494	36212	187278	162507	353684	97.96	47.87	99.01

स्रोत बी0 एस0 ए0 फतेहपुर

उच्च प्राथमिक स्तर

तालिका सं0 2 :13

सन्दर्भ तिथि : 31.7.2003

11–14 वयवर्ग में बच्चों की संख्या			नामांकन														
			परिषदीय			शासकीय एवं मान्यता प्राप्त			गैर मान्यता प्राप्त (अनुमानित)			योग			नामांकन अनुपात		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
73062	58601	131663	14705	14508	29213	36503	29890	66393	4949	2000	6949	68113	56601	124714	93.22	96.98	94.72

स्रोत बी0 एस0 ए0 फतेहपुर

छात्र अनुपात

2 : 51 प्राथमिक स्तर :

जनपद में वर्ष 2003–04 की 6 – 11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या बाल गणना के अनुसार 357200 है जिसके सापेक्ष परिषदीय विद्यालयों में कुल नामांकन 235361 और मान्यता प्राप्त तथा गैर मान्यता प्राप्त का नामांकन क्रमशः 82111 और 36212 है। इस प्रकार बालगणना के सापेक्ष बालकों का नामांकन 97.96 प्रतिशत एवं बालिकाओं का 97.87 प्रतिशत है जनपद का कुल नामांकन 99.01 है, जैसा कि तालिका सं0 2 : 12 से स्पष्ट है।

2 : 52 उच्च प्राथमिक स्तर

इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन की उक्त तालिका सं0 2:13 के अनुसार बालकों का नामांकन अनुपात 93.22 प्रतिशत एवं बालिका 96.98 प्रतिशत तथा कुल 11–14 वय वर्ग का सकल नामांकन अनुपात 94.72 प्रतिशत है।

दृष्टव्य है कि जनपद में (11–14) वय वर्ग में बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात बालको के सापेक्ष अधिक है।

2 : 53 जनपद का ड्राप आउट दर

तालिका 2 : 14

प्राथमिक स्तर

सन्दर्भ तिथि 1997–2001

कुल			अनुसूचित जाति		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
24-4 %	26.9%	25.7%	29.7%	24.3%	27%

स्रोत सीमेट का बेसलाइन सर्वे

उपरोक्त तालिकानुसार जनपद की ड्राप आउट दर 25.7 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जाति का 27 प्रतिशत है। दृष्टव्य कि सकल ड्राप आउट के सापेक्ष अनुसूचित जाति का ड्राप आउट दर अधिक होते हुए भी न्यूनान्तर है।

तालिका सं0 2 : 15

(11–14) वयवर्ग का जनपद का ड्राप आउट दर

कुल			अनुसूचित जाति		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
9.4	10.6	10.9	11.2	13.7	12.45

उपर्युक्त तालिका अनुसार पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की ड्राप आउट दर दर्शाया गया है।

तालिका 2 : 16

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता:–

क्र. सं.	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	प्रति विद्यालय 3कक्षा कक्ष की दर से	वर्तमान कक्षाकक्ष	आवश्यक कक्षाकक्ष	एस.एस.ए. मे प्रस्तावित कक्षा कक्ष
	1	2	3	4	7	8
1	2002–03	1477	4431	3148	1283	—
2	2003–04	1532	4596	3148	1448	—
3	2004–05	1532	4596	3148	1448	484
4	2005–06	1532	4596	3632	964	484
5	2006–07	1532	4596	4116	480	484

परिषदीय विद्यालयों में भौतिक सुविधा

2 : 61 परिषदीय प्राथमिक स्तर :

जनपद में कुल 1532 प्रा0 वि0 वर्ष 2003–04 तक संचालित है। जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 1497 परिषदीय प्रा0 वि0 है। जिनमे निम्नांकित तालिका सं0 2 : 17के अनुसार जनपद में कक्षा–कक्षों के अनुसार विद्यालय सं0 दर्शायी गयी है जिसके अनुसार कुल 3171 कक्षा–कक्ष उपलब्ध है। अतिरिक्त कक्षा कक्षों की संख्या तालिका सं0 2 :16 के अनुसार वर्षवार लक्षित किया गया है।

इसी प्रकार जनपद में 713 प्रा0 वि0 को शौचालय सुविधा 209 को पेयजल सुविधा एल 1239 प्रा0 वि0 के चहार दीवारी की अभी और आवश्यकता है।

तालिका 2 : 17

प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की स्थित

वर्ष 2000–01

कुल संचालित वि0 की सं0	एक कक्षीय	दो कक्षीय	तीन कक्षीय	चार कक्षीय	पाँच कक्षीय	पाँच से अधिक	पुर्न निर्माण / भवन नहीं है।	शौचालय		हैण्ड पम्प		चाहर दीवारी	
								युक्त	विहीन	युक्त	विहीन	युक्त	विहीन
1497	11	1312	143	25			03	729	713	1233	209	153	1239

तालिका सं० 2 : 18 उच्च प्राथमिक स्तर

कुल सचालित वि0 की सं0	एक कक्षीय	दो कक्षीय	तीन कक्षीय	चार कक्षीय	पाँच कक्षीय	पाँच से अधिक	पुर्न निर्माण/भवन नही है।	शौचालय		हैण्ड पम्प		चाहर दीवारी	
								युक्त	विहीन	युक्त	विहीन	युक्त	विहीन
294	4	6	54	178	—	—	07	87	107	68	126	77	117

अतिरिक्त कक्षा कक्ष –

1. प्राथमिक स्तर – प्रति प्राथमिक विद्यालय मे कम से कम तीन कक्षाओं उपलब्धता को देखते हुये सारणी 2 : 17 के अनुसार 11 विद्यालयो को दो दो कक्ष एवं 1312 विद्यालयो को एक एक अतरिक्त कक्ष उपलब्ध करना होगा। इस प्रकार कुल 1260 अतरिक्त कक्ष ग्रामीण क्षेत्रो के प्राथमिक विद्यालयो को उपलब्ध कराना है।

2. उच्च प्राथमिक स्तर – प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयो के कम से कम चार कक्षीय करने हेतु 4 विद्यालयो को तीन तीन अतरिक्त कक्षाये, 6 विद्यालयो को दो दो एवं 54 विद्यालयो को एक एक अतरिक्त कक्षा उपलब्ध कराना होगा। इस प्रकार कुल 78 अतरिक्त कक्षा कक्ष उच्च प्राथमिक विद्यालयो को उपलब्ध कराना है जैसा कि तालिका 2 : 18 मे स्पष्ट है।

वर्तमान कुल कक्षा कक्ष की संख्या निम्नवत है :–

04 विद्यालयों x 1 कक्षा = 04 कक्षा कक्ष

06	विद्यालयो	x	2 कक्षा	=	12 कक्षा कक्ष
54	विद्यालयो	x	3 कक्षा	=	162 कक्षा कक्ष
178	विद्यालयो	x	4 कक्षा	=	712 कक्षा कक्ष
07	विद्यालयो	x	0 कक्षा	=	00 कक्षा कक्ष
			योग	=	890 कक्षा कक्ष

2 : 62 परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर :

वर्ष 2003–04 जनपद के कुल 249 विद्यालय हैं जिनमें उक्त तालिका सं0 2 : 18 के अनुसार कक्षा–कक्षों एवं शौचालय/हैण्डपम्प /चाहरदीवारी की उपलब्धता एवं आवश्यकता दर्शायी गयी हे।

आगामी वर्षों में कक्षा–कक्षों के लक्ष्य को तालिका सं0 2 : 20 में वर्षवार दर्शाया गया है।

तालिका सं० 2 : 20

उच्च प्राथमिक विद्यालय में आगामी वर्षों में अतिरिक्त आवश्यक कक्ष – कक्ष

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल	नवीन	1:4 की दर	वर्तमान	आवश्यक	एस.एस.ए.

		विद्यालय	विद्यालय	से	कक्षा कक्ष	कक्षा कक्ष	SSA मे प्रस्तावित
	1	2	3	4	5	6	8
1	2003–04	194	55	996	890	106	0
2	2004–05	249	0	996	890	106	36
3	2005–06	249	0	996	890	0	35
4	2006–07	249	0	996	890	0	35

2 : 7 वर्तमान में भौतिक सुविधाओं में कमी आवश्यकता

प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर भौतिक सुविधाओ की कमी को दर्शाते हुए डी0 पी0 ई0 पी0 – III के अन्तर्गत प्राप्त स्वीकृतियों को घटाते हुए शेष आवश्यकता को तालिका संख्या 2 : 21 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अन्तिम वर्ष तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

तालिका सं0 2 : 21

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी / आवश्यकता

क्र. सं.	सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	DPEP - III/II वे वित्त आयोग प्राविधान / जिला योजना	मांग एस. एस. ए. मे	कमी	DPEP - III/II वे वित्त आयोग प्राविधान / जिला योजना	मांग - -

1	नवीन विद्यालय	0	0	0	0	–	0
2	विद्यालय पुननिर्माण	0	0	0	0	–	0
3	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष प्रा0 वि0 मे0 प्रतिविधालय–03 उ0 प्रा0 वि0 में प्रति विद्यालय – 04	1260	73	1260	106	–	106
4	पेयजल सुविधा	209	209		126	–	126
5	शौचालय	913	378	535	109	–	109
6	चहार दीवारी	1239	–	1239	117	–	117

उच्च प्राथमिक स्तर का 11 से 14 वय वर्ग के बच्चो का 1999–2001तक का छात्र नामांकन

वर्ष	बालक	बालिका	योग	वृद्धि
1999–2000	10232	13169	23401	–
2000–2001	11957	17125	29082	5681
2001–2002	18861	18274	37135	8053

उच्च प्राथमिक मे गत तीन वर्ष में नामांकन मे वृद्धि

वर्ष	कक्षा–6	कक्षा–7	कक्षा–8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1999–2000	9445	7586	6370	23401	–
2000–2001	10567	9354	9161	29082	19.5
2001–2002	17449	10504	9182	37135	21.7

ट्रंजिसन दर 1999–2001

वर्ष	कक्षा–5	कक्षा–6	ट्रंजिसन दर प्रतिशत में
1999–2000	24079	9945	41.3
2000–2001	24805	10567	42.6
2001–2002	33981	17449	51.35

उच्च प्राथमिक विद्यालयो की संख्या मे वृद्धि

2001–2002	17449	10504	9182	37135	21.7

ट्रंजिसन दर 1999–2001

वर्ष	कक्षा–5	कक्षा–6	ट्रंजिसन दर प्रतिशत में
1999–2000	24079	9945	41.3
2000–2001	24805	10567	42.6
2001–2002	33981	17449	51.35

उच्च प्राथमिक विद्यालयो की संख्या मे वृद्धि

वर्ष	1993	2000	वृद्धि ,
उच्च प्रा. वि. की संख्या	146	171	25

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयो का अनुपात

क्षेत्र	संख्या		अनुपात
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	
ग्रामीण	1392	164	8 : 1
नगर	35	07	5 : 1
योग	1427	171	8 : 1

अध्याय – 3

नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान –

सर्व शिक्षा अभियान एवं सर्वव्यापी शिक्षा का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो केन्द सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पोषित होगा। यह अभियान वर्ष 2001 से 2010 तक की दीर्घकालीन योजना है। जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार की साझेदारी है। एक सुनिश्चित समयबद्ध तरीके से शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक करने एवं विद्यालय के प्रति स्वयं की भावना का विकास करने तथा योजना का विकेन्द्रीकरण इस लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य है। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा का एकीकृत कार्यक्रम है। जिसमें शिक्षा की प्रगति के लिए अब तक के सभी प्रयासों को एकजुट करते हुए बस्ती स्तर की शिक्षा योजना तैयार करके उन्हें विकास खण्ड स्तर पर एकीकृत किया जायेगा। तथा विकास खण्डों की योजनाओं को एकीकृत करके जिला योजना तैयार की गयी है। शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाया जायेगा। योजना बनाने में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु बस्ती को योजना निर्माण की इकाई माना गया है। अभी तक जो भी योजना बनायी जाती रही है वे सभी जिले स्तर पर बनायी जाती रही है।

वर्ष 2001 से वर्ष 2003 तक 6–11 वयवर्ग के प्रत्येक बच्चा स्कूल में प्रवेश लेकर वर्ष 2007 तक कक्षा 5 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करेगा तथा 2010 तक शाला त्यागी बच्चों की दर शून्य पर लाना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य होगा। इस तरह वर्तमान समय में नवीन प्रवेश पर बल दिया जाता है परन्तु शाला त्यागी बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस परियोजना में शिक्षाविद् शिक्षक, जनप्रतिनिधि स्वैच्छिक संगठन एवं भारत सरकार के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके परियोजना को पारदर्शी बनाया गया है।

6–11 / 11–14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चे विकास खण्डवार
तालिका संचया – 3

		6–11 वय वर्ग के बच्चे			11–14 वय वर्ग के बच्चे		
कम सं0	ब्लाक का नाम	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.	देवमई	1204	328	1532	293	216	509
2.	खजुहा	31	117	148	388	130	518
3.	अमौली	272	1512	1784	207	61	268
4	मलवा	958	300	1259	287	246	533
5.	हसवा	621	680	1301	367	155	522
6.	बहुआ	1847	2214	4061	880	121	1001
7.	भिटौरा	3180	4259	7939	1837	155	1992
8.	तेलयानी	718	640	1359	386	23	409
9.	असोथर	735	698	1433	805	221	1026
10.	ऐराया	1159	896	2055	723	570	1293
11.	हथगाँव	2008	1963	3971	394	595	989
12	विजयीपुर	547	435	982	700	599	1299
13.	धाता	467	756	1223	245	243	488
14.	नगर फतेहपुर	2562	2748	5310	2435	39	2474
15	नगर बिन्दकी	90	65	155	50	10	60
	महा योग	18199	17611	35810	9997	3592	13589

इस सर्व शिक्षा अभियान के राष्ट्रीय कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए जनपद फतेहपुर में ग्राम स्तर पर विचार गोष्ठियां तथा जनसम्पर्क कार्यक्रम किये गये हैं तथा

बालक बालिकाओं की ग्राम बस्ती अनुसार पहचान की गयी जो विद्यालय कभी नहीं गये हैं या कुछ दिनों तक विद्यालय जाने के पश्चात् शाला त्याग कर दिये हैं। इस अभियान को नवम्बर 2001 में प्रारम्भ किया गया।

जिलाधिकारी फतेहपुर तथा मुख्य विकास अधिकारी फतेहपुर एवं शिक्षा विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, फतेहपुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष सर्व शिक्षा अभियान की जानकारी दी गयी। कोर टीम का प्रशिक्षण दिनांक 7, 8/11/2001 को सीमेंट में हुआ। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना तैयार करने हेतु आवश्यक आकड़ों तथा विधियों की जानकारी दी गयी। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बी0 आर0 सी0 समन्वयक सह समन्वयक, एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक द्वारा जनप्रतिविधियों अन्य विभागों के सहयोग से ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर विकास ,खण्ड स्तर तथा जनपद स्तर पर अनेक विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया।

फोकस ग्रुप डिस्कशन :

सर्व शिक्षा अभियान का प्रोजेक्ट बनाने के पूर्व समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित फोकस ग्रुप डिस्कशन किये गये, इनका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक विचार विमर्स में उभरे बिन्दु एंव चर्चित समस्यायें आदि का संक्षिप्त विवरण अपेक्षायें / सम्भावित	
1.	12.11.01	जिलाधिकारी कार्यालय फतेहपुर	1.जिलाधिकारी 2. अपर जिलाधिकारी	1. सर्व शिक्षा अभियान की योजना समझबूझ के साथ तैयार की जाए और जनपद के ग्रामीण अंचलो की मुख्य समस्याओं को समाहित करते हुए लक्ष्य निर्धारित किये जाये	जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी ने विशेष परिस्थितियों जैसे बहुआ विकास खण्ड के भट्टा मजदूरों के बच्चों के लिए विशेष योजना तैयार किया जाय।
2	13.11.01	जि0 शि0 प्रशि0 संस्थान फतेहपुर	1. जिला बेसिक शिक्षा अधि0 2. प्राचार्य जि0 शिक्षा प्रशि सं0 3. उप बेसिक शिक्षा अधि0 प्र0 एवं द्वि0 4. सहा बेसिक शिक्षा अधि0	सर्व शिक्षा अभियान की मूलभूत समस्यायें पर्स पेक्टिव प्लान का निर्माण एवं समस्याओं के निराकरण पर विचार	1. प्रत्येक विकास खण्ड के शैक्षिक आकड़ों के निर्धारण हेतु (मैक्रो प्लानिंग) के आधार पर तैयार करना 2. मूलभूत समस्याये प्रत्येक क्षेत्र से एकत्रित की जाये।
3.	26.11.01	बी0 आर0 सी0 मलवा	1.सहायक बेसिक शिक्षा अधि0	1. अध्यापकों का गतिविधि आधारित	1. सेवारत प्रशिक्षण में बताये गये ज्ञान / विधियां निरिक्षण

			2. समन्वयक बी. आर. सी. 3. सहसमन्वयक सी0 आर0 सी0 4. समन्वयक एन. पी. आर.सी. 5. सहअध्यापक	शिक्षण पर विचार 2. विद्यालय का वातावरण आकर्षक बनाने पर विचार	रूप से अध्यापक विद्यालय में प्रयोग करें। 2. कम लागत में निर्मित शिक्षण सहायक सामग्री का अवश्य प्रयोग किया जाय। 3. विद्यालय की स्वच्छता एवं बच्चों को साफ सुथरा रखने हेतु सभी लोग मिल कर प्रयास करें।
4.	29.11.01	सी0 आर0 सी0 हथगाम	1. सहा0 बे0 शि0 अधि0 2. समन्वयक/ सह समन्वयक बी0 आर0 सी0 3. समन्वयक एन पी. आर. सी. 4. बी. सी. सी. सदस्या 5. ग्राम शिक्षा के सदस्य/ सदस्या	1. जनसहभागिता पर विचार 2. अल्प संख्यक बच्चों के शिक्षा पर विचार 3. सर्वशिक्षा अभियान का प्रचार प्रसार	1. सभी जन प्रतिनिधियों ने विद्यालय न आने वाले बच्चों के अभिभावक को प्रेरित करने का संकल्प व्यक्त किया। 2. अल्प संख्यक परिवारों का गहन सर्वेक्षण करके बच्चों का विद्यालय में दाखिला कराना सुनिश्चित किया जाय तथा उनके अभिभावक को सहयोग के लिए प्रेरित किया जाय। 3. सर्वशिक्षा अभियान की आवश्यकता एवं जनसमुदाय की सहभागिता लेकर पंजीकरण का लक्ष्य पूर्ण किया जाय।
5.	27.11.01	B.R.C. विजयीपुर	1. सहा0 बेसि0 शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप वि0	1. विद्यालय परिसर को आकर्षक बनाने	1. विद्यालय परिसर को पेड़ पौधों (बागवानी) के द्वारा बनाया जाय। तथा विद्यालय

			2. समन्वय / सह समन्वयक BRC 3.समन्वयक NPRC 4. ग्राम प्रधान गण	अभिभावकों की उदासीनता एवं अपेक्षित सहयोग न मिलना। –	सुसज्जित किया जाय। 2. प्रचार प्रसार के माध्यम से शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरूकता पैदा किया जाय।
6.	28.11.01	NPRC केन्द्र रवासमऊ	1.सहा0 बेसि0 शिक्षा अधि0 2. उप वि0 निरीक्षक 3. समन्वय BRC 4. ग्राम प्रधान 5. अभिभावक तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यगण	1. शिक्षकों का अभाव एवं अन्य कार्यों में लगाया जाना। 2. छात्र नामांकन एवं ठहराव बढाने के लिए अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करना।	1. 40 : 1 के छात्र अध्यापक अनुपात के स्तर को प्राप्त किया जाय (शिक्षा मित्रों की तैनाती) के माध्यम से पूर्ण किया जाय। 2. सामाजिक सहभागिता हेतु अभिभावकों से सम्पर्क करना एवं जन सामान्य को प्रेरित किया जाय।
7.	29.11.01	B.R.C. धाता	1. सहा0 बे0 शि0 अधि0 2. प्रति उप0 वि0 नि0 3. समन्वयव / सह समन्वयक BRC धाता 4. समन्वयक एन0 पी0 आर0 सी0 धाता	1. विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का अभाव 2. शिक्षा के प्रति अभिभावक बच्चों में जागरूकता का अभाव। 3. शिक्षक में व्यवहार कुशलता एव व्यक्तित्व में कमी	1. विद्यालय भवनो का निर्माण अतिशीघ्र पूर्ण कराये जायं एवं उनमें आवश्यक साज सज्जा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। 2. प्रचार प्रसार के माध्यम से शिक्षा के प्रति सामाजिक जागृति उत्पन्न की जाय। 3. बच्चों के प्रति शिक्षक द्वारा विनम्र व्यवहार किया जाय
8.	29.11.01	BRC	1. सहा0 बे0 शि0	1. अध्यापक टी0	1. सर्व शिक्षा अभियान का

		ऐराया	अधिकारी 2. समन्वयक सह समन्वयक बी0 आर0 सी0 3. स0 अ0 /प्र0 अ0 वि0 ख0 ऐराया	एल0 एम0 का उपयोग नहीं करते। 2. निर्धन आय वर्ग के बच्चों के समस्त गणवेश एवं पुस्तक की ,समस्या	प्रचार प्रसार किया जाय। पाठय सहगामी क्रियाओं पर ध्यान दिया जाय। प्राप्त प्रशिक्षणें का प्रयोग कक्षाओ को दिया जाय। 2. पोषाहार योजना की भांति गणवेश की व्यवस्था की जाय। अन्य कार्यों से मुक्त कर अध्यापको को शिक्षण पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जाय।
9.	1.12.01	बी0 आर0 सी0बहुआ	1. सहा0 बे0 शि0 अधिकारी 2. समन्वयक / सह समन्वयक बी0 आर0 सी0 3. अभिभावक 4. ग्राम प्रधान गण	1. जहां विद्यालय उपलब्ध नहीं है। मजदूर भट्टे पर ही बच्चों को ले जाते हैं जो काम में हाथ बटाते हैं यदि बच्चों को स्कूल भेजे तो कैसे 2. 6–14 वयवर्ग की ऐसी बालिकाओं का ग्राम पंचायत की खुली बैठक में चिन्हीकरण जो विद्यालय नहीं जाती अथवा इसका त्याग कर देती है।	1. ब्रिज कोर्स एवं समर कैम्प में सभी व्यवस्था में निःशुल्क उपलब्ध करायी जाय तथा मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाय।' 2. रूचिपूर्ण एवं गुणवत्ता परक शिक्षा से बालिकाओं के शिक्षण हेतु प्रेरित करना।
10.	29.11.01	बी0 आर0 सी0	1. जि0 बे0 शि0 अधि0	1. पूर्व माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर	1. पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को स्थापित किया जाय तथा

		तेलियानी	2. उप बे0 शि0 अधि0 प्रथम 3. सहा0 बे0 शि0 अधि0 4. प्रति उप वि. नि0 5. समन्वयक सह समन्वयक 6. अभिभावक गण 7. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य गण	बल देने की आवश्यकता है एवं सभी विद्यालयों को पेयजल शौचालय काष्ठोपकरण उपलब्ध नहीं है। 2. शिक्षा के प्रति अविभावकों की उदासीनता एवं सहयोग मिलना। 3. विद्यालय में परिचारक का अभाव। 4.बच्चों के मनोरंजन की विद्यालय में व्यवस्था का न होना। 5. गांव / न्याय पंचायत / विकास खण्ड/ तहसील जिला स्तर पर बच्चों के लिए स्टैडियम की अनुपलब्धता	शौचालय, पेयजल काष्ठो परकरण की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान द्वारा कराया जाना आवश्यक हैं परन्तु बालिका शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। बालिकाओं की शिक्षा पर उदासीनता प्रदर्शित करते हैं ब्लाक में सभी का स्वागत करते हुए कार्यशाला में आये हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए यह संकल्प किया कि वे विकास क्षेत्र में उन क्षेत्रों की जहां की बालिकाओं का नामांकन अभिभावक नहीं कराते हैं जोर द्रेकर उनका नामांकन कराकर शिक्षा से जोडने का भरसक प्रयास करेंगे। 2. सामाजिक सहभागिता हेतु प्रयास किये जाने एव सामाजिक जागृति के द्वारा अभिभावक जन सामान्य को प्रेरित किया जाय। 3. परिचारकों के अभाव का नियुक्ति के माध्यम से पूर्ण किय जाय। 4. खेलकूद एवं मनोरंजन हेतु शिक्षणोत्तर क्रियाकलापों की सामग्री उपलब्ध करायी जाय।

					5. जिले/तहसीलस्तर पर खेलकूद हेतु स्टेडियम की व्यवस्था की जाय।
11.	10.11.01	ग्रामसार अमौली	प्रतिउपविद्या निदी ग्राम प्रधान ग्राम शिक्षा समिति अविभावक समन्यवक सह समन्यवक न्याय पंचायत प्रभारी	1. शिक्षा में गुणवत्ता परख शिक्षा अपेक्षित 2. आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन 3. अनु जन जातीय वर्ग में बालिकाओं की शिक्ष पर बल दिये जाने पर विचार 4. बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता पर विचार।	सर्वप्रथम विकास क्षेत्र के प्रतिउप विद्यालय निरीक्षण श्री विश्वनाथ प्रजापति ने आये हुए प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए विचार गोष्ठी का सम्यक संचालन करते हुए बालिका शिक्षा पर बल दिया तत् पश्चात् विचार गोष्ठी में आये हुए सभी सहभागियों ने संकल्प किया कि वे पूर्ण मनोयोग के साथ बालिका नामांकन पर ध्यान देकर अविभावकों में फैले अन्धविश्वास एवं उदासीनता को दूर करने का सम्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
12.	2.12.01	चांदपुर (अमौली	1. उपबेसिक शिक्षा अधिकारी द्वितीय 2. प्रति उपविद्या0 निरीक्षक 3. ब्लाक प्रमुख 4. खण्ड विकास अधि0 5. ग्राम प्रधान	1. विना भेदभाव के बालिका शिक्षा पर बल 2. समाज में महिलाओं की बराबरी का दर्जा देने की आवश्यकता 3. अभिभावक वर्ग बालिकाओं का नामांकन विद्यालय में	विकास क्षेत्र के प्रति उप विद्यालय निरीक्षक श्री विश्व नाथ प्रजापति तथा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री सीताराम की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित विचारणीय विन्दु आये। जिनमें मुख्यतः बालिका शिक्षा पर विशेष बल किया गया।

			अधि0 6. प्रधनाअध्यापक 7. अभिभावक	नहीं कराते है। 4. किंग भेद समाप्त करना। 5. विद्यालय का वातावरण आकर्षक न होना	सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग बालकों की शिक्षा पर तो ध्यान देते हैं परन्तु बालिका वर्ग की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते है। बालिकाओं की शिक्षा पर उदासीनता प्रदर्शित करते है। ब्लाक प्रमुख ने सभी का स्वागत करते हुए कार्यशाला में उन क्षेत्रों की जहाँ की बालिकाओं का नामांकन अभिभावक नहीं कराते है जोर देकर उनका नामांकन कराकर शिक्षा से जोड़नेका भरसक प्रयास करेंगे।
13.	15.12.01	खजुहा	1. जिला बे0 शि0 अधि0 2. उप बे0 शिक्षा अधि0 3. प्रति उप विद्या. निरीक्षक 4. ग्राम प्रधान 5. अभिभावक 6. ग्राम शिक्षा समिति	1. विद्यालय का वातावरण आकर्षक न होना 2. अध्यापक से अन्य विभागों का कार्य कराया जाना 3. सतत मूल्यांकन का अभाव 4. निरीक्षण पर्यवेक्षण 5. शौचालय एवं चहार दीवारी की कमी।	प्रति उप विद्यालय निरीक्षक श्री अमरनाथ सिंह ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा० श्री चन्द्रपाल सिंह व उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (प्रथम) कु. मीना अवस्थी का स्वागत करते हुए कार्यशाला में आए हुए सभी का स्वागत करते हुए हर्ष मन से रखे हुए बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। 1. बालिकाओं की शिक्षा में तथा अभिभावकों द्वारा नामांकन न कराये जाने का मुख्य कारण विद्यालयों में

					चहारदीवारी एवं शौचालयों का न होना प्रमुख था। जिसके लिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी विद्यालयों को उक्त सुविधाओं से सुसज्जित करने की आवश्यकता पर बल दिया जाना आवश्यक है। 2. शिक्षकों की छात्र अनुपात में कमी होने के बावजूद शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अनेक कार्य कराये जाने से शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है। तथा क्रमिक शिक्षा एवं सतत् मूल्यांकन का कार्य प्रभावित होता है। इस प्रकार यह अपेक्षा की गयी कि सरकार शिक्षकों से अन्य कार्य कम से कम ले। इसी के साथ कार्यशाला का समापन कर दिया गया।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/ विभागों से समन्वय व सहयोग–

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नलिखित विभागो से सुनियोजित ढग से सहयोग प्राप्त किया जाता है।

(अ) **आई0 सी0 डी0 एस0 के साथ समन्वय** – जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्यक बालिका शिक्षा स्वास्थ्य कर्मी एन0 जी0 ओ0 आदि को सम्मिलत कर जिला संदर्भ समूह व विकास खण्ड सन्दर्भ समूह का गठन किया जाता है जो निम्नवत कार्य करता है।

1. आगन बाड़ी केन्दों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

2. इनकी स्थापना विद्यालय प्रांगण या उसके निकट की जाती है।

3. केन्द्रों के सुद्रीढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।

(ब) **स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय** : स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा जिससे चिन्हित रोगी छात्र छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा वच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल हो सके। स्वास्थ्य कार्ड का रख रखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है । यही नहीं इनका परीक्षण राजकीय चिकित्सक पंजीकृत चिकित्सकों के द्वारा कराया जाता है।

(स) **समाज कल्याण विभाग से समन्वय** – समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन स्वरूप 300 व 480 रूपया प्रति छात्र छात्रवृत्ति दिया जाता है।

(द) **ग्राम पंचायतों से समन्वय** – असीमित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतो के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है। जहां पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(क) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय –

के प्रति प्रोत्साहन स्वरूप 300 व 480 रूपया प्रति छात्र छात्रवृत्ति दिया जाता है।

(च) ग्राम पंचायतों से समन्वय – असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतो के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है। जहां पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(क) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय से प्रत्येक विद्यालय में 80 प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र छात्रा को 3 किग्रा प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजना के अन्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

(ख) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय –

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र छात्राओं को उप करण प्रदान करने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। शासन द्वारा विकलांगों के सहायतार्थ उपकरणों संयंत्रों के वितरण में छात्र छात्राओं को प्राथमिकता दी जाय ऐसा शासनादेश निर्गत किया जा चुका है।

(ग) उ0 प्र0 जल निगम/ यू0 पी0 एग्रो से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैन्ड पम्पों की स्थापना की जाती है।

(घ) युवा कल्याण विभाग से समन्वय –

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की क्रीड़ा प्रतियोगिता संचालित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों युवक मंगल दल के कार्य कर्त्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(ङ) पिछड़ा वर्ग कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय –

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति व अल्प संख्यक बच्चों को 300 रुपया प्रति छात्र प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित की जाती है। ताकि इन छात्र छात्राओं का गणवेश एवं आवश्यक पढ़न सामग्री उपलब्ध हो सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपर्यक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

<u>स्कूल चलो अभियान की प्रगति</u>

वय वर्ग	कुल बच्चो की संख्या			स्कूल से बाहर चिन्हंकित बच्चे			अभियान के अन्तर्गत नामांकित बच्चे			शेष बच्चे		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6–11	191162	166038	357200	18199	17611	35810	15819	15132	30951	2380	2479	4859

11—14	73062	58601	131663	9997	3592	13589	3535	2580	6115	6462	1012	7474
योग	264224	224639	488863	28196	21203	49399	19354	17712	37066	8842	3490	12333

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

4.1 लक्ष्य एवं उद्देश्य :

सर्व शिक्षा अभियान स्कूल पद्धति के कार्य निष्पादन के सुधार तथा समुदाय आधारित कोटि पूरक प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन के रूप में प्रदान करने सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास है। इस कार्यक्रम में असंतुलन को समाप्त करने की परिकल्पना की गयी है।

4.2 सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य :

(क) सभी बच्चो को वर्ष 2003 तक स्कूल, शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल शाला त्यागी बच्चों के शिविर की उपलब्धता।

(ख) सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लें।

(ग) सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष की स्कूल शिक्षा पूर्ण कर ले।

(घ) जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया जायेगा।

(ङ) बालक/बालिका असमानता तथा सामाजिक वर्ग भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारम्भिक स्तर पर समाप्त करना।

(च) वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को स्कूल में बनाये रखना।

4.3 विशिष्ट उद्देश्य :

43.1 प्राथमिक स्तर

4.3 विशिष्ट उद्देश्य :

43.1 प्राथमिक स्तर

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर 2003 तक 100 प्रतिशत शुद्ध नामांकन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। जनपद फतेहपुर में प्राथमिक स्तर का सकल नामांकन दर वर्ष 2000–01 (92.66) प्रतिशत है।

तालिका 4 : 1

क्रम	वर्ष	6–11 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता/ गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषद्रीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे है (वर्षवार)	एन0 ई0 आर0	बालिका अनु. जाति बालक का प्रतिशत (परिषदीय)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2002–2003	354114	35785	67481	258304	28329	92	173064
2	2003–2004	361197	36197	68831	292366	0	100	195885
3	2004–2005	368421	368421	70207	298213	0	100	199803
4	2005–2006	375789	375789	71612	304178	0	100	203799
5	2006–2007	383305	383305	73044	310261	0	100	207875
6	2007–2008	390971	390971	74505	316466	0	100	212032

स्रोत सीमैट, इलाहाबाद

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2003–04 में शुद्ध नामांकन दर शत प्रतिशत करते हुए वर्ष 2003–04 में एक भी बच्चा विद्यालय से बाहर न रहने का लक्ष्य निर्धारित है।

साथ ही वर्ष 2002–03 से 2009–10 तक का अनुमानित लक्ष्य बाल गणना/नामांकन को भी उक्त तालिका द्वारा वर्ष वार स्पष्ट किया गया है तथा शुद्ध नामांकन दर (80.82) प्रतिशत है। इन दोनों दरों में (11.83) प्रतिशत का अन्तर जो यह व्यक्त करता है कि 11:83 प्रति बच्चों का नामांकन 6–11 के बच्चों को है। अतः 2003–04 में शुद्ध नामांकन का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु शुद्ध नामांकन दर को कम से कम 19–17 प्रतिशत और बढ़ाना होगा । जिसमें 2001–02 में कुल नामांकन लगभग 4.7 प्रतिशत बढ़ाकर 85 प्रतिशत किया जा चुका है। शुद्ध नामांकन दर की शत–प्रतिशत करने के लिए वर्ष वार लक्ष्य निम्नांकित तालिका संख्या 4.1 में दर्शाया गया है।

4.3.2 उच्च प्राथमिक स्तर :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2004–2005 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत नामांकन करने का लक्ष्य रखा गया हे। वर्तमान वर्षों 2001–2002 उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन अनुपात (90) प्रतिशत है। बालगणना के अनुसार जिले में 11–14 वयवर्ग के (106414) बच्चे हैं इनके सापेक्ष्य (95483) वच्चे परीषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय में नामांकित है।

तालिका संख्या 4.2

क्रम	वर्ष	6–11 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता/ गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे है (वर्षवार)	एन0 ई0 आर0	बालिका अनु. जाति बालक का प्रतिशत (परिषदीय)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2002–2003	108542	103115	59515	43600	5427	95	29212
2	2003–2004	110713	107392	60705	46686	3321	97	31280
3	2004–2005	112927	112927	61919	51008	0	100	34175
4	2005–2006	115186	115186	63158	52028	0	100	34859
5	2006–2007	117490	117490	64421	53069	0	100	35558
6	2007–2008	119839	119839	65709	54130	0	100	36267

उपर्युक्त तालिका 4.2 द्वारा 11–14 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या उनका नामांकन एवं शुद्ध नामांकन दर को वर्ष वार दर्शाया गया है।

तालिका सं० – 4.3

ड्राप आउट का लक्ष्य

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर लक्ष्य	उच्च प्राथमिक स्तर पर लक्ष्य
2002–03	25.7	10.9
2003–04	18	9
2004–05	11	7
2005–06	5	6
2006–07	0	5

उर्पयुक्त तालिका मे प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ई0 एम0 आइ0 एस0 द्वारा तथा उच्च प्राथमिक हेतु जनपद के तीन ब्लाको विजयीपुर, हथगॉम के पॉच पॉच प्राथमिक विद्यालय के आकडे एकत्र किये गये तथा उनके विशलेषण से उच्च प्राथमिक विद्यालय का शाला त्याग दर ज्ञात किया गया। ड्राप आउट को कम करने का लक्ष्य उपर्युक्त तालिका मे वर्षवार दर्शाया गया है।

4.4 धारण–

4.4.1 प्राथमिक स्तर:

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2001–05 तक 100 प्रतिशत धारण प्राप्त किया जाय अर्थात् ड्राप आउट दर शून्य

किया जाय। वर्तमान में जिले में प्राथमिक स्तर पर (25.7) प्रतिशत बच्चे ड्राप आउट हो जाते हैं। वर्ष 2003 में ड्राप आउट की संख्या शून्य हो जायेगी। विवरण 4.2 में दिया गया है।

4.5 गुणवत्ता संवर्धन –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा में गुणात्मक सुधार को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक, प्रशिक्षण पर्यवेक्षण व शैक्षिक अनु समर्थन हेतु प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला स्तर पर पूर्व में स्थापित जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान को और अधिक सुदृढ़ एवं क्रियाशील बनाया जायेगा। शिक्षा सम्बन्धी समस्याये एवं उनके निराकरण के लिए विद्यालय, एन.पी.आर. सी., बी.आर.सी. तथा डायट में समन्वय स्थापित किया जायेगा। इसके अनतर्गत प्रत्येक स्तर पर निरीक्षण, पर्यवेक्षण कार्य शालाये, गोष्ठियां, बैठके व अभिनव प्रयासों का आदान–प्रदान करने के लिए सुदृढ़ किया जायेगा। विस्तृत विवरण अध्याय,01 में वर्णित किया गया है।

अध्याय – 5

समस्यायें एवं रणनीतियाँ

जनपद फतेहपुर में सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने तथा उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु नियोजन की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण किया गया एवं समुदाय की सहभागिता के आलोक में कार्यनीति तय की गयी। इसके लिए शिक्षा विदों शिक्षक समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों तथा विभिन्न वर्ग की महिलाओ, ग्राम शिक्षा समिति की पदाधिकारियो एवं सदस्यों जनप्रतिनिधियों स्वैच्छिक संगठनों तथा अभिभावकों के साथ सामूहिक चर्चा की गई। समुदाय के साथ हुई चर्चा से प्राथमिक शिक्षा में विभिन्न प्रकार की समस्याये एवं ज्वलन्त मुद्दे जो उभर कर आये उन समस्याओं के समाधान हेतु 'सर्व शिक्षा अभियान' के अन्तर्गत जनपद में अपनाई जाने वाली रणनीति को निम्नवत प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

समस्यायें / मुद्दे	रणनीति
1. शिक्षा की पहुंच (क) 300 से अधिक आबादी वाले ग्राम / बस्तियां जहां पर प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक सुविधा मानक के अनुसार उपलब्ध नहीं है।	(क) सभी के लिए शिक्षा परियोजनान्तर्गत कराये गये सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण के आधार पर 139 ग्राम असेवित बस्तियां स्वयं चिन्हित की गई तथा यह संकल्प लिया गया कि इन बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जायें।

(ख) 300 से कम आबादी वाले ग्राम/बस्तियां जहां पर प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध नहीं है किन्तु 20–30 के बीच 6–8 वयवर्ग के बच्चे उपलब्ध हैं।	(ख) ऐसी बस्तियों को चिन्हित किया गया जहां इन बस्तियेां में 6–8 वयवर्ग के बच्चों प्राथमिक स्तर की शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शिक्षा गारन्टी येाजना के अन्तर्गत ई0 जी0 सी0 केन्द्र खोला जाना उपयुक्त होगा एवं नवाचार की शिक्षा की व्यवस्था करना ।
(ग) ऐसे ग्राम/बस्तियों/क्षेत्र जहां मलिन बस्तियां है तथा काम काजी बच्चे एवं 14 वयवर्ग के बच्चे जो किन्हीं कारणों से औपचारिक विद्यालयों में रहकर शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके तथा शिक्ष की मुख्य धारा से हट गये।	(ग) ऐसे ग्राम/बस्ती /क्षेत्रों में 9–14 वयवर्ग के उन बच्चों के लिए जो किन्हीं कारण वश शिक्षा की मुख्य धारा से हट गये हैं या शला त्यागी हो चुके हैं। उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने हेतु वैकल्पिक शिक्षा के 62 केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया गया है।
(घ) बाल श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र के लिए।	(घ) ऐसे विशेष क्षेत्र जहां बाल श्रमिक उपलब्ध है इन बालश्रमिकों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा एवं शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने हेतु ब्रिजकोर्स के माध्यम से अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्ताव है।

(ङ) ऐसे ग्राम/बस्तियां जहां बालिका नामांकन न्यूनतम है।	(ङ) ऐसे ग्राम/बस्तियां जहां किन्हीं कारणवश शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ी है। वहां ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन कर ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

2. नामांकन सम्बन्धी समस्यायें

(च) समुदाय की शैक्षिक सहभागिता में रूचि की कमी।	(च) ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन के सम्बल की कमी दिखाई पड़ती है। समुदाय को इस दिशा में जोड़ने हेतु ग्राम शिक्षा समितियां, अध्यापक, अभिभावक एवं मातृ सम्मेलनों को आयोजनों का प्रयास किया जायेगा।

3. आर्थिक विपन्नता –

1. ग्रामीण क्षेत्र में अभिभावकों का निर्धन होना	1. अनु0 जाति एवं आर्थिक रूप से निर्धन वर्ग के सभी छात्रों एवं सम्पूर्ण वर्ग की छात्राओं हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की प्रवेश के समय ही उपलब्धता का प्रयास किया जायेगा। तथा छात्र/छात्राओं को प्रवेश हेतु प्रेरित किया जायेगा।

2. बच्चों का घरेलू कार्यों एवं बाल श्रमिक के रूप में व्यस्त रहना	2. ऐसे ग्राम तथा बस्तियाँ जहां कुटीर उद्योग तथा दुकानो में बाल मजदूर के रूप में बालक कार्य करते हैं तथा माता–पिता के धनोपार्जन कार्य में सहयोग देते हैं जिससे विद्यालयों में नामांकित होने से वंचित रह जाते हैं उनके लिए शिक्षा गारन्टी केन्द्र एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित करने पर बल दिया जायेगा। और इन्हीं केन्द्रों पर बच्चों के नामांकन का प्रयास किया जायेगा।
3. छात्रवृत्ति योजना का उपयुक्त क्रियान्वयन होना	3. ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि का उपयोग अभिभावक अपने बच्चों के शैक्षिक आवश्यकता, गणवेश, लेखन सामग्री पर व्यय करें। अनु0 जाति, पिछड़ावर्ग, अल्प संख्यक वर्ग के साथ–साथ अन्य निर्धन वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित कराया जाय।

4. पोषाहार वितरण में 80 प्रतिशत उपस्थिति के मानक का पालन न होना।	4. पोषाहार वितरण मे ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से अभिभावकों को प्रेरित किया जायेगा कि इस योजना से उनका बच्चा तभी लाभान्वित होगा जब उसकी उपस्थिति 80 प्रतिशत होगी।

3. ठहराव सम्बन्धी समस्यायें

(क) विद्यालय परिवेश तथा सौदर्यीकरण	(क) सभी के लिए शिक्षा परियोजनान्तर्गत पर्याप्त विद्यालय भवनो का निर्माण कराया गया है किन्तु अधिकांश विद्यालयों में चहारदीवारी न होने के कारण छात्रों द्वारा बागवानी आदि का कार्य करके विद्यालय परिसर को बनाया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा हूं। इसके अतिरिक्त भवनों की रंगाई पुताई समय से नहीं हो पाती इसलिए चहारदीवारी निर्माण तथा भवनों के रख–रखाव हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसके लिए ग्राम शिक्षा समितियों को धन के सदुपयोग की प्रेरणा दी जायेगी।

(ख) विद्यालय भवन परिसर की सुरक्षा का अभाव	(ख) पंचायती राज व्यवस्था में विद्यालयों की अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण ग्राम पंचायतों को हो चुका है। ग्राम शिक्षा समितियों एवं ग्राम पंचायतों को इसकी सुरक्षा के उत्तर दायित्व का बोध उनकी शैक्षिक कार्यो में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से कराया जायेगा।
(ग) जन सहयोग एवं जन समर्थन की कमी	(ग) विद्यालय में समय–समय पर विभिन्न अवसरों पर जनप्रतिनिधियों अभिभावकों मातृ सम्मलनों में इस बात पर विशेष बल दिया जायेगा कि वे अपने–अपने अभिभावकों को पूरे समय तक विद्यालयों में छात्रा को उपस्थित रहने में सहयोग करें।
(घ) कक्षा कक्षों एवं शिक्षकों की कमी	(घ) प्रभावी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा छात्र शिक्षक का 40:1 का अनुपात निर्धारित है। इसको पूरा करने हेतु वांछित संख्या में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का प्रयास किया जायेगा। इसके अलावा प्रति अध्यापक एक कक्षा कक्ष का मानक पूरा करने हेतु वांछित शिक्षण कक्षो की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। ताकि नामांकित वृद्धि में फलस्वरूप कक्षों

	की कमी न होने पाये।
(ङ) शिक्षको का छात्रों के प्रति समर्पण की भावना में कमी।	(ङ) डाईट/ब्लाक संसाधन केन्द्रो में शिक्षकों की गुणवत्ता संवर्धन हेतु आयोजित प्रशिक्षण में शिक्षको का छात्र केन्द्रित शिक्षा देने पर विशेष बल दिया जायेगा।
4. गुणवत्ता :	
1. शिक्षकों में नवीन पाठ्यक्रमानुसार ज्ञान की कमी।	1. नवीन पाठ्यक्रम के आलोक में ब्लाक स्तर पर शिक्षकों का समय–समय पर विषय विशेषणों द्वारा पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा।
2. विद्यालय परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षण की कमी।	2. प्रायः ग्रामीण अंचलों में उन विद्यालय में जहां शिक्षकों का मानक किन्हीं धारणों से पूरा नहीं हो पाता ऐसे विद्यालयों के अध्यापकों को बहुकक्षीय शिक्षा देने का प्रयास किया जायेगा। इसके लिए डाईट एवं ब्लाक स्तर पर व्यवस्था की जायेगी।
3. निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण	3. निरीक्षण अधिकारियों का ब्लाक स्तर पर केवल प्रशासनिक कार्यो एवं सूचना प्रेषण तक रह गया है। उनको समय–समय पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। इस हेतु जनपद तथा राज्य स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित

	करने पर बल दिया जायेगा जिससे नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान उन्हें भी हो सके। जिससे वे निरीक्षण के समय विद्यालय के शैक्षिक गुणवत्ता सुधार में अपना मार्ग दर्शन दे सकेंगे।
4. समुदाय का प्रशिक्षण	4. ग्राम शिक्षा समितियों का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा। इसमें स्थानीय योग्य सेवा निवृत्त तथा शिक्षा में विशेष रूचि रखने वाले व्यक्तियों का सहयोग लिया जायेगा।
5. शिक्षकों का शिक्षण से अन्य कार्यों में अधिक व्यस्त रहना।	5. शिक्षकों से भवन निर्माण पल्स पोलियों, जनगणना, स्वास्थ्य परीक्षण मतदाता सूची का परीक्षण के कार्यों में लगाया जाता है इसके अलावा प्रधानाध्यापकों से अनेकों सूचनाओं का संकलन कराया जाता है। जिससे उनकी पठन–पाठन क्षमता में कुप्रभाव पड़ता है। अतः उक्त कार्यों से शिक्षकों को मुक्त रखने का प्रयास किया जायेगा।
5. संस्थागत क्षमताओं सम्बन्धी समस्यायें	
(अ) न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयकों का दक्ष न होना	(अ) डाइट में इनके पुनर्बोध की व्यवस्था की जायेगी।
(ब) डाईट/बी0 आर0 सी0 में विद्यालय	(ब) डाईट एवं ब्लाक स्तर विद्यालयी

परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षण न देना	परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रस्तावित है।
(स) प्रारम्भिक शिक्षा मे शोध कार्यो की कमी	(स) डाईट द्वारा समय–समय पर आने वाली समस्याओं पर शोध कार्य कर उनके निष्कर्षो को विद्यालय स्तर तक पहुंचाने एवं अनुभव की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अध्याय –6

पहुँच में विस्तार एवं औपचारिक विद्यालय

6.1 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6–11 वयवर्ग के सभी बच्चों को औपचारिक शिक्षा में लाने के उद्देश्य से तथा जो बस्तियाँ अभी तक असेवित है उन्हें औपचारिक विद्यालय उपलब्ध कराने हेतु केवल (55) नवीन विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

जनपद में की गई माइक्रोप्लानिंग के आधार पर ग्रामों/बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय मानक के अनुसार उपलब्ध नहीं है। इनका विवरण सं0 6–1 में दर्शाया गया है।

सारणी – 6.1

क्र० सं०	विकास क्षेत्र का नाम	असेवित ग्राम/बस्तियों की संख्या
1.	देवमयी	03
2.	मलवा	08
3.	अमौली	05
4.	खजुहा	04
5.	तेलियानी	04
6.	भिटौरा	08
7.	हंसवा	02

8.	बहुआ	04
9.	असोथर	06
10.	हथगाम	04
11.	ऐराया	04
12.	विजयीपुर	03
13.	धाता	—
	कुल	55 *

स्रोत माइक्रोप्लानिंग के आधार पर

* 55 विद्यालय वर्ष 2003–04 मे स्वीकृत किये जा चुके है।

उक्त असेवित ग्राम/बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण प्रथम दो वर्षों में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। जो कि प्रथम वर्ष में (25) और द्वितीय वर्ष में (30) निर्माण कराया जोगा। जिसमें असेवित ग्राम/बस्तियों के बच्चों को विद्यालयी सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। तथा शिक्षा अभियान के लक्ष्य की प्राप्ति हो जायेगी। जनसंख्या वृद्धि दृष्टिगत वर्ष 2005-06 मे 05 प्रा वि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

6.2 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना:

मानक के अनुसार ऐसे असेवित ग्राम/बस्तियां जहां की आबादी 800 तथा दूरी 3 किमी है उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेगें। जनपद में कराये गये माइक्रोप्लानिंग के सर्वे के अनुसार (250) बस्तियां असेवित है। जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित हैं। इस अभियान के अन्तर्गत कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य से दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित है। जो अधिक सुदृढ़ ढांचे वाले प्राथमिक विद्यालय के प्रागंण में होगा। मानक के अनुसार कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या (~~78~~ 83) होगी। जनसंख्या वृद्धि दृष्टिगत वर्ष 2005-06 में 05 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्रस्ताव है।

विकास खण्ड वार असेवित ग्राम/बस्तयों की संख्या सारणी 6–2 मे दर्शायी गयी है।

सारणी 6.2
विकास खण्डवार असेवित बस्तियां

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम/बस्तियों की संख्या
1.	देवमयी	04
2.	मलवा	10
3.	अमौली	09
4.	खजुहा	04
5.	तेलियानी	07
6.	मिटौरा	02
7.	हसवा	01
8.	बहुआ	04
9.	असोथर	03
10.	हथगाम	06
11.	ऐराया	03
12.	विजयीपुर	01
13.	धाता	01
	कुल	55*

स्रोत माइक्रोप्लानिंग के आधार पर

* 55 विद्यालय वर्ष 2003–04 मे खोले जा चुके है

सारणी सं० 6.21

वर्ष वार उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
2002–03	—	23
2003–04	55	55
2005-06	05	05
योग	60	83

( ) विद्यालयों का निर्माण प्रति तीन वर्षों में कराया जायेगा। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु स्थलों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। दो प्राथमिक विद्यालयों में से एक प्राथमिक विद्यालय के प्रागण में कराया जायेगा जिसमें भूमि उपलब्ध होगी जहां बच्चे सुविधापूर्वक विद्यालय पहुंच सकें। विद्यालय का निर्माण गुणवत्ता को ध्यान में रख कर कराया जायेगा। जिसका तकनीकी पर्यवेक्षण अवर अभियन्ता द्वारा किया जायेगा।

6.3 शिक्षक की व्यवस्था :

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा एक शिक्षा मित्र की नियुक्ति प्रस्तावित है जो छात्र संख्या के अनुपात में बढाई जायेगी। प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा कुल चार सहायक अध्यापकों की व्यवस्था

प्रस्तावित है। चार अध्यापकों में से एक विज्ञान एक गणित तथा एक महिला शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी। वर्ष आवश्यक नीचे सारणी 6–3 में दी गयी है।

सारणी – 6.3

वर्ष वार अतिरिक्त शिक्षको की आवश्यकता

वर्ष	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक		
	कुल प्रस्तावित वि.	शिक्षक	शिक्षा मित्र	कुल प्रस्तावित वि0	प्रधान शिक्षक	सहा0 शिक्षक
2002–03	–	–	–	23	23	46
2003–04	55	55	55	55	55	110
2004–05	–	–	–	–	–	–
2005–06	– 05	– 05	– 05	– 05	– 05	– 10
2006–07	–	–	–	–	–	–

स्रोत: जनपद के माइक्रोप्लानिंग के आधार पर

6.4 विद्यालय साज सज्जा :

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध कर ली जायेगी जिसमें मेज, कुर्सी, अध्यापकों के लिए आलमारी, सन्दूक पत्रिकायें खेल सामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें अन्य सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम में कर ली जायेगी। विद्यालय की साज सज्जा

हेतु प्राथमिक विद्यालयो को दस हजार रुपया प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में देय है। इसकी व्यवस्था सर्व शिक्षा योजना के अन्तर्गत पूरा किया जायेगा।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में काष्ठोपकरण, शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, पुस्तकालय के लिए व्यवस्था कराई जायेगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर नवीन खुलने वाले विद्यालयों को रु0 50,000/– (रु0 पचास हजार) प्रति विद्यालय योजना द्वारा दिया जायेगे। जिससे समस्त साज–सज्जा की सामग्री क्रय की जायेगी।

6.5 पेयजल शौचालय एवं चहारदीवारी :

नवीन प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पीने की पानी की व्यवस्था हेतु इंडिया मार्का द्वितीय हैण्ड पम्प सुलभ कराये जायेगे। प्रत्येक विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय की व्यवस्था होगी। सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय प्रागंण को सुसज्जित एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से चहार दीवारी का निर्माण कराया जायेगा नवीन खुलने वाले विद्यालयों की प्राप्त निर्माण धनराशि में हैण्ड पम्प तथा शैचालय की धनराशि सम्मिलित है

इसके अतिरिक्त समुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयो के प्रति स्व की भावना को जागृति करने के उद्देश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय किया जायेगा।

6.6 कम विकल्प के लागत के भवनो का निर्माण

उच्च प्राथमिक विद्यालयो क भवनो के निर्माण मे पूर्ण रुपेण यह प्रयास रहेगा कि भवनो का निर्माण एसे स्थानो पर कराया जाये जिससे कम विकल्प के लागत से भवन निर्मित हो सके। जैसे कि पूर्व से स्थापित प्राथमिक विद्यालयो के प्रांगण मे उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण करया जाय ताकि चाहारदीवारी/पेयजल सुविधा एवं शौचालय जैसे कार्यो की धनराशी की बचत हो सके। जन समुदाय का

सहयोग लिया जायेगा। मानक के ही अनुरुप कम लागत की भवन की नवीन डिजाइन भी विकसित की जा सकती है।

6.7 शैक्षिक सुविधाओ की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण

प्रथमतः नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयो की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धरित बस्ती की आबादी एवं दूर के मानक के अनुसार की जायेगी जनपद में छात्र/छात्राओ की उपलब्धता की दृष्टिगत रखते हुए जनपद मे नवीन प्राथमिक विद्यालयो की आवश्यकता एवं विद्यालयो मे भौतिक सुविधओ के प्राकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रति वर्ष कराया जायेगा जिसके बाद आगामी वर्ष मे बजट एवं वार्षिक कार्य योजना मे नवीन विद्यालयो तथा सुविधाओ का प्रस्ताव सम्मलित किया जायेगा सर्वेक्षण कार्य के लिए 2 लाख का वित्तिय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों/सूचना का प्रयोग परियोजना के वित्तिय वर्ष मे किया जायेगा।

सन 2001 की जनगणना क आधार पर गाववार विस्तृत आंकडें प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने पर** आवश्यकता क अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) मे एवं जनसख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालयां का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

अध्याय – 7

शिक्षा गारन्टी योजना तथ वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना

जनपद फतेहपुर की सामाजिक पृष्ठ भूमि :

जनपद फतेहपुर गंगा–जमुना के दोआब में स्थित है तथा शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी पिछड़ा है। यहां की अधिकाश आबादी पिछड़ी जाति, अनु0 जाति एंव अल्प संख्यकों से आच्छादित है। सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग (24.72) प्रतिशत निवास अनुसूचित जातियो का जो समान रूप से सभी विकास खण्डो में रहते हैं। ये लोग पिछड़े है उनकी आर्थिक दशा सोचनीय हे। अनुसूचित जाति की तरह जनपद में लगभग (12.57) प्रतिशत मुस्लिम है। इनके बच्चे मां बाप के साथ बीडी बनाते तथा पशुओ की देखरेख करते हैं जिससे विद्यालयी शिक्षा से दूर रहते हैं अथवा नामांकन कराकर शालात्याग कर जाते हैं। मुस्लिम मुख्यतः जनपद की खागा तहसील में अत्यधिक निवास करते हैं।

7.1 सूक्ष्म नियोजन का आधार :

सभी के लिए शिक्षा परियोजनाके अन्तर्गत जनपद में सूक्ष्म नियोजन कराया गया था। उसी को आधार मान कर विकास खण्ड वार निर्धारित प्रारूप पर सूचनाये संकलित की गयी है।

1. शिक्षा गारन्टी योजना :

इस योजना के अन्तर्गत 6–8 वयवर्ग के बच्चों को पंजीकृत कराए जाने का लक्ष्य है। ऐसे ग्रामो–वस्ती, मजरें, जो विद्यालय परिक्षेत्र से 1 किमी की परिधि के बाहर है तथा जहा 30 बच्चे उपलब्ध हो ऐसे स्थनों पर केन्द्रो की स्थापना की जायेगी। इन केन्द्रो का संचालन सर्व शिक्षा अभियान के तहत होगा। इन केन्द्रो मे कक्षा 1 से 2 तक

कक्षाएं संचालित होगी। जिनके संचालनार्थ प्रति केन्द्र एक आचार्य जी को मान देय पर कार्य हेतु मनोनीत किया जायेगा।

7.2 वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम :

ड्रापआउट होने तथा अधिक आयु हो जाने के कारण जिनमें मुख्यतः काम काजी व बाल श्रमिक बच्चे शामिल है। उनको शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जिन ग्राम/मजरों/बस्ती में 15–20 तक बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित होगे वहां केन्द्र की स्थापना की जायेगी ये केन्द्र प्राथमिक/उच्च प्राथमिक दोनों स्तर पर चलाये जायेगें। प्राथमिक स्तर पर एक अनुदेशक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर दो अनुदेशक की व्यवस्था की जायेगी।

7.3 माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नियोजन की प्राथमिकता

7.3 **(1) अनुसूचित जाति क्षेत्र**

7.3 **(2) ऐसे क्षेत्र जहां ड्राप आउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक है।**

7.3 **(3) ऐसे क्षेत्र जहां बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत कम हो।**

7.3 (4) ऐसे क्षेत्र जहां बाल श्रमिक धुमन्तू स्ट्रीट चिल्ड्रेन तथा खतरनाक/गैर खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों की संख्या अधिक हो।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम – III के अन्तर्गत जनपद की वैकल्पिक शिक्षा ई0 जी0 एस0/ए0 आई0 ई0 की प्रगतिः

जनपद मे डी0 पी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत 100 ई0 जी0 एस0 केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित है। जिसमे से 60 केन्द्र संचालित है शेष 40 केन्द्र 2002–2003 मे खोले

जायेगे। इसी प्रकार जनपद की वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत ए0 आइ0 ई0 के 150 स्वीकृति के सापेक्ष 15 संचालित है। शेष 135 आगामी वर्ष 2002–03 मे खोले जायेगे। इन संचालित 15 केन्द्रों मे से 5 मकतब भी सम्मिलित है। केन्द्रो मे लाभार्थी एवं केन्द्रो का विवरण निम्नांकित है :–

सारणी 7.1

	स्वीकृत केन्द्रो की संख्या	संचालित केन्द्रो की संख्या	2002–03 मे संचालित केन्द्रो की संख्या	संचालित केन्द्रो का नामांकन		
				बालक	बलिका	योग
ई.जी.एस.	100	60	40	1095	1014	2109
ए.आई.ई.	145	10	135	83	91	174
मकतब	05	05		81	86	167

जनपद मे 6–14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चो के लिए शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत 162 केन्द्र तथा वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत 152 केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य निर्धरित किया गया है जनपद मे 6–8 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चो की संख्या 4335 तथा 9–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चो की कुल संख्या 7199 है। जैसा कि निम्न सारणी मे दर्शाया गया है।

सारणी 7.2

6–8 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चो की संख्या	9–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चो की संख्या

बालक	बालिका	योग	प्रस्तावित ई. जी.एस. केन्द्रो की सं.	बालक	बालिका	योग	प्रस्तावित ए. आइ.ई. केन्द्रो की सं.
2287	2048	4335	162	3777	3422	7199	152

परिवार सर्वेक्षण आकडों का अद्याविकरण

माइकोप्लानिग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6–11, 11–14 वर्ष के बच्चो के बारे में विवरण प्राप्त कर आउट आफ स्कूल बच्चो को चिन्हित किया जायेगा। अन्डर एज व ओवर एज के बच्चो को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयु बार बच्चो को चिन्हित करने तथा विवरण प्राप्त करने हेतु सर्वेक्षण प्राप्त मे संशोधन किया जायेगा ताकि समस्त विवरण प्राप्त किया जा सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आकडो को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रु0 5000/– की वित्तीय व्यवस्था रक्खी गयी है। माइकोप्लानिग के अन्तर्गत 11–14 वर्ग के बच्चो की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विभाजित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन मे इसका प्रयोग किया जायेगा। इस आधार पर 9–11 वर्ग के बच्चो को चिन्हित किया जाना आगामी वर्ष मे आकडो के वार्षिक आकन के समय इस सूचना का भी आंकन किया जायेगा कि बच्चो को डाप आउट किन किन कक्षाओ मे है ताकि वंक्षित सूचनाओ का समावेश एवं बच्चो को पुनः विद्यालय से जोडा जा सके।

सारणी 7.3

परिवार सर्वेक्षण वर्ष 2003–04

जनपद फतेहपुर

क्रम	विकास खण्ड	कुल बच्चों की संख्या				स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या				स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या					
		बालक		बालिका		बालक		बालिका		बालक			बालिका		
		6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	5–6	7–10	11–14	5–6	7–10	11–14
1	देवमई	11700	5782	9533	4730	10496	5489	9205	4514	910	294	293	284	44	216
2	खजुहा	13649	4252	11607	3340	13618	3864	11490	3210	05	26	388	87	30	130
3	अमौली	11892	3872	10734	3381	9820	3645	9222	3320	2020	52	207	1434	78	61
4	मलवा	15618	[illegible]	13564	4615	14660	5703	13264	4369	630	328	287	–	300	246
5	हसवा	15469	4393	13015	3375	14848	4026	12335	3220	329	292	367	354	326	155
6	बहुआ	13448	[illegible]	10849	4531	11601	4588	3635	4410	100	1747	880	158	2056	121
7	भिटौरा	14576	[illegible]	12384	3407	11396	4337	8125	3252	125	3055	1837	2123	2136	155
8	तेलयानी	10422	4438	9359	3666	9704	4052	8719	3635	655	63	386	574	66	231
9	असोथर	13123	4849	10831	3419	12588	4044	1013	3198	651	84	805	526	172	221
10	ऐराया	14286	5145	12115	4952	13109	4422	11219	4382	505	654	723	618	278	570
11	हथगाँव	14867	5136	13210	3919	12859	4744	11247	3322	435	1573	394	408	1555	595
12	विजयीपुर	14170	4634	11924	3423	13623	3934	11489	2824	300	247	700	213	222	599
13	धाता	12236	[illegible]	12069	4289	11769	4826	11313	4036	229	238	245	472	284	243
14	नगर फतेहपुर	11951	6493	11538	6246	9389	6063	8790	6207	2156	406	2435	2205	543	39
15	नगर बिन्दकी	3773	1358	3306	1120	3683	1308	3241	1110	05	85	50	15	50	10
	योग	191162	73062	166030	5860	.72963	63065	148427	55009	9055	9144	9997	9476	8140	3592

सारणी 7.4

जनपद फतेहपुर

विकास खण्ड	अपने क्षेत्र के कामों में लगे रहना						मजदूरी में लगे रहना						विद्यालय दूर होने के कारण						अन्य					
	5 से 6		7 से 10		11 से 14		5 से 6		7 से 10		11 से 14		5 से 6		7 से 10		11 से 14		5 से 6		7 से 10		11 से 14	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
दयमई	271	256	254	–	267	204	12	–	10	18	22	06	–	08	–	10	04	06	627	20	30	16	–	–
खजुहा	–	80	20	28	260	80	–	–	–	–	70	50	–	–	–	–	–	–	05	07	06	02	58	–
अमौली	12	16	22	37	41	59	02	–	08	04	03	01	12	09	09	11	06	01	1994	1409	13	26	157	–
मलवा	–	–	328	300	137	256	–	–	–	–	150	–	–	–	–	–	–	–	630	–	–	–	–	–
हसवा	329	354	292	326	242	155	–	–	–	–	125	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बुआ	37	68	260	686	51	121	–	–	–	–	204	–	30	53	74	119	625	–	33	37	1413	1251	–	–
भिटौरा	–	–	2163	1913	1837	155	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125	2123	892	223	–	–
तेलयानी	93	102	19	34	285	164	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45	67	562	472	44	32	56	–
असाथर	96	90	40	49	89	93	–	–	14	29	98	128	120	17	–	41	611	–	435	419	30	53	07	–
एराया	–	251	526	147	449	476	35	100	–	47	29	82	–	56	08	20	140	112	470	431	120	64	105	–
हथगाँव	130	112	329	341	369	398	13	–	44	05	–	197	–	–	37	36	25	–	292	296	1163	1167	–	–
विजयीपुर	200	190	186	157	250	453	–	–	58	40	346	146	–	–	–	10	–	–	100	23	03	15	04	–
धाता	–	–	90	103	180	228	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	229	272	148	181	65	–
नगर फतेहपुर	–	06	13	09	24	23	32	04	09	10	16	12	15	07	–	11	12	04	2109	2188	384	513	2383	–
नगर बि0	05	05	80	45	45	10	–	–	05	05	05	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–
योग	1173	1510	4612	4181	4626	2865	94	104	148	158	1068	622	177	150	128	258	1468	105	7611	7707	4246	3543	2835	–

सारिणी – 7.5

विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण
(ई0 जी0 एस0)

कारण	5 – 6			6 – 10			11 –'14			अन्य		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
घर पर कायो में लगे रहना	1173	1510	2683	4622	4181	8803	4626	2865	7491	10421	8556	18977
विद्यालय दूर होना	177	150	327	128	258	386	1468	105	1573	1773	513	2286
मजदूरी मे लगे रहना	94	104	198	148	158	306	1068	622	1690	1690	884	2194
अन्य	7611	7707	15318	4246	3543	7789	2835	–	2835	14692	11250	25942
योग	9055	9470	18526	9144	8140	17248	9997	3592	13589	28196	21203	49399

स्रोत– माइक्रोप्लान को आधार मानकर।

स्कूल न जो वाले बच्चो को मुख्य धारा से जोडने की रणनीतियॉ

विद्यालय दूर होने के कारण एव अन्य कारण से विद्यालय न जाने वाले 7 से 10 एव 11 से 14 वय वर्ग के बच्चे के लिए प्रतिवर्ष 02–02 ब्रिज कोर्स 50–50 बैक टू स्कूल कैम्प, 162 ई. जी एस. केन्द्र 152 ए. आई. ई. खोलकर उन्हे मुक्ष्य धारा से जोडने का प्रवधान किया गया है। धरेलू एव मजदूरी मे लगे हुये बच्चो को समर कैम्प के माध्यम से विद्यालय की मुख्य धारा से जोडने का प्रवधान किया गया है। समर कैम्प का प्रस्ताव प्रतिवर्ष 65 65 कैम्पो का किया गया है।

सारणी 7.6

शिक्षा गारन्टी केन्द्र वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्र का स्वरुपः

चरण	ई.जी.एस. शिक्षा गारन्टी केन्द्र	ए.आइ.ई. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र
प्रथम 02–03	50	70
द्वितीय 03–04	60	60
तृतीय 04–05	52	22
योग	162	152

7.6 शिक्षा गारन्टी योजना एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों का संचालन समय :

केन्द्रों के संचालन का समय विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर देर शाम एवं रात्रि में नहीं रखा जायेगा। ये केन्द्र चार घंटे संचालित किये जायेंगे।

7.7 अनुदेशक चयन :

अनुदेशकों का चयन उसी स्थान समुदाय का होगा जहां यह केन्द्र स्थापित किया जायेगा। यदि उस गांव का अर्ह व्यक्ति नहीं है तो निकट के गांव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

अनुदेशक की न्यूनतम योग्यता हा0 स्कूल होगी इसमें महिलाओ को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशोको की न्यूनतम आयु 18 वर्ष चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा हाई स्कूल में परीक्षा के अंकों के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। अनुदेशको को आमंत्रण पत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। कार्य सन्तोष जनक न होने की स्थिति में 2/3 बहुमत से ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। कार्य सन्तोषजनक न होने की स्थिति में 2/3 बहुमत से ग्राम शिक्षा समिति प्रस्ताव करके अनुदेशक को हराया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

इसी प्रकार नगर क्षेत्र के अनुदेशको का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी/शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र सभा सद नगर का वरिष्ठतम् प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार मकतब मदरसो में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी हाफिज की नियुक्ति की जा सकती है। संम्बन्धित मकतब के प्रबन्ध समिति न्यूनतम 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को संचालित होने वाले केन्द्रों में नियुक्ति कर सकती है।

उ० प्र० स्तर के केन्द्रों के लिए अनुदेशक की न्यूनतम योग्यता स्नातक और 21 वर्ष की आयु होगी जहां स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। वहां इण्टरमीडिएट उर्तीण महिला का चयन किया जा सकता है।

7.8 अनुदेशक का प्रशिक्षण :

अनुदेशकों का 30 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में होगा। यह प्रशिक्षण एक माह का होगा। प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा 1500/– प्रति अनुदेशक, की दर से डायट को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक को कोई भी मानदेय नहीं होगा।

7.9 अनुदेशकों का मानदेय वितरण :

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर अनुदेशक को मानदेय के रूप में 1000/– ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। जिसका भुगतान चेक के माध्यम से किया जायेगा। मानदेय की 6 माह की धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। इसी प्रकार नगर क्षेत्र में संचालित शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों का चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

पर्यवेक्षण :

इन केन्द्रों के सफल संचालन एवं पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0 डी0 आई ब्लाक रिसोर्स पर्सन (वी0 आर0 सी0)/एन0 पी0 आर0 सी0 द्वारा

किया जायेगा। नगर क्षेत्र के केन्द्रों का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी तथ अन्य लोगों द्वारा उसी प्रकार पर्यवेक्षण किया जायेगा साथ ही प्रा० तथा उ0 प्रा0 विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।

मानदेय की व्यवस्था :

परियोजना द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप ग्राम स्तरीय पर्यवेक्षण हेतु 400/– न्याय पंचायत स्तर पर 300/– प्रतिकेन्द्र और ब्लाक स्तर पर 200/– मानदेय उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। निरीक्षण आख्याए सहा0 बे0 शि0 अधि0 एस0 डी0 आई0 के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं स्वीकृति प्राप्त होने पर इस धनराशि को आहरित किया जा सकेगा।

7.10 निःशुल्क शिक्षण सामग्री :

साज सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सीधे ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा सामग्री क्रय करके सीधे केन्द्र अनुदेशकों को उपलब्ध कराई जायेगी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जायेगी। शिक्षण सामग्री में रु0 845/– प्राथमिक स्तर रु0 1200 रु0 प्राथमिक स्तर से किया जायेगा।

शिक्षा गारन्टी योजना में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही प्रयोग में लायी जायेगी।

7.11 छात्र –छात्राओं का मूल्यांकन –

अनुदेशकों द्वारा समस्त पढ़ाने वाले बच्चों का सतत एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। बच्चों का तिमाही, छमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक एवं लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को शीघ्र ही औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाये। अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उसके यहां पढ़ने वाले बच्चे शीघ्रातिशीघ्र शिक्षा की मुख्य धारा से

अधिक से अधिक संख्या में प्रवेश पाते रहे। अनुदेशक का भी मूल्यांकन ग्राम शिक्षा समितियो द्वारा समय–समय पर किया जायेगा। कक्षा–5 में पढ़ने वाले बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परीक्षा में सम्मिलित कराने हेतु प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी।

7.12 ब्रिज कोर्स ग्रीष्मकालीन कोर्स/ क्षेत्र आधारित कोर्स

इसका उद्देश्य 9–14 वय वर्ग के ऐसे बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं। उनका प्रवेश इनमे कराया जायेगा। ये शिविर आवासीय होगे इनमें रहने खाने पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निः शुल्क होगी।

निर्धारित मानकों के आधार पर इन शिविरों में एक केयर टेकर दो पैराटीचर एक रसोईयां एक चौकीदार की आवश्यकता होगी। इनका चयन मानक के अनुसार होगा। छात्र–छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री वित्तीय मानक प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी की भांति रखी जायेगी। केवल आवासीय व्यवस्था, खानेपीने की निःशुल्क की जायेगी। ब्रिज कोर्स खोलने हेतु उन्हीं स्थानों को प्राथमिकता दी जायेगी। जहां निःशुल आवास व्यवस्था उपलब्ध हो सके। ध्यान रहे ये विकास खण्ड तथा जनपद मुख्यालय में स्थापित हो इनकी अवधि 4 माह से 18 माह तक होगी। 300/– प्रति छात्र/छात्रा अनुमन्य होगी इसी से पूर्ण व्यवस्था होगी।

सारणी 7.7

वर्ष	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
ब्रिज कोर्स	2	2	2	2

1.13 ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका

(1) कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना।

(2) अनुदेशकों का चयन करना।

(3) केन्द्रों का समय निर्धारित करना।

(4) केन्द्रो का प्रतिदिन निरीक्षण करना।

(5) नियमित रूप से अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान करना।

(6) निर्माण कार्य करवाना।

7.14 विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका

(1) ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्ताव का संकलन करना।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रोप्लानिंग कराना समीक्षा करना तथा प्रस्ताव तैयार करना।

(3) केन्द्रो तथा शिवरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण अनुश्रवण की व्यवस्था करना।

7.15 विकालांग बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा:

जनपद फतेहपुर में पढ़ने वाले विकलांग बच्चों को विकास खण्ड वार चिन्हित कर केन्द्रों की स्थापना करना। विकलांग बच्चे शिक्षा से वंचित न रह जाय इस पर पूर्ण प्रयास किया जायेगा। चलने में यदि असमर्थ है तो उनके घर के निकट केन्द्र खोला जायेगा। उसे साईकिल आदि उपकरण आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध कराना भी प्रस्तावित है।

7.16 बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :

जिन गांवों बस्ती, नगरों में बालिका साक्षरता न्यूनतम है ऐसे गांवो में बालिका वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे। तथा महिला अनुदेशिका की व्यवस्था की जायेगी। इनमें सामुदायिक सहभागिता, कला, महिला मंगल दल, मां बेटी, मेला, किशोरी संघ आदि से चेतना जागृति एंव बालिका शिक्षा की रूचि को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। महिला साक्षरता दर की न्यूनता के आधार पर ब्लाक में प्राथमिकता के आधार पर केन्द्र खोले जायेगें।

7.16 बैक टू स्कूल कैम्प :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कारणो से शिक्षा से वंचित हो जाने बच्चो को शिक्षा से जोडने के लिए भी हमे प्रयास करना होगा। जिसके अन्तर्गत भिन्न–भिन्न वर्ग के बच्चो के लिए भिन्न–भिन्न प्रयास आपेक्षित है। इसी के अर्न्तगत "बैक टू स्कूल कैम्प योजना" भी एक प्रयास है। जिसके अन्तर्गत जनपद मे 10 दिवसीय 213 कैम्प आयोजित करने का निर्धारित किया गया है। जिसका वर्षवार विवरण निम्न है :–

सारणी संख्या 7.8

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
कैम्प की सं0	0	0	50	50	50

7.17 अल्प संख्यकों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :

जनपद का अधिकांश 6–14 वय वर्ग के निरक्षर बच्चे इसी समुदाय से सम्बन्धित है जो केवल मकतब में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मकतब मदरसों में शिक्षा केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है इस धर्म का व्यक्ति यदि हा0 स्कूल पास है तो उसे अनुदेशक के रूप में चिन्हित किया जाय। वहां निःशुल्क बेसिक शिक्षा की पाठय पुस्तकें उपलब्ध कराकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

अध्याय 8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम –:

विद्यालयो का पुर्ननिर्माण

जनपद मे कुल 198 प्रा. वि. एवम 27 उच्च प्रा. वि. का पुर्ननिर्माण कराया जान है। जिसमे 97 प्रा. वि. डी. पी. ई. पी.।।। के द्वारा निर्मित करा ए जायेगें शेष 101 प्रा. वि. तथा 27 उ. प्रा. वि. कुल 128 विद्यालयो का पुर्ननिर्माण सर्व शिक्षा अभियान के तहत कराया जायेगा। जिसका विवरण निम्न तालिका मे दर्शाया जायेगा।

तालिका सं. 8.1

विद्यालय	कुल पुर्ननिमार्ण योग्य विद्यालयो की संख्या	डी. पी ई. पी. III के अन्तर्गत निमार्ण	सर्व शिक्षा अभियानउ के अन्तर्गत पुर्ननिपार्ण को प्रस्तावित संख्या		
			2002–03	2003–04	योग
प्राथमिक	97	97	0	0	0
उच्च प्राथमिक	0		0	0	0

अतिरिक्त कक्षा कक्ष

(1) प्राथमिक स्तर :–

वर्तमान में कक्षा कक्षो की उपलब्धता के अनुसार विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार है:–

सारणी 8.2

प्राथमिक विद्यालयो मे अतिरिक्त कक्षा कक्षो की उपलब्धता

क्र0 सं0	कुल विद्यालय	कक्ष का प्रकार	विद्यालय में कक्षों की उपलब्धता
1	11	एक कक्षीय	11
2	1312	द्वि–कक्षीय	2624
3	148	तीन – कक्षीय	444
4	23	चार–कक्षीय	92
5	–	पाँच कक्षीय	–
6	03	शून्य कक्षीय (पुन निर्माण / भवनहीन	–
योग	1497	–	3171

स्रोत – विभागीय आँकड़ो के अनुसार।

र्तमान मे 3171 प्रा. वि. मे अतरिक्त कक्षा कक्ष उपलब्ध है। किन्तु 23 विद्यालय जो 4 कक्षीय है के 23 कक्ष स्थान्तरित न होने की दशा मे 3171–23 = 3148 अतरिक्त कक्षा कक्ष की उपलब्धता दशायी जा रही है। इस प्रकार वर्ष 2003–04 की स्वीकृतियो को लेते हुये कुल 1532 वद्यालयो को कम से कम जीन कक्षीय बनाने हेतु 1448 अतरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता होगी जिन्हे वर्षवार तालिका 8.3 मे दर्शाया जा रहा है।

तालिका सं. 8.3

प्राथमिक विद्यालयो मे अतरिक्त कक्षा कक्षों की वर्षवार आवश्यकता

कमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	प्रति विद्यालय 3 कक्ष की दर से	वर्तमान कक्षा कक्ष	आवश्यकता अति कक्षा कक्ष एस एस ए प्रमाणित
1	2002–03	1477	4431	3148	–
2	2003–04	1532	4596	3148	–
3	2004–05	1532	4596	3148	484
4	2005–06	1532	4596	3622	484
5	2006–07	1532	4596	4116	480

सारणी 8.3 (3)

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षो की उपलब्धता,

क्र0 सं0	कुल विद्यालय	कक्ष का प्रकार	विद्यालय में कक्षो की उपलब्धता
1	4	एक कक्षीय	4
2	6	दो कक्षीय	12
3	54	तीन कक्षीय	162
4	178	चार कक्षीय	712
6	07	शून्य कक्षीय	–
योग	249	–	890

तालिका सं. 8.3 (4)

अतरिक्त कक्षा कक्षों की वर्षवार आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1 :4 की दर से	वर्तमान कक्षा कक्ष	आवश्यकता अति कक्षा कक्ष एस एस ए मे प्रति वर्ष	एस एस ए में प्रस्तावित
	1	2	3	4	5	6	7
1	2003–04	194	55	996	390	106	
2	2004–05	249	0	996	890	106	36
3	2005–06	249	0	996	926	70	35
4	2006–07	249	0	996	961	35	35

8 : 4 शौचालय

प्राथमिक स्तर पर अभी भी 913 विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक स्तर के 109 विद्यालय शौचालय विहीन है। प्राथमिक स्तर के 378 विद्यालयों मे शौचालय डी.पी.ई.पी. ।।। द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। एस. एस. ए. मे 606 प्राथमिक एवं 35 उच्च प्राथमिक विद्यालय के कुछ — शौचालयों का निर्माण कराया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित है जिसका वर्षवार विवरण निम्नंकित तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका सं. 8.4

वर्ष	2002–03		200: -0'	२००5-0	कुल
विद्यालयों की संख्या					

वर्ष	२००2-03	२००3-04	२००4-05	२००5-06	२००6-07	योग
प्राथमिक	15	0	300	200	91	606
उच्च प्राथमिक	0	35	0	0	0	35

पेयजल

वर्तमान परिस्थितयो में 209 प्राथमिक एवं 126 उच्च प्रा. वि. पेयजल सुविधा से वंचित है प्राथमिक स्तर के 209 विद्यालयो मे पेयजल सुविध डी. पी. ई. पी द्वारा कराया जाना है। एस. एस. ए. मे 126 उच्च प्रा. वि. में पेयजल सुविधा सर्व शिक्षा अभियान में दो वर्षो मे उपलब्ध कराना प्रस्तावित किया गया है।

तालिका सं. 8.5

वर्ष	2002–03	2003–04	कुल
विद्यालयो की संख्या	63	63	126

मरम्मत एवं रख–रखाव

मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु प्रति विद्यालय रु0 5.0 हजार की दर से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। जिससे विद्यालयो की साज सज्जा एवं बैठक व्यवस्था को सुदृढ किया जायेगा। यह धनराशि नवीन विद्यालयो को प्रथम वर्ष में उपलब्ध नही करायी जायेगी क्योकि उनको इस मद की धनराशि रु0 10.0 हजार प्रति नवीन विद्यालय एवं रु 50.0 हजार प्रति नवीन उच्च प्रा. वि. का एक मुस्त उपलब्ध करा दी जायेगी। जनपद कुल 171 परिषदीय जू. हा. स्कूल हैं। वर्ष 2002–03 मे 23 तथा 2003–04 मे 55 नवीन जू. हा. खोले जा चुके है। इस प्रकार कुल परिषदीय जू. हा. स्कूल की संख्या 249 है।

वर्ष	मरम्मत एव रखरखाव हेतु परिषदीय जू. हा. स्कूल
2002–03	194
2003–04	249

2004–05	249
2005–06	249
2006–07	249

विद्यालय अनुदान :– विद्यालय अनुदान प्रत्येक एवं सहायता प्राप्त जनपद मे कुल 1532 प्रा. वि. जू. हा. स्कूल 249 परिष्दीय तथा 37 सहायता प्राप्त विद्यालय है। इस प्रकार जू. हा. स्कूल में कुल 286 विद्यालयो को विद्यालय अनुदान दिया जायेगा। जैसा कि तालिका 8.6 से स्पस्ट है।

तालिका सं. 8.6

वर्ष / स्तर	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7
प्राथमिक	–	1532	1532	1532	1532
उच्च प्रा.	231	286	286	286	286
योग	231	1818	1818	1818	1818

विद्यालय अनुदान तालिका संख्या 8.6 के हो विद्यालयो को रु 2.0 हजार प्रति विद्यालय की दर से उपलब्ध करायी जायेगी।

चहारदीवारी

प्राथमिक स्तर के 1239 एव उच्च प्रा. वि. 117 विद्यालयो मे चाहारदीवारी की आवश्यकता है। यह समस्त आवश्यकता सर्व शिक्षा अभियान के तहत तालिकानुसार वर्षवार पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। सर्व शिक्षा अभियान में चहारदीवारी का प्रावधान नही है।

तालिका सं. 8.7

वर्ष / स्तर	2–3	3–4	4–5	योग
विद्यालय सं.	–	–	–	–

8.2 अतिरिक्त शिक्षको की व्यवस्था :

शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम एक प्रधानाध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था की जायेगी। अधिक छात्र संख्या वाले विद्यायलयो में मानक के अनुसार अध्यापको की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

8.3 शिक्षा मित्र की व्यवस्था :–

एकल अथवा अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयो में शिक्षा मित्रो की नियुक्ति की जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्षवार प्राथमिक विद्यालयो में शिक्षक एवं शिक्षामित्रों की आवश्यकता को निम्नसारिणी 8.5 में दर्शाया गया है।

अध्यापको की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा मित्रो की व्यवस्था शासनादेशानुसार की जायेगी। शिक्षा मित्रो की न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0 प्रशिक्षित को वरीयता दी जायेगी। अभ्यर्थी उसी ग्राम सभा का निवासी होगा यदि उस ग्राम सभा मे उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर उसी न्याय पंचायत से उसका चयन किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रचार प्रसार के पश्चात आवेदनपत्र आमंत्रित किये जायेंगे। लब्धांक निकालने के पश्चात अधिकतम लब्धांक प्राप्त अभ्यर्थी को शिक्षा मित्र के रूप में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव दिया जाएगा इस प्रकार चयनित अभ्यथी को डाइट में प्रशिक्षित किया जाएगा प्रशिक्षण के उपरान्त 2250/–

प्रतिमाह की दर से 30 मई तक शिक्षा मित्र कार्य करेगें। शिक्षको मे 50 प्रतिशत महिलाओ की नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी।

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता

कमांक	वर्ष	प्रभावी छात्र नामांकन	वर्तमान शिक्षक	40:1 के अनुपात में शिक्षको की स्थिति	आवश्यक शिक्षक	एस एस ए में प्रस्तावितअति शिक्षक
	1	2	3	4	5	6
1	03–04	235361	5680	5884	204	0
2	04–05	241478	5680	6037	357	580
3	05–06	247754	6037	6194	157	369
4	06–07	254193	6194	6355	161	81

कमांक	वर्ष	कुल आवश्यकता	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र
	1	2	3	4
1	03–04	204	–	–
2	04–05	357	179	178
3	05–06	157	79	78
4	06–07	161	81	80

विद्यालय अनुदान :

विद्यालयो को आकर्षक एवं विकासशील बनाने हेतु 2000/– प्रति प्राथमिक विद्यालयो को दिया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप रखरखाव सादर्यीकरण बच्चो की शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियो को जोड़ने में अच्छे परिणाम दिखेंगे। विद्यालयो के

विकास के लिए समस्त कार्यो की सूची बनाई गयी उसी के अनुरूप धनराशिका उपयोग किया गया। रू 5000/–प्रति विद्यायलय साज, सज्जा हेतु यह धनराशी गॉव में हमारा अपना विद्यालय की परिकल्पना के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए दिया गया है।

इस प्रकार इस धनराशि से निम्नकार्य कराये जायेगें।

(1) स्कूल परिसर का सौंदर्यीकरण।

(2) स्कूल भवन की मरम्मत एवं रख रखावं

(3) स्कूल प्रयोगार्थ की आवश्यक सामगी/उपकरण अलमारी मेज, कुर्सी आदि का क्रय।

(4) स्कूल भवनो दीवालो पर आदर्श वाक्य, पाठ्य पुस्तकों पर आधारीत कक्षाओं, कलाकृतितयो, प्राकृतिक चित्रो का चित्रांकन किया जाना।

इसका प्रविधान तालिका सं. 8.6 मे किया जा चुका है।

8.5 अध्यापक अनुदान – प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक अध्यापक को सत्र के प्रारम्भ मे 500/– की धनराशि प्रति अध्यापक उपलब्ध करायी गयी। अध्यापकों नें में सहायक सामग्री का निर्माण छात्रों की सहायता से की गयी है। इस प्रकार शिक्षण कक्षाये आकर्षक एवं आनन्दायी बनी जिसके परिणाम देखने को मिले यही नही कक्षाओ को और अधिक आकर्ष बनाने के लिए प्रति अध्यापक 500/– प्रारम्भ में देने की व्यवस्था की गयी। उदाहरण स्वरूप कुछ सामग्री निम्नलिखित है।

सॉप सीढी	–	अर्थपूर्ण शब्दो के निर्माण हेतु
मुखौटे	–	कहानी कविता भाषा ज्ञान
कागजकी सीटी	–	ध्वनि कम्पन

तालिका सं. 8.10

वर्ष / सार	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7
प्राथमिक	364	866	6037	6194	6355
उच्च प्रा.	871	996	1356	1356	1356

उच्च प्रा. वि. मे 37 सहायता प्राप्त विद्यालयो के प्रति विद्यालय 03 अध्यापको को भी सम्मलित कर अध्यापक अनुदान की व्यवस्था की गयी है।

8.6 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण –

वर्ष 99–2000 तक जनपद में अभिभावको द्वारा बच्चो के लिए पाठ्यपुस्तके क्रय की जाती थी। वर्ष 2000–2001 में प्राथमिक शिक्षा के अर्न्तगत निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण करने की विशेष व्यवस्था की गयी। जिसमें कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले सभी बच्चो का विशेष कर अनु0 जाति / अनु0 जनजाति एवं समस्त वालिकाओ को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरित की गयी जिससे उल्लेखनीय सकारात्मक परिणाम देखने को मिले।

वर्ष 99–2000 में जहाँ अनु0 जाति / जनजाति / एवं वालिकाओ का नामांकन विद्यालय में 74 था सर्वशिक्षा अभियान मे भी इसको बढ़ावा देने के लिए रखा गया है। वर्ष 2003–2010 तक निःशुल्क पाठय पुस्तक के वितरीत की जाएगी।

मानक के अनुसार सभी वर्ग की वालिकाओ व अनुसूचित जाति के बालको को तथा सभी वर्ग के वालक / बालिकाओ को निःशुल्क पाठ्य पुस्तको को उपलब्धक जायेगा। निर्धन छात्रो के लिए प्रत्यक विद्यालय में बुक बैंक की स्थापना की जायेगी।

इस प्रकार सामान्य वर्ग के समस्त वालको को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध कराई जायेगी।

वर्षवार पुस्तक वितरण का विवरण

वर्ष	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7
प्राथमिक	—	—	—	203799	207875
उच्च प्रा.	29212	31280	34175	34859	35558

8.7 बालिका शिक्षा:

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर पर पुरूष और महिलाओ की साक्षरता दर क्रमशः 59.8 व 27.2 प्रतिशत है। जिससे ग्रामीण पुरूषो की 58.6 और ग्रामीण महिलाओं की 24.9 प्रतिशत है। इसी प्रकार नगरीय पुरूष और महिलाओं की क्रमशः 71.6 व 48.7 प्रतिशत हैं इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र का 42.9 और नगरीय 61 प्रतिशत है। जबकि उत्तर प्रदेश में पुरूषों की साक्षरता 55.73 प्रतिशत और महिलाओ की साक्षरता केवल 44.77 प्रतिशत रही हैं।

8.14 बालिका शिक्षा हेतु विशेष रणनीतियाँ :–

(1) माडल क्लस्टर डेवलेपमेन्ट –

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड हथगॉम, विजयीपुर, ऐरायॉ, भिटौरा क्षेत्रो की ऐसी न्यायपंचायत का चयन किया जायेगा जहाँ बालिकाये सबसे अधिक निरक्षर हैं इन ग्राम पंचायतो की समस्त ग्राम सभाओ में 6–11 वयवर्ग की बालिकाओ का शतप्रतिशत नामांकन ठहराव सुनिश्चित हो सके चयनित न्यायपंचायतो में बालिकाओं में आत्म विश्वास एवं आत्म छवि को विकसित करके उनमे नेतृत्व के गुण विकसित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम जैसे – ग्रीष्म कालीन शिविर, किशोरी संघो का गठन आदि आयोजित किये जायेंगे।

वर्ष	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7
एन. पी.आर. सी.	5	5	5	5	5

समर कैम्प

ऐसी वालिकाये जो बीच मे ही विभिन्न कारणो से विद्यालय छोडकर धर बैठ जाजी है। ऐसी बालिकाये को समर कैम्प के माध्यम से प्रोत्साहित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा जायेगा इसके लिये 40 बालिकाओ को चिन्हाकित कर विकास खण्ड स्तर पर एक समर कैम्प की व्यवस्था करायी जायेगी। इन शिविरो मे प्राथमिक तथा उच्च प्रा. दोनो प्रकार की वालिकाओ को सम्मिलित किया जायेगा। इन बालिकाओ को 10 दिवसीय उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से सभी शालात्यागी बच्चे विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बालिकाओ को जो कि शैक्षिक दृष्टि से काफी पिछड गये है, शिक्षित करके उनके स्तर के अनुसार औपचारिक, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो मे प्रवेश कराया जायेगा इन शिविरो मे उन बच्चो को भी चिन्हांकित कर प्रवेश दिलाया जायेगा जो विद्यालय मे प्रवेश नही हुये है और अभी प्रेरणा के आभाव में शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित है।

वर्ष वार शिविरो का विवरण

वर्ष	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7
शिविरो की संख्या	65	65	65	65	65

3. पूर्व माध्यमिक स्तर पर वालिकाओ के लिए कार्यअनुभव

वर्तमान शिक्षा प्रणाली मे वालिकाओ हेतु उनके जीवनोपयोगी कार्यक्रमो के

आभाव के शिक्षा के प्रति उनकी रुचि एवं अभिभावको की जागरुकता अपेक्षानुकूल नही है तथा अभिभावको के रुढ़िवादी एवं परम्परावादी विचार धराओ के कारण बालिकाओ को आगे नही पढाया जाता है यदि पढाया जाता है तो प्राथमिक शिक्षा पूरी करायी जाती है या तो कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करायी जाती है। अतः पूर्व माध्यमिक स्तर पर बालिकाओ को इस तरह के पाढयकम से जोडा जाना अति आवश्यक है जिससे वे धर के कार्यो के साथ आर्थिक लाभकारी एवं रुचिपूर्ण भी हो। इस प्रकार अभिभावको में बालिकाओ को विद्यालय न भेजने की परम्पराओ मे परिर्वतन होगा जिससे छात्र छात्राओ के नामांकन एवं ठहराव मे वृद्धि होगी। इन कार्यानुभवो में सिलाई–कढाई, बुनाई, कला चित्रण, टोकरी बनाना, चटाई बनाना, प्लास्टिक के खिलौने, स्थानीय जरुरत की अनुसार प्रतिदिन उपयोग मे लायी जाने वाली सामग्री आदि सम्मिलित किया जायेगा। शिक्षा प्रणाली मे उपयुक्त कार्यकमो के सम्मलित हो जाने से निःसन्देह बालिकाओ की विद्यालय के प्रति रुचि बढेगी। बालिकाओ के लिए कार्यानुभव के कार्यकम प्रत्येक विद्यालय मे प्रतिवर्ष चलाए जायेगे जिनका वर्षवार निम्न वत है –

वर्ष	2–3	3–4	4–5	5--6	6–7
संख्या	86	100	100	100	100

4. लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण –

बालिकाओ शिक्षा के प्रति समाज का नजरिया बदलने के लिए तथा संवेदनशील बनाने हेतु शिक्षको के साथ साथ, गठित एम. टी. ए. व डब्लू एम. जी. समूहो को जेण्डर संवेदीनशील प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण मुख्य रुप से बालक एवं बालिकाओ के भेद भाव को दूर करने के साथ साथ विद्यालय मे बालिकाओ के ठहराव को काफी हद तक बढाना सुनिश्चित करेगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण प्रतिवर्ष कराये जा रहे है जो योजना के समापन के बाद सर्वशिक्षा अभियान मे जारी रहेगें।

8.16 पद यात्रा – ग्राम तथा न्याय पंचायत स्तर पर पद यात्राओं का आयोजन किया जायेगा। इसमे प्रमुख महिला सामाजिक कार्य कर्तियों को शामिल किया जायेगा। इसका उद्देश्य महिलाओ में सामाजिक चेतना का विकास करना है।

8.17 कला जत्था –

जनपद फतेहपुर के चारो ब्लाको में तथा अन्य ब्लाको मे भी ऑचलिक लोक कलाओं, लोकगीतो का आयोजन किया जायेगा। स्वैच्छिक संगठनो एवं कला जत्थो के सहयोग से, कठपुतली शो का आयोजन किया जायेगा। इसके द्वारा महिलाओ को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जायेगा।

8.18 मीना कैम्प –

इसके माध्यम से प्रत्येक गॉव स्तर पर गोष्ठियो का आयोजन किया जायेगा फिल्म प्रदर्शन , बैनर चार्ट, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से माता पिता, अभिभावको को प्रेरित किया जायेगा।

8.19 विशेष कोचिंग –

जिन बालिकाओ की उपलब्धि स्तर कम है उनको इन शिविरो के माध्यम से अतिरिक्त कोचिंग व्यवस्था की जायेगी। बालिकाये कक्षा 5,6,7,8 की पारिवारिक एवं सामाजिक कारणो से विद्यालय मे नियमित उपस्थिति नही रह पाती जिससे शैक्षिक स्तर पिछड़ जाता है। हीन भावना ग्रसित होने के कारण विद्यालय छोड़ देती है। ऐसी बालिकाओ को चिन्हित कर विकास खण्डो में ग्रीष्म अवकाश में 15 दिनो का शिविर चलाना प्रस्तावित है। जिसमे कठिन विषयो विज्ञान, गणित, अंग्रेजी का शिक्षण कार्य होता है। इसके साथ – साथ वर्षाऋतु मे बाढ एव भयकर सूखा, आग लगने, पानी पीने की समस्या आदि से जूझने के कारण बालिकाओं की शिक्षा के साथ–साथ बालको की शिक्षा भी प्रभावित होती हैं। मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा मे पर्दा प्रथा की समस्या

के कारण यहॉ की बालिकाये विद्यालय जाने के स्थान पर गृह कार्य करती है। इस प्रकार जनपद फतेहपुर के ऐरायॉ, विजयीपुर, भिटौरा, हथगाम विकास खण्ड में चार–चार ग्रीष्म कालीन शिविरो का आयोजन कर बालिकाओ को विद्यालय से जोड़ा जायेगा।

ई0सी0सी0ई0 केन्द्र

शिशु शिक्षा केन्द्र –

जनपद फतेहपुर में शिशु शिक्षा केन्द्र मात्र दो विकास खण्डो विकास खण्ड हथगाम एवं ऐराया मे संचालित है। इन केन्द्रो के संचालन का मुख्य उद्देश्य छोटे भाई बहनो की देखरेख मे लगे रहने के कारण कुछ बालिकाये पर्याप्त समय (विद्यालय हेतु) नही दे पाती है जिससे विद्यालय मे उनका ठहराव सुनिश्चित नही हो पाता हैं कुछ बालिकाएं इन कार्यो मे अधिक व्यस्त होने के कारण विद्यालय छोड़ देती है। अतः इनको शिक्षा के क्षेत्र से जोडने के लिए शिशु शिक्षा केन्द्रो की स्थापाना की गयी है।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का** गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एव क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव** परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यो एव एस.एस.ए के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

समेकित शिक्षा

शिक्षा का वह प्रकिया जिसमे सक्षम व अक्षम बच्चे एक साथ ही विद्यालय मे अध्ययन करते है उस विद्यालय को सामेकित शिक्षा कहते है।

हमारे देश मे लगभग 2 से 10 प्रतिशत तक जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता य अक्षमता से ग्रसित है। बच्चो को शत प्रतिशत शिक्षा के लक्ष्य को तव तक प्राप्त नही किया जा सकता है जब तक विकलांग बच्चो को शिक्षा की मुख्य धारा से न जोडा जाये। बच्चो की विकलांगता का प्रभाव जहाँ बच्चो के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है।

विकलांगता/अक्षमता के प्रकार

समान्यता शैक्षिक दृष्टि विकलांगता पॉच प्रकार की होती है।

1. दृष्टि विकलांगता (देखने की अक्षमता)
2. श्रवण विकलांगता (सुनने व बोलने की अक्षमता)
3. मानसिक विकलांगता (सोचने समक्षते की अक्षमता)
4. अधिगम अक्षमता (पढने व सीखने की अक्षमता)
5. शारीरिक विकलांगता (चलने फिरने की अक्षमता)

विकलांगता/अक्षमता के कारण

विकलांगता कई कारणो से होती है। समयानुसार यह दो प्रकार से होती है।

1. **जन्म से पूर्व** – गर्भावस्था के समय जब माँ को उचित चिकित्सीय सहायता, अहार नही मिलता है तब यह अक्षमता होती है।

2. **जन्म के बाद** – बच्चे के जन्म के बाद यदि उसे उचित आहार न मिले एव वायरल बैकटेरिया बीमारियो की रक्षा हेतु टीकाकरण न हो, बच्चे का दुर्घटना मे धायल होना आदि के कारण इस तरह से अक्षमता होती है।

कुल विकलांगो मे लगभग 60 प्रतिशत तक 14 वर्ष उम्र के बच्चे होती है जिसमे से 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चो की संख्या कुल विकलांग बच्चो की संख्या का लगभग 45 प्रतिशत है। विकलांगो का वितरण ग्रामीण क्षेत्र मे 75 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र मे 25 प्रतिशत आते है। जनपद फतेहपुर मे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 3881 विकलांग बच्चो का समेकित शिक्षा के लिए चिन्ही करण किया गया है। जिसमे से 2402 बालक व 1479 बालिकाये है। विद्यालय मे जाने वाले बालक बालिकाओ का विवरण निम्नलिखत है।

क. सं.	विकलांगता के प्रकार	बालक	बालिका	योग
1	दृष्टि विकलांगता	400	194	594
2	श्रवण विकलांगता	437	249	686
3	मानसिक विकलांगता	313	132	445
4	अधिगम अक्षमता	248	90	338
5	शारीरिक विकलांगता	1004	314	1818
6	कुल	2402	1479	3881

स्वास्थ परीक्षण

चिकित्सा विभाग फतेहपुर के सहयोग से सभी जनपदीय परिषदीय प्राथमिक विद्यालयो मे प्रतिवर्ष सभी छात्र छात्रओ का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है जिसमे प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ कार्ड भरा जाता है वर्ष 2000–01 मे स्वास्थ परीक्षण के प्रथम के प्रथ चरण मे 41093 बच्चो का परीक्षण किया गया शेष द्वितीय व अन्तिम चरण मे जनवरी 2002 मे पूरा होने जा रहा है। परीक्षण के दौरान संदर्भित बच्चो को स्थनीय स्वास्थ केन्द्रो व विद्यालय मे ही उपचार दिया जा रहा है।

विकलांग बच्चो की शिक्षा हेतु सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओ की सहभागिता

इस हेतु समाज कल्याण विभाग जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग, लायंस क्लब व स्यंम सेवी संस्थाओ से सहयोग समय समय पर लिया जायेगा।

समेकित शिक्षा मे वर्षवार छात्र सं.

वर्ष	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7
समेकित शिक्षा के अन्तर्गत छात्र सं.	3881	3881	3881	4976	4976

अध्याय – 9

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन हेतु कार्य योजना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 निर्धारित नीति के अधीन अक्टूबर 1987 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों कि स्थापना का कार्य प्रारम्भ हुआ। परन्तु जनपद फतेहपुर में डायट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अवधारणा के अनुसार तृतीय चरण में 1996 में की गई। यह संस्थान जनपद मुख्यालय में कलेक्ट्रेट परिषद से तीन किलोमीटर दूर सदर अस्पताल जी0टी0 रोड के पास स्थित है। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का शिक्षा विभाग में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जनपद स्तर पर डायट का महत्वपूर्ण स्थान है। डायट के नेतृत्व में 6–14 वर्ष के बालक–बालिकाएं को सफलता पूर्वक शिक्षा प्रदान की संकल्पना की गयी है। डायट के माध्यम से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जा रही है। डी0 पी0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत डायट के निर्देशन में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हुये जिसका परिणाम पूर्व में अभिभावक अपने बालकों को विद्यालय में भेजने की इच्छा रखते थे उनके खान–पान, पहनावा एवं शिक्षा पर ही ध्यान देते थे। उन लोगों का ध्यान बालिकाओं की शिक्षा पर नहीं था। अथवा बहुत कम था। बालकों की तुलना में बालिकाओं के लिए सुविधाएं कम दी जाती थी। उनकों घर–गृहस्थी में रहने की प्रेरणा दी जाती थी। परन्तु आज परिस्थितियां बदली हुई साफ–साफ दिखाई दे रही है। आज प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों के साथ–साथ बालिकाओं की संख्या बालकों से कम नहीं है। इस प्रकार हर वर्ग के बालक–बालिकाएं विद्यालय में प्रवेश ले रहे है। साथ ही साथ जहां केवल पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता था। आज बालक क्रियाशील है। वह हर क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास कर रहे है। इस प्रकार वह विद्यालय में आने में रूचि ले रहे है। इसका परिणाम यह हो रहा हैं कि ज्ञान क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से डायट के मेन्टर्स प्रत्येक विद्यालय में निरीक्षण के साथ–साथ आदर्श पाठ भी प्रस्तुत करते है और कठिन शब्दों का चयन कर उसका निराकरण भी करते है एवं गति–

विधियों के माध्यम से बच्चो को ज्ञानार्जन कराते है जिससे बच्चे विद्यालय में उत्साहित रहते है। इस प्रकार नामांकन, ठहराव व शैक्षिक सम्प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रहे है। यह सबक्रियाकलाप जनपद स्तर पर डायट के निर्देशन में सभी शिक्षा अभिकर्मियों का सहयोग का प्रतिफल है। डायट से लेकर बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. स्तर तक योजना को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे है, तथा शासन की नीति को समाज के सभी वर्ग के लोगों तक ले जाने हेतु प्रयासरत है। डायट द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम जनपद एवं प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को उन्नति की ओर ले जा रहे है। जिसमें शिक्षकों एवं अभिभावकों का भी महत्वपूर्ण सहयोग है।

डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम -III के अन्तर्गत अद्यावधि तक गुणवत्ता संवर्धन हेतु डायट द्वारा सम्पादित क्रियाकलाप

डी.पी.ई.पी. योजना - III के अन्तर्गत निदेशक राज्य परियोजना, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना निशातगंज लखनऊ के निर्देशानुसार डायट स्तर निम्नलिखित प्रशिक्षण सम्पन्न किये गये।

1– सेवारत प्रशिक्षण।
2– विजनिंग कार्यशाला।
3– सेवारत (टी.ओ.टी.) प्रशिक्षण।
4– आधारभूत प्रशिक्षण।
5– ई.सी.सी.ई. कार्यकत्रीयों का प्रशिक्षण।
6– शैक्षिक सपोर्ट कार्यशाला।
7– लिग संवेदीकरण प्रशिक्षण।
8– वित्तीय प्रशिक्षण।
9– विद्यालय श्रेणीकरण, लिंग संवेदीकरण एवं सत्त व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण।
10– टेलीकान्फ्रेंसिंग कार्यशाला।
11– समेकित शिक्षा प्रशिक्षण।
12– शिक्षामित्रों का 30 दिवसीय प्रशिक्षण।
13– आचार्य/अनुदेशकों का 30 दिवसीय प्रशिक्षण।
14– शिक्षमित्र (परियोजना) का 15 दिवसीय पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण।
15– विषय अध्यापको का टी.एल.एम. कार्यशाला।
16– बी.आर.जी. सदस्यों का प्रशिक्षण।
17– दो दिवसीय वैकल्पिक शिक्षा प्रशिक्षण।
18– प्रधानाध्यापक नेतृत्व संवर्धन प्रशिक्षण।
19– डायट स्तर पर प्रत्येक माह बी.आर.सी. की बैठक।

इन प्रशिक्षण द्वारा अध्यापको के शिक्षण के प्रति नयी दिशा एवं उनके शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि की गयी और उनकी सोच मे भी परिवर्तन आया।

नव आचार शिक्षा के माध्यम से और प्रभावी शिक्षण कार्य किया जा सकता है। इसका प्रमाण अनुश्रवण द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ज्ञात किया गया है, और बच्चो की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में काफी वृद्धि हुआ है।

जिला प्राथामेक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वन के लिये सर्व प्रथम शिक्षक प्रशिक्षकों का चयन किया गया जिन्हें जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान उन्नाव में प्रशिक्षित किया गया। जनपद फतेहपुर 13 विकास खण्डो तथा 132 न्याय पंचायतों से आच्छादित है विकास खण्ड स्तर पर स्थापित ब्लाक संसाधन केन्द्रों के लिये समन्वयकों तथा सह समन्वयकों तथा न्याय-पंचायत स्तर पर स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के लिये न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयकों का चयन किया गया जो उनके कार्यो उत्तर दायित्वों से सम्बन्धित था। इसके साथ ही बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी.

समन्वयकों/सह समन्वयकों को डायट में ही अकादमिक सपोर्ट एवं सुपर विजन का भी प्रशिक्षण दिया गया। समन्वयकों द्वारा विद्यालयों का नियमित भ्रमण कर आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. विद्यालय का उनके भौतिक, अकादमिक पक्षों के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय विद्या भवन लखनऊ में विकसित पैरामीटर के आधार पर श्रेणीकरण शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं का न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित बैठकों में समाधान, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण, मेलों का आयोजन आदि उपागमों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता संवर्धन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं तथा शिक्षकों को अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है, परन्तु कतिपय अन्य क्षेत्रों के लिये अकादमिक नेतृत्व/पर्यवेक्षण प्रदान किया जाना अपेक्षित है। जो निम्नवत है :–

1– मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन, अकादमिक आवश्यकताओं को भी परिधि में लाया जाना।

2– उच्च प्राथमिक स्तरीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शैक्षिक गुणवत्ता, संवर्धन अकादमिक पर्यवेक्षण को भी परिधि में लाया जाना।

3– अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजों के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों कक्षा–1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 तक कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा बच्चों की शैक्षिक कठिनाइयों के निवारण शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में लाया जाना है।

4– उच्च प्राथमिक विद्यालयों (राजकीय, परिषदीय, अशासकीय) माध्यमिक विद्यालयों
(अशासकीय/राजकीय) के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 तक 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों उपलब्ध करा दी जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फतेहपुर में निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद निशातगंज लखनऊ के निर्देशन में कृत कार्य

1– बी.टी.सी. प्रशिक्षण

2– उच्च प्रा0 वि0 के (गणित) अध्यापकों का एस.ओ.पी.टी. प्रशिक्षण

3– उच्च प्रा0 वि0 के (अंग्रजी) अध्यापकों का एस.ओ.पी.टी. प्रशिक्षण

4– उच्च प्रा0 वि0 के (विज्ञान) अध्यापकों का एस.ओ.पी.टी. प्रशिक्षण

5– राजकीय, अशासकीय हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों में कार्यरत विज्ञान अध्यापकों का एस.ओ.पी.टी. प्रशिक्षण

6– विषय अध्यापकों का टी.एल.एम. कार्यशाला

7– शिक्षक संदर्शिका सम्बन्धी प्रशिक्षण

8– कक्षा 1 से 5 तक के अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के ड्राप आउट पर

4– उच्च प्रा0 वि0 के (विज्ञान) अध्यापकों का एस.ओ.पी.टी. प्रशिक्षण

5– राजकीय, अशासकीय हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों में कार्यरत विज्ञान अध्यापकों का एस.ओ.पी.टी. प्रशिक्षण

6– विषय अध्यापकों का टी.एल.एम. कार्यशाला

7– शिक्षक संदर्शिका सम्बन्धी प्रशिक्षण

8– कक्षा 1 से 5 तक के अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के ड्राप आउट पर ,

शोधकार्य

9– बेस लाईन सर्वेक्षण.

10– मध्यावधि मूल्यांकन

11– कोहार्ट स्टडी,

बेस लाइन सर्वेक्षण वर्ष 2000 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति

सारिणी संख्या–9.1

क्रमांक	कक्षा	विषय	बालकों की संख्या			बालिकाओं की संख्या		
1.	2	भाषा	20.0	28.6	35.3	21.5	21.5	45.2
2.	2	गणित	14.6	35.5	29.1	16.9	23.1	44.8
3.	5	भाषा	41.4	3.1	45.3	39.0	2.4	48.2
4.	5	गणित	17.1	0.5	77.1	20.5	0.3	71.8

बेस लाइन सर्वेक्षण वर्ष 2000 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति

D.P.E.P.-III लागू होने से पूर्व कराये गये बेस लाइन सर्वेक्षण के अनुसार कक्षा–2 भाषा में 35.3 प्रतिशत बालक तथा 45.2 प्रतिशत बालिकायें न्यूनतम् अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर सके, तथा कक्षा–2 गणित में 29.0 प्रतिशत बालक तथा 44.8 प्रतिशत बालिकाएं एम0एल0एल0 को प्राप्त नहीं किये है। कक्षा 5 के भाषा में 45.3 प्रतिशत बालक एवं 48.2 प्रतिशत वालिकायें न्यूनतम् अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर सकी। कक्षा 5 गणित मे 77.1 प्रतिशत बालक एवं
71.8 प्रतिशत बालिकायें न्यूनतम् अधिगत स्तर को प्राप्त नहीं कर सकी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फतेहपुर द्वारा विगत वर्षो से बी.टी.सी. प्रशिक्षण सुचारू एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा रहा है। एस.सी.ई.आर.टी. लखनऊ के निर्देशन में गणित, अंग्रेजी व विज्ञान के अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाकर बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित किया जा चुका है। मार्च 2002 में जनपद के सभी विकास खण्डो के बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी.समन्वयकों तथा सह समन्वयकों को

प्रशिक्षित किया जा चुका है और मार्च 2003 में सभी विकास खण्डों से 5–5 विषय अध्यापकों तथा समन्वयकों का टी.एल.एम. कार्यशाला सम्पन्न कराया जा चुका है। डायट द्वारा पूर्व में बेस लाईन सर्वेक्षण, मध्यावधि मूल्यांकन एवं कोहर्ट स्टडी विभाग द्वारा निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण कर लिया गया है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फतेहपुर विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निर्धारित राजनीति के अधीन अक्टूबर 1987 में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हुआ परन्तु जनपद फतेहपुर में डायट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अवधारणा के अनुसार तृतीय चरण में 1996 में की गयी यह संस्थान जनपद मुख्यालय में कलेक्ट्रेट परिसर से 3 किमी0 दूर सदर अस्पताल के पास स्थित है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभैमिकरण एवं गुणवत्ता संवर्धन करना शैक्षिक क्षेत्र में अभिकर्मियों को शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान हेतु क्रियात्मक शोध करना जनपद के शैक्षिक आँकड़ों का संकलन विश्लेषण एवं तदानुसार उपर्युक्त उद्देश्यों के प्रति के लिए संस्थान में सात विभागों की स्थापना की गयी है।

1– जिला संसाधन इकाई विभाग।
2– सेवा पूर्व विभाग।
3– सेवारत विभाग।
4– पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन विभाग।
5– कार्यानुभव विभाग।
6– शैक्षिक तकनीकी विभाग।
7– नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग।

1– जिला संसाधन इकाई विभाग :–

शिक्षा एक समग्र समाज के निर्माण का अनुरूप साधन है। सबको शिक्षा का समान अवसर सुलभ कराने के लिए समय–समय पर अनेक कार्यक्रम चलाये जाते है। वे बालक जिनकी विद्यालय जाने की आयु समाप्त हो गई है उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है इस कार्य के लिए उन लोगों का आवाहन किया जाता है जो शिक्षा के प्रति समर्पित हैं और लोगों को शिक्षा देने में रूचि रखते हो। इस विभाग के प्रमुख कार्य निम्न है :–

1– अनुदेशकों को प्रशिक्षण देना।
2– संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना।
3– पर्यवेक्षकों तथा प्रेरकों को प्रशिक्षण देना।
4– कार्यक्रम विकास के लिए सम्मेलन तथा गोष्ठियों का आयोजन करना।
5– कार्यक्रमों में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना तथा उनके निराकरण का उपाय खोजना।
6– कार्यक्रमों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक परीक्षण उपकरणों का निर्माण करना।

7– कार्यक्रम कर प्रभावी अनुश्रवण।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002–2007 तक जिला संसाधन इकाई विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
ड्राप आउट बच्चों को शिक्षित करने का कार्यक्रम एवं मूल्यांकन करना।	स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।	स्वयं सेवकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण मूल्यांकन करना।	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।	पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत, जिला संसाधन इकाई विभाग द्वारा वर्ष 2002 से 2007 तक ड्राप आउट बच्चों को शिक्षित करना है, वर्ष 2003 से 2004 स्वयं सेवकों (अनुदेशकों) को प्रशिक्षित करना पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य किया जायेगा एवं वर्ष 2004 से 2005 के मध्य स्वयं सेवकों की पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान करके उनका पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य प्रस्तावित है, वर्ष 2005 से 2006 तक अनुदेशकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण प्रदान करके उनका अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य प्रस्तावित है।

2–सेवापूर्ण विभाग :–

सेवापूर्ण विभाग संस्थान में अध्ययनरत बी0टी0सी0 प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थीयों को प्रशिक्षण प्रदान करना है तथा शिक्षा मित्रों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण की भीव्यवस्था यह विभाग करता है। बी0टी0सी0 एवं शिक्षा मित्र को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है। जिससे वे अध्यापक के रूप में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें प्रशिक्षण में सामुदयिक शिविरों का भी आयोजन किया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवा द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र प्रशिक्षण एवं बी0टी0सी0 प्रशिक्षण	शिक्षामित्रों बी0टीसी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य	शिक्षामित्रों बी0टीसी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य	शिक्षामित्रों बी0टीसी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवापूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2002–03 में शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है, वर्ष 2003–04 में शिक्षा मित्र एवं बी0टी0सी0 प्रशिक्षण को प्रदान किया जायेगा तथा वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं वर्ष 2006–07 में शिक्षामित्रों, बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य प्रस्तावित है।

3– सेवारत विभाग :–

अध्यापक के लिए अध्यापन में होने वाली नवीनतम तकनीकी ज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है एक अध्यापक के प्रभावीशील, शिक्षक होने के लिए नियमित रूप से अपने ज्ञान में वृद्धि तथा व्यवस्थित दक्षता को बढ़ाना होगा जिस प्रकार देश की रक्षा में लगी हुई सेना को सदैव नवीन युद्ध कौशल की जानकारी देकर अभ्यास कराया जाता है, उसी प्रकार राष्ट्र निर्माण में लगे हुए अध्यापक को सेवारत विभाग द्वारा नई नई तकनीकी ज्ञान की जानकारी दी जाती है। यह विभाग सेवा में लगे हुए अध्यापकों को समय–समय पर संस्थान में आयोजित पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में सम्मिलित करके उन्हें नई–नई चुनौतियों की जानकारी प्रदान की जाती है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2003–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना:–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
शिक्षामित्र गणित एवं विज्ञान का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षत	शिक्षामित्र गणित, विज्ञान भाषा एवं पर्यावरणीय अध्ययन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	शिक्षामित्र गणित, विज्ञान भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत एवं पर्यावरणीय अध्ययन पर सेमीनार	गणित, विज्ञान एवं अंग्रजी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं अनुभूत समस्याओं पर गाष्ठी	गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं अनुभूत समस्याओं पर गोष्ठी

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

4– कार्यानुभव विभाग :–

सामाजिक और आर्थिक रूपानतरण कर सबसे सशक्त साधन शिक्षा को माना गया है। इसलिए समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भावी नागरिकों के निर्माण हेतु तदनुरूप शिक्षा व्यवस्था अपनाई गयी है। संस्थान में कार्यानुभव विभाग द्वारा कार्य अनुभव के द्वारा शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाते हुए समाज मे होने वाले कार्यो से जोड़ा जा सकता है। इस विभाग द्वारा सहायक सामग्री का निर्माण संस्थान परिसर में सौन्दर्यीकरण एवं स्वच्छता का कार्य आदि कराया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना:–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
छात्राध्यापकों को निर्मूल्य सहायक	छात्राध्यापकों को डायट पर कार्य	सेवारत अध्यापकों का	खेती	छात्राध्यापकों को कार्य करने के

सामग्री का निर्माण का प्रशिक्षण	करने के लिए तैयार करना तथा क्षेत्र में जाकर अध्यापकों की भी मदद करना।	निर्मूल्य सहायक सामग्री का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण तथा छात्राध्यपक का प्रशिक्षण	एवं फल संरक्षणलिए का प्रशिक्षणक्षेत्र में	प्रेरित करके ले जाना

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव विभाग वर्ष 2002–2007 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य का सम्पन्न कराया जायेगा।

5– शैक्षिक तकनीकी विभाग :–

इस वैज्ञानिक युग में छात्रों को वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित कराना, दैनिक जीवन में विभिन्न उपकरणों के उपयोग की जानकारी प्रदान करना व नवीन शैक्षिक उपकरणों का शिक्षण में उपयोग कैसे करें। छात्रों को अवगत कराना आवश्यक हो गया है। अतः शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य/अल्प व्यय, अल्प समय तथा अल्प सुविधाओं द्वारा अधिकाधिक विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय व्यवहारिक ज्ञान देना है। संस्थान का शैक्षिक तकनीकी विभाग विभिन्न शैक्षिक उपकरणों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा गुणवत्त संबर्धन सम्बन्धी प्रशिक्षणों को सफल बनाया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना :–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
शिक्षा मित्रों एवं छात्राध्यापकों का शैक्षिक तकनीकी उपकरण का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र छात्राध्यापकों का सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक उपकरणों एवं सहायक सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प दाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेगें।

6– पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग :–

पाठ्यक्रम शिक्षा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का एक महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्य निर्माण के समय छात्र की आयु उसकी मानसिक योग्यता, परिवेशीय आवश्यकताएं, सुलभ साधन छात्रों का विषयक्रम उनका वर्ग आदि विभिन्न पहलुओं पर

ध्यानदिया जाता है। पाठ्यक्रम के निर्माण में भाषा तथा शैली पर भी ध्यान रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। मूल्यांकन से यह ज्ञात किया जाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण सही दिशा में किया गया है। शिक्षक अपने प्रयास में कहाँ तक सफल है। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के उपागम के अनुप्रयोग के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति सहज में सम्भव बनायी जा सकती है। उपर्युक्त विचारों की दृष्टि में रखते हुए संस्थान का पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग इन क्षेत्र में निरन्तर प्रयत्नशील है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम	प्राइमरी व उच्च	राष्ट्रीय मूल्यों जैसे	अध्यापकों एवं	सृजित
पाठ्यक्रम में विकास	प्राइमरी के	धर्म निरपेक्षता	छात्रों को नैतिक	सामग्री
परिवर्तन होगा	पाठ्यक्रम में	समानता	एवं राष्ट्रीयएवं	नैतिक
मूल्यों				
पाठ्यक्रम का	नैतिक मूल्यों का	लोकतन्त्र लिंग	मूल्यों को	का मूल्यांकन
मूल्यांकन सतत् कराया	समावेश	भेद आदि का	अपनाने के लिए	कार्यक्रम
रूप से होगा।	सुनिश्चित किया जायेगा	पाठ्यक्रम में समावेश किया जायेगा।	प्रेरित करने का कार्य किया जायेगा।	जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत डायट की ओर से पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेगें।

7– नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग :–

संस्थान का हनयोजन एवं प्रबन्धन विभाग संस्थागत नियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियोजन, मानव संसाधन का विकास, सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का प्रबन्ध एवं ई0एम0आई0एस0 का विकास करना आदि कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजना

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
डायट स्तर पर जनपद की सभी संस्थागत शिक्षण	डायट द्वारा निर्धारित कार्य नियोजन का	ई0एम0आई0एस0 की कार्य प्रणाली को विधिवत्	अध्यापकों के शिक्षा कौशल विकास से	नियोजन एवं प्रबन्ध के लिए किये समस्त

इकाईयों का वृहद कार्य नियोजन किया जायेगा।	शिक्षा अभिकर्मियों का प्रशिक्षण द्वारा जानकारी कराना एवं क्रियान्वयन कराना।	जानकारी कराने के बाद कार्य रूप देना जिससे वास्तविक जानकारी प्राप्त की जायेगी।	सम्बन्धित कार्यक्रम	प्रयासों की जानकारी हेतु मूल्यांकन कार्यक्रम

डायट द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेगें।

नोट :– S.I.E/S.C.E.R.T./S.I.E.M.T./S.P.O. द्वारा निर्धिष्ट/ निर्धारित कार्यक्रमों को सभी विभागों में समायोजित करेगें।

गुणवत्ता संबर्धन के क्षेत्र में समन्वयकों की भूमिका

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गयी है। कुल B.R.C./N.P.R.C. की स्थापना, स्थायी पदों के प्रति पदस्थापन किया गया। जिसके लिये प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों में से योग्य अध्यापकों को प्रत्येक संसाधन केन्द्र के लिये समन्वयक हेतु चयन किया गया है। जिनका कार्य एवं दायित्व निम्नवत है।

ब्लाक संसाधन केन्द्र के समन्वयक की भूमिका

1– ब्लाक संसाधन केन्द्रों को विकास खण्ड स्तरीय सन्दर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उपयोग शिक्षकों की अकादमिक कठिनाइयों के समाधान के लिये किया जाता है।

2– डायट के दिशा निर्देश में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन एवं शाला चित्रण, वातावरण सृजन आदि का आयोजन किया जाता है।

3– विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षणों का नियोजन आयोजन एवं प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव का अनुश्रवण किया जाता है।

4– ब्लाक संसाधन केन्द्र पर मासिक बैठकों का आयोजन, विद्यालयों का भ्रमण कर कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें अकादमिक फीड बैक प्रदान किया जाता है।

5– वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, शिक्षु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण किया जाता है एवं एम.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण किया जाता है।

6– ई.एम.आई.एस. आकड़ा का संकलन कार्य।

7– ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की वार्षिक योजना तैयार करना, तदनुरूप बजट निर्माण, तथा वार्षिक कार्ययोजना का क्रियान्वयन।

8–एन.पी.आर.सी. सम्बधी आवश्यकताओं को समझाना और उनके लिये आवर्ती अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित करना।

9– एन.पी.आर.सी. के फीड बैक और इनपुट की आवश्यकता पर कार्यवाही करने के निमित्त जिला स्तर पर दायित्व सम्बनधी स्पष्टता के लिये एक सक्रिय समूह गठित करना।

10– संकुल स्तरीय मासिक बैठकों की संरचना कार्यसूची अवधारणात्मक प्रलेख तैयार करना। जिसमें शैक्षिक क्षेत्र के मुददों का विशेष उल्लेख हो।

न्याय पंचायत संयाधन केन्द्र के समन्वयक की भूमिका

न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयक संकुल स्तर पर शिक्षकों की शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्र बिन्दु है। ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना शिक्षकों के अनुभवों को परस्पर विनियम करना सूक्ष्म नियोजन तथा मानचित्रण करना। स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना आदि न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयको का प्रमुख कार्य है इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा निम्नवत कार्य किये जाते है।

1– संकुल स्तरीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए मासिक बैठकों/कार्यशाला का आयोजन करना।

2– स्कूल चलो अभियान बाल गणना तथा ई.एम.आई.एस. आँकडों का संकलन कार्य।

3– ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन विद्यालय शिक्षण योजना का विकास।

4– वैकल्पित शिक्षा केन्दों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण एवं अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करना।

5– ब्लाक ससाधन केन्दों में आयोजित मासिक बैठकों में प्रतिभाग सूचनाओं का आदान प्रदान करना तथा ब्लाक संसाधन केन्द्रो को वाँछित सहयोग प्रदान करना।

6– संकुल स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों का अभिलेखी करण करना तथा उसकी रिपोर्ट तैयार कर ब्लाक समन्वयक एवं डायट को उपलब्ध कराना।

7– अध्यापकों की मासिक बैठकों में भाग लेना नियोजन एवं मूल्यांकन के क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का समाधान तथा अध्ययन के न्यूनतम स्तरों सम्बन्धी पाठ्य चर्या एवं पाठ्य पुस्तकों के कठिन स्थलों में उनको मदद करना।

8– अध्ययन के न्यूनतम स्तरों पर आधरित सूचना का ब्लाक स्तर पर कार्यान्वयन करना और इस क्षेत्र में पहले से ही प्राप्त सूचना के लिए अपेक्षित उपचारात्मक उपलब्ध कराना।

9– न्याय पंचायत स्तर पर कोर टीम का गठन और प्रशिक्षण।

10– ग्राम शिक्षा समितियों और महिला समूहों को अनुसमर्थन प्रदान करना।

11– विद्यालय श्रेणीकरण का कार्य।

सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्राथमिक स्तर पर)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम - III (डी.पी.ई.पी.) से आच्छादित जनपद फतेहपुर कार्यक्रम के तृतीय चरण में आच्छादित जनपदों के रूप में अप्रैल 2000 से है। जिला प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सम्बर्धन के लिए प्राथमिक स्तरीय शिक्षक को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु सर्वप्रथम प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की खुली प्रतियोगिता के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षकों के डायट स्तर पर चिन्हित किया गया। तथा उनका प्रशिक्षण राज्य संदर्भ समूह के व्यक्तियों द्वारा डायट उन्नाव में आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में सफल संदर्भ दाताओं द्वारा ब्लाक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के अर्न्तगत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

जनपद फतेहपुर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम - III के तृतीय चरण में होने के कारण प्रथम चक्र के शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण, द्वितीय चक्र के सबल प्रशिक्षण के आवश्यक अंशों के साथ–साथ पाठ्य पुस्तकों पर आधारित तृतीय चक्र का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर माह जून 2001 से आयोजित किया गया जो कि समाप्ति की तरफ अग्रसर है। इस प्रशिक्षण में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित माड्यूल साधन का प्रयोग किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित है।

1– शिक्षकों को अपने दायित्वों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अभिप्रेरित करने का प्रयास ।

2– शिक्षण कार्य में बच्चों की सक्रियता भागीदारी के प्रति समझ विकसित करना।

3– बच्चों की सीखने सम्बन्धी कठिनाईयों को समझाना शिक्षकों में बच्चों की कठिनाईयों के प्रति समझ विकसित करना तथा उनके प्रति संवेदनशील बनाना।

4– शिक्षण के समय कक्षा के वातावरण को जिज्ञासापूर्ण बनाना।

5– वंचित वर्ग विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली कठिनाईयों संवेदीकरण तथा स्थानीय समुदाय का सहयोग प्राप्त करने हेतु गतिविधि आधारित शिक्षण करना।

6– सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण एवं इसके प्रयोग से शिक्षण कार्य में रोचकता लाने का प्रयास।

7– विभिन्न विषयों के लिए गतिविधियों का निर्माण तथा शिक्षण कार्य में गतिविधियों का प्रयोग।

8– अध्यापकों में बच्चों के प्रति हित कि भावना पैदा करना।

9– अध्यापकों को प्रत्येक बच्चों में आशावादिता एव आत्म विश्वास जागृत करने पर बल देना।

10– गतिविधियों द्वारा पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने के तरीके का अभ्यास कार्य।

11– एकल अध्यापकीय विद्यालयों के लिए बहुकक्षा/बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का कार्य।

12– बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण शिक्षण में उपयोग एवं संभावनाएं।

13– शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए सांकेतिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य।

14– समय प्रबन्धन में आने वाली कठिनाईयों के निदान हेतु समय सारणी बनाकर शिक्षण कार्य करना।

15– बच्चों को ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का सतत् मूल्यांकन।

16– शिक्षण कार्य में विषयाधरित कहानी लोक कथाओं के प्रयोग से भाषा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के साथ शैक्षणिक स्तर गतिविधियों से सभी विषयों में रोचकता पैदा करना।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण तृतीय चक्र साधन की अद्यतन स्थिति

कुल शिक्षक संख्या (शिक्षामित्रों सहित) –	3,508
प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या–	3,306
अवशेष/अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या–	202

उच्च प्राथमिक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम - III (डी.पी.ई.पी.) योजनान्तर्गत उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर के शिक्षकों में कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फतेहपुर के नेतृत्व में उच्च प्राथमिक स्तरीय गणित शिक्षकों की शिक्षण क्षमता अभिवृद्धि के लिए गणित विषय आधारित प्रशिक्षण आयोजित किया गया। वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तरीय विज्ञान/अंग्रेजी अध्यापकों का प्रशिक्षण चलाया जा चुका है। प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि के लिए आयोजित किये जा रहे सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की भाँति उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है।

शिक्षकों को अकादमिक सहयोग एवं अनुसमर्थन की व्यवस्था

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फतेहपुर के नेतृत्व में प्राथमिक शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए उनके विषय वस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशल में आपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गयी है।

शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन देने के लिए जिला स्तर पर डायट, ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की व्यवस्था है। एन.पी.आर.सी. समन्वयक द्वारा निरंतर प्राथमिक विद्यालयों का

अकादमिक पर्यवेक्षण किया जाता है। शिक्षकों की शैक्षिक एवं विद्यालयीय परिवेश सम्बन्धी समस्याओं का तात्कालिक निदान न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित मासिक बैठक में तथा ऐसी समस्याएँ जिनका निदान नहीं हो पाता, एन.पी.आर.सी. समन्वयक द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक की मासिक बैठक में रखी जाती है। एन.पी.आर.सी./बी.आर.सी. स्तर पर शिक्षकों की शैक्षिक समस्याएं तथा विद्यालय प्रवेश सम्बन्धी जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता उनका समाधान डायट स्तर पर बी. आर.सी. समन्वयकों की मासिक बैठक में किया जाता है। शिक्षकों की शैक्षिक अनुसमर्थन देने के लिए डायट संकाय सदस्यों, निरीक्षक वर्ग बी.आर.सी./एन.पी.आर. सी. समन्वयकों को चार दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया गया।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव

जनपद फतेहपुर जिला प्राथमिक कार्यक्रम -III के तृतीय चरण के अन्तर्गत अप्रैल 2000 से संचालित है। जनपद में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण "साधन" माड्यूल के अनुसार लगभग समाप्त है। जनपद में प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव का अनुश्रवण जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), डायट मेन्टर्स, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बी.आर.सी. /एन.पी.आर.सी. समन्वयकों द्वारा नियमितरूप से किया जा रहा है। जिनसे प्राप्त अवलोकन आख्याओं के अनुसार संज्ञान में आया है कि शिक्षकों में जागरूकता बढ़ी है,शिक्षण कार्य में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग आरम्भ हो गया है तथा बच्चे कक्षा में सक्रिय नजर आ रहे है।

प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणीकरण

जनपद फतेहपुर में एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के 132 पद सृजित है। जिनमें कुछ एन.पी.आर.सी. केन्द्र को छोड़कर बाकी सभी केन्द्रों में समन्वयक कार्यरत है, जिसके कारण श्रेणी करण का कार्य बाधित हो रहा है। राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशनुसार रिक्त पदों पर प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के प्रभारी न्याय पंचायत समन्वयक बनाया गया है। श्रेणीकरण का कार्य उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा जारी राजाज्ञा संख्या 2314/15-5-01- 346/2001 दिनांक 11-7-2001 द्वारा शुरू हो चुका है। जुलाई से अब तक जनपद में विद्यालय श्रेणीकरण की स्थिति निम्न है।

विद्यालयों की संख्या	श्रेणीकृत विद्यालय	श्रेणीकरण की स्थिति
1428	1389	ए- 94
		बी- 761
		सी- 387
		डी-147

प्राथमिक विद्यालयों की प्रोत्साहन योजनाएं

14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के बालकों एवं सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी है। जिसके सकारात्मक परिणाम से छात्र नामांकन में आशातीत वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक सत्र 2001–2002 को शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन वर्ष मनाये जाने के उद्देश्य से माह जुलाई 2001 में स्कूल चलो अभियान के आयोजनोपरान्त कक्षा–1 से 5 तक के सभी जाति के बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयीं।

प्राथमिक विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव को बनाये रखने के लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का वितरण पोषाहार योजना आदि कारगर सिद्ध हुए हैं जिससे अभिभावकों को सहयोग मिलने के साथ–साथ विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है तथा ह्रास की समस्या पर भी अंकुश लगा है छात्रवृत्ति का लाभ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी बालक एवं बालिकाओं तथा पिछड़ी जाति के कुछ बालक/बालिकाओं को दिया जा रहा है। पोषाहार योजना का लाभ सभी बालक/बालिकाओं को मिलता है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का मूल्यांकन बेस लाइन स्टडी के माध्यम से किया गया था। आशा है कि अद्यतन आयोजित तथा मिडटर्म स्टडी से पूर्व आयोजित किये जाने वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रोत्साहनयोजनाओं का बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर सकरात्मक परिणाम मिलेगा।

मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण वर्ष 2003 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति

सारिणी संख्या–9.2

			बालकों की संख्या			बालिकाओं की संख्या		
क्रमांक	कक्षा	विषय						
1.	2	भाषा	40.4	14.0	20.3	44.4	14.7	21.0
2.	2	गणित	22.43	26.64	12.85	32.48	22.43	14.72
3.	5	भाषा	61.60	17.7	17.7	64.2	15.7	18.3
4	5	गणित	30.6	4.7	63.6	26.1	1.9	71.3

शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति

डी0पी0ई0पी0–III लागू होने के ढाई वर्ष बाद कराये गये मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर कक्षा–2 भाषा में 20.3 प्रतिशत बालक तथा 21.0 प्रतिशत बालिकाएं एवं कक्षा–2 गणित में 12.85 प्रतिशत बालक एवं 14.72 प्रतिशत बालिकाएं

न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर सके है, तथा कक्षा–5 भाषा में 17.7 प्रतिशत बालक एवं 18.3 प्रतिशत बालिकाएं तथा कक्षा–5 गणित में 63.6 प्रतिशत बालक एवं 71.3 प्रतिशत बालिकाएं न्यूनतम अधिगत स्तर को प्राप्त नहीं कर सके है।

सर्व शिक्षा अभियान एवं लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद फतेहपुर में 6 से 14 वर्ष के सभी बालक/बालिकाओं का वर्ष 2010 तक गुणवत्ता परक जीवनोपयोगी व्यवसायपरक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा शैक्षिक परिवेश में समुदाय की शत–प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करके प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्रदान किया जा सकेगा। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य निम्नवत् है :–

1– 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चो को निःशुल्क अनिवार्य एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

2– वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।

3– वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा–5 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।

4– वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।

5– गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।

6– बालक बालिकाओं तथा समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन ठहराव व सम्प्राप्ति के अन्तर को समाप्त करना।

7– सामाजिक क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना।

8– शिशु शिक्षा के महत्व को देखते हुए वय वर्ग का विस्तार 0 से 11 को बढ़ाकर 0 से 14 करना तथा बाल विकास परियोजना के प्रयास को समर्थन देना तथा जहां बाल विकास परियोजनाएं नहीं चल रही है वहां विशेष पूर्व विद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण सेट एवं इण्डिया के आधार पर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा।

S.A.T. -

S- Systematic
A- Approach
T- Training

INDIA -

I- Identification (पहचान)
N- Need (आवश्यकता)
D- Desigining & Planning (डिजाइनिंग एव योजना)
I- Implemintation (क्रियान्वयन)
A- Assessment (मूल्यांकन)

तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एवं सर्व प्रथम प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन के लिए पूरे जनपद का एक विजन विकसित किया जायेगा। जिसमें जनपद स्तरीय विकास खंड स्तरीय न्याय पंचायत स्तरीय स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी शिक्षा विभाग के अभिकर्मियों डायट संकाय के सदस्यों जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों, न्याय पंचायत/विकास खंड स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। जिसमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्दश्यों लक्ष्यों बच्चों की वर्तमान स्थिति एवं उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों विद्यालयों तथा कक्षा कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता निष्कर्ष एवं सहमतियाँ तय की जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों के लिए विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर किया जायेगा। कार्यरत शिक्षकों के आयोजन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर किया जायेगा। कार्यरत शिक्षकों, के शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि शिक्षकों की दक्षता तथा उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में आयोजित किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अर्न्तगत शिक्षक प्रशिक्षण को इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि बी.आर.सी. स्तर पर 6 से 8 दिवसों के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगें। प्रशिक्षण की यह कार्य योजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी। डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत आयोजित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों से प्राप्त प्रशिक्षण अनुभवों तथा वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा बहु कक्षा बहु स्तरीय शिक्षण विधियों की जानकारी वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तुओं के प्रभावी एवं बेहतर उपयोग आदि के आलोक मे सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में समस्त प्राथमिक शिक्षकों शिक्षा मित्रों सहित को बहु कक्षा शिक्षण/बहुश्रेणी कक्षा शिक्षण का दस दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें से सात दिवस का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर तथा शेष तीन दिवसीय प्रशिक्षण क्रमशः एक-एक माह के अन्तराल पर न्याय

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में समस्त प्राथमिक शिक्षकों शिक्षा मित्रों सहित को बहु कक्षा शिक्षण/बहुश्रेणी कक्षा शिक्षण का दस दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें से सात दिवस का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर तथा शेष तीन दिवसीय प्रशिक्षण क्रमशः एक--एक माह के अन्तराल पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किया जायेगा । जिसका विवरण निम्नवत है :--

1. *विजनिंग कार्यशाला का आयोजन चार दिवसीय ।*

2. बहु कक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक पर आधरित शिक्षण सामग्री निर्माण तीन दिवसीय।

3. मटेरियल मेले का आयोजन ।

4. विकास खण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के लिए पाठ्य प्रस्तुती करण पर आधारित मासिक प्रशिक्षण कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी ।

1--प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों/शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण :--

वर्ष	प्राइमरी	उच्च प्राथमिक	दर	अनुमानित व्यय
2002--03	--	--	--	--
2003--04	200	1500	80.00	136000.00
2004--05	5008	800	80.00	464640.00
2005--06	--	800	80.00	64000.00
2006--07	--	800	80.00	64000.00

2-- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों/शिक्षा मित्रों के टी0एल0एम0 का प्रशिक्षण :--

वर्ष	प्राइमरी	उच्च प्राथमिक	दर	अनुमानित व्यय
2002--03	--	--	--	--
2003--04	200	1500	500.00	850000.00
2004--05	6269	1199	500.00	2504000.00
2005--06	--	1199	500.00	400000.00
2006--07	--	1199	500.00	400000.00

उपरोक्त कार्यक्रम वर्ष के पाँच महीनों में आयोजित होगा। जिसके लिये प्रशिक्षण का एजेंडा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखीकरण न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यशलाओं गोष्ठियों का अनुश्रवण समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्रतथा डायट के ब्लाक मेन्टर द्वारा किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्र के प्रथम वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण के लिये रूपये

के अंतराल पर न्याय पंचायत केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा। जिसका विवरण इस प्रकार है :–

(1) न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर वर्ष के सात दिनों में मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगें जिसमें ब्लाक स्तरीसय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।

(2) वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियों से सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए रूपये 50,00,000.00 (पचास लाख रूपया) अनुमानित व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तृतीय वर्ष में विज्ञान सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू विषय के शिक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण आठ दिवसीय होगा जिस पर रू0 80.00 प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन की दर से रूपये 50 लाख अनुमानित व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के चौथे वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण में पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण सामग्री निर्माण हेतु आठ दिवसीय प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित किया जायेगा। जिसके तारतम्य में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर लघु प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की आयेगी।

1– एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अनुपूरक सामग्री विकसित करने हेतु दो दिवसीय कार्यशालाएं जिसमें न्याय पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों को सम्मिलित करते हुए आयोजित की जायेगी।

2– डायट द्वारा तैयार किये गये एजेंडे के अनुसार प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के सात महीनों में आयोजित की जायेगी। इन प्रशिक्षणों पर प्रतिदिन प्रति प्रतिभागी रूपये 80.00 रूपये की दर से 30 लाख अनुमानित व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के पांचवे वर्ष के प्रशिक्षण में उपरोक्त चार वर्षो के फालोअप से उभरी समस्याओं के निराकरण एवं शिक्षकों की आवश्यकताओं का आंकलन करके प्रशिक्षण दिया जायेगा। सह प्रशिक्षण दस दिवसीय होगा। जिसमें पांच दिवसीय प्रशिक्षण कक्षा शिक्षण पर आधारित होगा तथा शेष प्रशिक्षण में पूर्व में दिये गये प्रशिक्षणों की पुनरावृत्ति पर ध्यान दिया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन के साथ–साथ उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन के लिए समस्त परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा इंटरमीडिएट कालेजों के कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षण कार्य करने वाले प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को शिक्षण प्रदान किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002 से 2007 तक प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना

	वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
कार्यशाला / सेमिनार प्राइमरी	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला
अपर प्राइमरी	1. आवश्यकताओं का आंकलन 2. गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3. टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताओं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला
प्रशिक्षण प्राइमरी	1. मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण 2.रोस्टर ट्रेनिंग 3. आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण माड्यूल	मुख्य अध्यापक प्राइमरी गणित अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण का वृहद मूल्यांकन एवं अनुश्रवण
अपर प्राइमरी प्रशिक्षण	1.गणित अध्यापक प्रशिक्षण 2. विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण	पर्यावरणीय अध्ययन अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन मूल्यांकन	हिन्दी एवं व्यायाम स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण मूल्य आधारित प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	पूर्व का वृहद मूल्यांकन एवं अनुश्रवण
क्षमता संवर्धन	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का	एस.डी.आई. / ए0बी0एस0ए0 का

प्रशिक्षण सुझाव	प्रशिक्षण क्षमता सम्र्बधन हेतु	प्रशिक्षण क्षमता सम्र्बधन में अनुभूत	प्रशिक्षण क्षमता सम्र्बधन में अनुभूत समस्याओं पर	प्रशिक्षण समस्याओं का निराकरण समस्याओं पर	प्रशिक्षण मूल्यांकन तथा अन्य
	बी0आर0सी0 / बी0आर0सी0 /	बी0आर0सी0 /	बी0आर0सी0 /	बी0आर0सी0 /	
	एन0पी0आर0सी0 आर.सी.	एन0पी0आर0सी0	एन0पी0आर0सी0	एन0पी0आर0सी0	एन.पी.
	समन्वयक का प्रशिक्षण श्रेणीकरण	समन्वयक का प्रशिक्षण (विद्यालयों) में समस्याओं के आकलन पर	समन्वयक का प्रशिक्षण छात्रों और आध्यापकों के समस्याओं के हल करने हेतु।	समन्वयक का द्वारा श्रेणीकरण का प्रभाव का आंकलन	मूल्यांकन
	अनुदेशक प्रशिक्षण प्रशि0	अनुदेशक प्रशिक्षण	अनुदेशक प्रशिक्षण	अनुदेशक प्रशिक्षण	अनुदेशक
	पर्यवेक्षण अनुश्रवण अनुश्र0	पर्यवेक्षण अनुश्रवण	पर्यवेक्षण अनुश्रवण	पर्यवेक्षण अनुश्रवण	पर्यवेक्षण
	एवं मूल्यांकन	एवं मूल्यांकन	एवं मूल्यांकन	एवं मूल्यांकनएवं	मूल्यांकन
	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण
	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण
शोध	क्रियात्मक शोध	क्रियात्मक शोध	क्रियात्मक शोध	क्रियात्मक शोध	क्रियात्मक
शोध	प्रस्ताव	प्रस्ताव	प्रस्ताव	प्रस्ताव	प्रस्ताव
	1.बी.आर.सी. / सी. /	1.बी.आर.सी. /	1.बी.आर.सी. /	1.बी.आर.सी. /	1.बी.आर.
	एन.पी.आर.सी.स्तर सी.स्तर	एन.पी.आर.सी.स्तर	एन.पी.आर.सी.स्तर	एन.पी.आर.सी.स्तर	एन.पी.आर.
	पर	पर	पर	पर	पर
	2.डायट स्तर पर स्तर पर	2.डायट स्तर पर	2.डायट स्तर पर	2.डायट स्तर पर	2.डायट
जनपद स्तरीय प्रतियोगिता	जनपद स्तरीय 1. टी.एल.एम. प्रतियोगिता का	जनपद स्तरीय 1. कला प्रतियोगिता	जनपद स्तरीय 1. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तरीय 1. टी.एल.एम. प्रतियोगिता	विज्ञान प्रतियोगिता
	2. कक्षा शिक्षण एम.	2. टी.एल.एम.	2. विज्ञान	2. सामान्य ज्ञान	2. टी.एल.
	प्रतियोगिता	प्रतियोगिता	प्रतियोगिता	प्रतियोगिता	प्रतियोगिता
	3. सुलेख प्रतियोगिता	3. विज्ञान प्रतियोगिता			

विशेष प्रशिक्षण :–

1– कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण।
2– लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण।
3– नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण।
4– स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण।
5– सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण।
6– व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण।
7– समुदाय छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षण।
8– शिक्षा मित्र/आचार्य जी प्रशिक्षण।
9– समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण।

कम्प्यूटर के उपयोग हेतु प्रशिक्षण :–

इस निमित्त दस उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चुने हुए शिक्षकों को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण डायट में प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु डायट के सदस्यो को एक माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के माड्यूल का विकास डायट तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 लखनऊ के सहयोग से किया जायेगा।

इस प्रकार प्रशिक्षण उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करेगें।

लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण :–

कक्षा में बालिकाओं के प्रति व्याप्त भेदभाव दूर करने के लिए बी0आर.सी0 स्तर पर तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

सभी उच्च प्राथमिक विद्यायल के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व क्षमता विकास समय सम्बन्धन एवं विद्यालय प्रबन्धन का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण :–

स्कूल प्रबन्धन ही शैक्षिक गुणवत्ता की आधारशिला है एक सुप्रसिद्ध स्कूल में गुणवत्ताके तीनों पक्षों यथा स्कूल कर भैतिक परिवेश, शिक्षक एवं शिक्षण अधिगम सम्बन्धी प्रक्रियायें तथा छात्रों के मूल्यांकन सम्बन्धी क्रियाकलाप सुव्यवस्थित रूप से संचालित होते रहते हैं साथ ही उक्त प्रक्रियाओं के लिए समुदाय सहयोग आवश्यक है

इन सभी वर्णित तथ्यों पर आधारित प्रशिक्षण जूनियार हाईस्कूल के समस्त अध्यापकों को प्रदान किया जायेगा। इसकी अवधि चार दिवसीय होगी। इस प्रशिक्षण हेतु माड्यूल का विकास एंव मास्टर ट्रेन्रों का प्रशिक्षण डायट के सहयोग से सीमेंट इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

सूक्ष्य नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण :—

इस निमित्त तीन दिवसीय कार्यशाला बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डायट पर सीमेट से पधारे संदर्भ दाताओं द्वारा किया जायेगा। माड्यूल का निर्माण भी सीमेट इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण :—

यह प्रशिक्षण समस्त जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों को प्रदान किया जायेगा ताकि वे अपने छात्रों के भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकें।

समुदाय, छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षण :—

इस प्रशिक्षण हेतु तीन सदस्यीय कमेटी प्रत्येक विद्यायल से जिसमें एक ग्राम प्रधान (यथा संभव महिला) एक अभिभावक परिषदीय जूनियर हाईस्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का और सम्बन्धित स्कूल के प्रधानाध्यापक को प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण का माड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित किया जायेगा। शिक्षा मित्र/आचार्य जी प्रशिक्षण जनपद में चयनित होने वाले शिक्षा मित्रों तथा विद्या केन्द्रों के आचार्य जी के लिए तीन दिवसीय आधार भूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा।यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त होगा।

समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण :—

इस निमित्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। तीन दिवसीय प्रशिक्षण का माड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित किया जायेगा।

ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण :—

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से स्थापित शिशु शिक्षा केन्द्रों की कार्यकात्रियों तथा सहायिकाओं के लिए सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा

इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का निर्माण किया जायेगा।

बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण :—

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत उक्त समन्वयकों द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुसमर्थन प्रदान किया जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज में 6 से 8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस निमित्त बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है इस दृष्टि से बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बन्धी अकादिमक पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य स्तर पर किया जायेगा। बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 के समन्वयकों की उक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षा मित्र आचार्य जी0ई0सी0सी0ई0 के अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर विकसित किया जायेगा।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का प्रशिक्षण :—

विकास खंड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों का नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 की महत्वपूर्ण भूमिका है इस दृष्टि से इनका पाँच दिवसीय ओरिएटेशन प्रशिक्षण डायट स्तर पर सीमेट इलाहाबाद द्वारा तैयार किया गया प्रशिक्षण माड्यूल के अनुसार निम्न विन्दुओं पर आधारित होगा। क्षेत्रान्तर्गत स्थित विद्यालयों बी0 आर0 सी0 / एन0पी0आर0सी0 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों मकतव मदरसों आदि के अकादमिक पर्यवेक्षक तथा समुदाय की सहभागिताहेतु कार्यक्रम का अनुश्रवण।

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण :—

विद्यालयों की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने के लिए प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। इस प्रशिक्षण में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ–साथ युवक मंगल दल के सदस्य माडल क्लस्टर डवलपमेंट ऐप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने की दृष्टि से वूमेन्स मेन्स ग्रप, मदर टीचर्स एसोसिएशन, पेरेन्ट टीचर्स एसोसिएशन को भी प्रशिक्षण किया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सामुदयिक सहयोग :–

भारतीय संविधान की धारा 45 में शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसका तात्पर्य स्वतंत्र भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो जाये, या कम से कम साक्षर तो हो ही जाये शिक्षा के विकेन्द्रीयकरण को दृष्टिगत रखकर संशोधित पंचायती राज्य अधिनियम लागू किया गया है। जिसके अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना की गयी। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रतिपूर्ति की दृष्टि से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के प्रबन्धन तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये पंचायती राज्य व्यवस्था के अनुसार स्थापित ग्राम शिक्षा समिति का विधिवत गठन किया गया जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा। ग्राम शिक्षा समिति में उक्त के अतिरिक्त महिलाओं, अनुसूचित जाति/जन जाति के अभिभावकों, विकलांगों बच्चों के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। ग्राम शिक्षा समिति प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत निर्माण एवं अनुरक्षण विद्यालय की अन्य सुविधाओं के साथ–साथ विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के कार्यो के लिये प्रत्येक विकास खण्ड में नेहरू युवा केन्द्र के स्वयं सेवकों स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों, शिक्षकों, ग्राम सभा स्तर पर उत्साही युवकों जिनकी संख्या प्रति विकास खण्ड 25 से 30 होगी, का चयन कर ब्लाक संसाधन समूह (बी0आर0जी0) तथा जिला संसाधन समूह (डी0आर0जी0) का गठन किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के तीन दिवसीय अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर का प्राविधान है। ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों का अभिप्रेण प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फतेहपुर के नेतृत्व में ब्लाक संसाधन समूह (बी0आर0जी0) के सदस्यों का चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों के अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षित ब्लाक संसाधन समूह (बी0आर0जी0) के सदस्यों ने राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन निशातगंज लखनऊ द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर जनपद की कुल 789 ग्राम शिक्षा समितियों में से प्रथम एवं द्वितीय चक्र में 100 ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण वर्ष 2000–2001 तथा शेष ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण वर्ष 2001–2002 में आयोजित किया गया।

वर्तमान में सभी ग्राम शिक्षा समितियों प्रशिक्षित हो चुकी हैं अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर निम्न बिन्दुओं पर आधारित थे।

1– समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलता पूर्वक प्रस्तुतीकरण।

2– ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों का कौशल निर्माण।

3– प्रतिभागिता उपागम रोल प्ले केस स्टडी क्षेत्र भ्रमण एवं सम्प्रेषण अभ्यास।

4– समस्या समाधान एवं प्रतिभागिता परक विश्लेषण अभ्यास कार्य ।

5– गांव के सर्वांगीण शैक्षिक विकास हेतु सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक मानचित्रण ग्राम शिक्षा योजना निर्माण।

6– लिंग भेद एवं बालिकाओं के शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा विकलांग बच्चों की विशेष शिक्षा अभ्यास कार्य।

ग्राम शिक्षा समिति के अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर में प्रयुक्त माड्यूल (ग्राम शिक्षा समिति संकाय एंव प्रयास) के अनुसार विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल पर आने वाले बच्चों एवं उनके स्कूल न आने वाले कारणों की पहचान के लिये सूक्ष्म नियोजन (माइक्रो प्लानिग) तथा स्कूल मानचित्रण (स्कूल मैपिंग) का कार्य किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, विद्यालय विकास योजना तथा ग्राम शिक्षा योजना निर्माण से विद्यालयी क्रियाकलाप में समुदाय कीभागीदारी बढ़ी है। जिससे स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण में सुविधा तथा स्कूल न आने वाले बच्चे विशेष कर बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में आशातीत वृद्धि हुई हैं प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये समुदाय की सहभागिता में और अधिक वृद्धि करने के लिये विद्यालय के शिक्षण कार्य को देखने के लिये विद्यालय में आयोजित किये जाने वाले राष्ट्रीय पर्वो एवं वर्षिक कार्यक्रमों के अवसर पर प्राथमिक विद्यालय से संवित समुदाय के लोगों को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है। बच्चों की शिक्षा में परिवार एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावक के जागरूक होने पर बच्चों के विद्यालय में नामांकन एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होने में सहयोग मिलता है साथ ही परिवार के सदस्यों भाई–बहन, माता–पिता के शिक्षित होने पर बच्चों को गृह कार्य करने में मदद मिली है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों के कम पढ़े लिखे या निरक्षर होने तथा शहरी क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों में आने वाले अधिकांश बच्चे गरीब परिवार के होने के कारण बच्चों की शिक्षा में सहयोग नहीं दे पाते। इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में शिक्षा के लिये बच्चों को मात्र शिक्षकों का ही सहयोग मिल पाता है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षणोपरान्त कराये गये सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि लगभग 50 प्रतिशत विद्यालयों में समुदाय का सहयोग प्राप्त हो रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण :–

जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों एवं डायट के संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण सीमेट इलाहाबाद में परियोजना के प्रथम वर्ष में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण की विषय वस्तु सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों एवं कार्य योजना की रणनीतियों पर आधारित होगी। आगामी वर्षो में आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेगें।

अन्य हस्तक्षेपीय उपाय :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अन्य हस्तक्षेपणीय उपायों में से एक विद्यालय में वास्तविक शिक्षण के समय में वृद्धि करना है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय

की समय सारणी का अध्ययन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ताओं एवं अन्य संकाय सदस्यों द्वारा विद्यालयों के शैक्षिक भ्रमण के दौरान किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है :–

कुल कार्य दिवस जिनमें विद्यालय खुला : – 220

शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध दिवसों की संख्या : –160

विवरण	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण दिवस	160	200
परीक्षा	10 दिन	14 दिन
पल्स पोलियों चुनाव	30 दिन	30 दिन
ड्यूटी आर्थिक गणना	—	—
ए0बी0एस0ए0 की बैठक	—	—
खेलकूद की रैली	—	—
बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी	—	—
समुदाय से संपर्क	7 दिन	7 दिन

स्कूल समय सारिणी के अनुसार जनपद फतेहपुर में उपलब्ध शिक्षण समय

विषय	प्राथमिक स्तर वादन x समय	उच्च प्राथमिक स्तर वादन x समय
भाषा 1 हिन्दी	10 x 40	3 x 40
भाषा 2 अंग्रेजी	3 x 40	3 x 40
भाषा 3 संस्कृत	3 x 40	3 x 40
विज्ञान	6 x 40	3 x 40
गणित	10 x 40	3 x 40
सामाजिक विषय	5 x 40	3 x 40
बेसिक क्रफ्ट / कला	5 x 40	3 x 40
शारीरिक शिक्षा	3 x 40	3 x 40
कृषि —	————	2 x 40

कार्यशालाओं / गोष्ठियों का आयोजन :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर-न्याय पंचायत समन्वयक के नेतृत्व में होने वाली बैठकों को और अधिक उपादेयी बनाने की दृष्टि से डायट स्तर पर एक वार्षिक कार्ययोजना भी बनायी जायेगी। इस वार्षिक

कार्य योजना को बनाने में बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की सहायता भी ली जायेगी तथा तैयार की गयी वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर निम्नवत् कार्यशालाओं/गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा।

1– बच्चों के सम्प्रापित स्तर की स्थिति।

2– अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।

3– विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।

4– छात्र/छात्राओं की सम्प्राप्ति के मूल्यांकन टेस्ट आईटग का निर्माण।

5– समुदाय की सहभागिता विद्यालय प्रबन्धन में कैसे बढ़ायी जाये।

6– छात्र/छात्राओं के गणवेश में आने हेतु प्रेरित करने के लिए संगोष्ठी।

7– छात्र/छात्राओं के बुद्धि लब्धि के परीक्षण के लिए टैस्ट आईटम का निर्माण।

8– कक्षा कक्षों में प्रशिक्षण का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए गोष्ठी विचार।

कार्यशालाओं/गोष्ठियों का आयोजन :–

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा ऐक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से पाँच दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी। इन कार्यशालाओं के आयेजन के सीमेट इलाहाबाद तथा निदेशक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ का सहयोग लिया जायेगा। बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदानों के लिए स्वयं अपनी कार्य योजना बनाये और समाधान ढूढने में सफल हो सके।

क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार है :–

1–शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?

2– बहु कक्षा शिक्षण की स्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार किया जाये ?

3– बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में मानीटर का सहयोग कैसे ?

4– कक्षा कक्ष की प्रक्रिया (क्लास रूम प्रोसेस) में सहभागिता बढ़ाने के प्रयास ?

5– शिक्षण प्रशिक्षण की कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु संकेतकों (इन्डीकेटर्स का विकास) ?

6– बच्चों की न्यून सम्प्राप्ति स्तर होने के कारणों की पहचान ?

7– बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरूचि बढ़ाने के प्रयास ?

8– समुदाय को विद्यालय के करीब लाने हेतु प्रयास ?

9– शिक्षकों एवं छात्रों के बीच अतः सम्बन्ध विकसित करने के लिए प्रयास ?

10– अध्यापकों द्वारा सक्रिस अधिगम पद्धति को प्रयोग मे न लाना ?

11– धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सहायता देने की विधियाँ खोजना ?

12– उद्देश्य पूर्ण शिक्षण करना।

13– बहु श्रेणी कक्षा शिक्षण।

14– प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं का कम नामांकन होने की समस्या।

15– विद्यालय परिसर के दुरूपयोग की समस्या।

16– अल्पसंख्यक बालिकाओं के कम नामांकन की समस्या।

17– छात्रों का लेखन अच्छा न होने की समस्या।

18– मध्यावकाश के पश्चात् कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति कम होने सम्बन्धि समस्या।

19– अधिकांश छात्रों का विद्यालय गणवेश में न आने का अध्ययन व समाधान

20– छात्रों की अनियमित उपस्थिति।

21– छात्रों को स्थानीय मान का ज्ञान न होने के कारण उसका समाधान।

22– गणित विषय की पुस्तक कुछ कठिन शब्दों का समावेश होने से छात्रों को समझने में होने वाली कठिनाई का निवारण।

23– दण्डात्मक शिक्षण प्रणाली के कारण विद्यायल मे अधिकतर छात्रों की अनुपस्थिति रहने की समस्या एवं समाधान।

शैक्षिक सूचना प्रबन्धक प्रणाली :–

शैक्षिक नियोजन तथा प्रबन्धन को अधिकाधिक यथार्थ प्रासांगिक आवश्यतापरक तथा प्रभावपूर्ण बनाने हेतु शैक्षिक आंकड़ों तथा सूचनाओं की सुलभता आवश्यक है इसके लिए आधारभूत आंकड़ों तथा सूचनाओं के संकलन विश्लेषण तथा निष्कर्ष निर्धारण के सोपनों के माध्यम से शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणली (डी0आई0एस0ई0) का विकास अपेक्षित होता है। विद्यालय न्याय पंचायत ब्लाक संसाधन केन्द्र जनपद राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं तथा आंकड़ों को तैयार करने और उनके उपभोग के अनेक अवसर आते है। इस प्रसंग में यह विशेष उल्लेखनीय है कि सूचना संकलन तथा विश्लेषण के क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली एक नवोद्घाटित आयाम है।

ई0एम0आई0एस0 द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्वेषण से प्रत्येक गांव/विद्यालय की मूलभूत समस्या एवं आवश्यकताओं की जारकारी मिलती है। ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के विश्लेषण से गुणवत्ता सूचकांक के द्वारा बच्चों की सम्प्राप्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र द्वारा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उसका उपयोग शैक्षिक योजनाओं के नियोजन तथा क्रियान्वयन में हो सकेगा।

प्रत्येक न्याय पंचायत प्रभारी एवं ब्लाक समन्वयक के आंकड़ों के विश्लेषण एवं उससे निष्कर्षो को निकालने सम्बन्धी पॉच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

इस प्रशिक्षण को लेने के उपरान्त उपरोक्त समन्वयक अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले विद्यालयों के अध्यापकों को ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के प्रयोग सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करेगें।

जब विभिन्न स्कूलों का जिला स्तर पर कम्प्यूटरीकरण हो जायेगा तब विभिन्न प्रकार की 60 रिर्पोट जनरेट की जा सकती है। इन रिर्पोट का विश्लेषण एवं व्यवस्था कारके जो मुद्दे उभरेगें उनको ध्यान में रखते हुए अगली योजना तैयार की जायेगा।

मूल्यांकन प्रणाली :-

छात्रों के मासिक, वार्षिक मूल्यांकन की जो प्रणाली वर्तमान में प्रचलित है उसे परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा-5 की परीक्षा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एवं कक्षा-8 की परीक्षा बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। मूल्यांकन की व्यवस्था डायट में होगी तथा प्रश्नपत्र निर्माण डायट में ही होगा। साथ ही छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करने के लिए सतत् व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था कीजायेगी।

उल्लेखनीय है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण माड्यूल निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा तैयार किया जा चुका है एवं जल्द ही अध्यापक का प्रशिक्षण (प्रशिक्षण स्तरीय) भी कराया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को भी सतत् एसववं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी अभिमुखीकरण भी कराया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान में एतद् विषयक प्रशिक्षण डायट/बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को भी प्रदान किया जायेगा ताकि वे इस प्रणाली का क्रियानवयन विद्यायल स्तर पर सुनिश्चित कर सकें।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना :-

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा जनपद विकास खड, न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियानवयन विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास का शोध, एवं मूल्यांकन नवाचार कार्यक्रम का संचालन तथा अनुश्रवण सामग्री विकास ई0एम0आई0एस0 आंकडों का विश्लेषण तथा अपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

अकादमिक सन्दर्भ समूहों का सुदृढ़ीकरण :-

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का नियोजन क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण गुणवत्ता विकास के विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण आदि

से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह गठित किया जायेगा। जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त वाह्य विशेषज्ञ शिक्षा विद कालेजों एवं अशासीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल स्तर के शिक्षकों को भी जोड़ा जायेगा। इनकी क्षमता सम्वर्धन हेतु निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ के सहयोग से क्षमता विकास कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। यह कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण विषय शिक्षण, स्कूल प्रबन्धन शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगी तथा प्रति वर्ष पांच दिवसीय आयोजित की जायेगी।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री का विकास (उच्च प्राथमिक स्तर के लिए) :–

प्राथमिक कक्षाओं (1 से 8 तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा जुलाई 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8 तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित कराये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि का इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम् उपयोग कक्षा शिक्षण में कर सकें।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 6 से 8 तक के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्य पुस्तक का विकास निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वाधान में किया जा रहा है। इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शिक्षक सन्दर्शिकाओं का विकास भी किया जायेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग सम्बन्धी बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्री :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यनरत् बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार कर सके।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/प्रोत्साहन की व्यवस्था :–

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन में शिक्षकों

ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों, न्याय पंचायत/ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तरीय अभिकर्मियों/डायट संकाय सदस्यों कीमहत्वपूर्ण भूमिका होगी।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रम का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थपित करने की दृष्टि से प्रत्येक स्तर पर कार्यरत् अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा विकसित करने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता में विकास में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकास खंड स्तर पर दो ग्राम शिक्षा समितियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्रमशः 15,000.00 एवं 10,000.00 रूपये दिया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियां इस धन का उपयोग विद्यायलों को समृद्ध करने में अपने निर्णयानुसार करेंगी। शिक्षकों को नवाचार के लिए प्रेरित करने पठन--पाठन के उत्कृष्ट मानदंड स्थपित करने के लिए प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चिन्हित कर प्रत्येक विकास खंड में एक--एक अध्यापक को 5000.00 रूपये पुरस्कार दिया जायेगा। जनपद में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले दो बी0आर0सी0 को एवं प्रत्येक विकास खंड के एक एन0पी0आर0सी0 को 10,000.00 एवं 7,000.00 की दर से पुरस्कार दिया जायेगा।सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डायट अभिकर्मियों को मानदेय दिये जाने का प्राविधान किया जायेगा। डायट/बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेण्डर :--

वर्ष 2003--04

क्रमांक	कार्यक्रम	अवधि
1--	विजनिंग कार्यशाला	4 दिन
2--	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
3--	शिक्षा मित्र आचार्य जी प्रशिक्षण	30 दिन
4--	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	3 दिन
5--	ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	7 दिन
6--	बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण	5 दिन
7--	ब्लाक संसाधन ग्रुप का प्रशिक्षण	3 दिन
8--	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	15 दिन
9--	अंग्रेजी तथा संस्कृत के विषयों हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
10--	नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण	4 दिन
11--	ऐक्शन रिसर्च हेतु पशिक्षण	5 दिन
12--	विज्ञान शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	दिन
13--	गणित शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
14--	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु कार्यशाला	2 दिन
15--	व्यक्तित्व क्षमता विकास कार्यशाला	3 दिन
16--	समुदाय शिक्षक एवं अभिभावकों के बीच	5 दिन
17--	टी0 एल0एम0 कार्यशाला (प्राइमरी एवं उच्च प्राइमरी)	3 दिन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों का कौशल विकास :–

डायट संकाय के सदस्यों को भी कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षत किये जाने की आवश्यकता है जिससे प्रशिक्षणों आदि के आयोजन तथ दैनिक कार्यो के निष्पादन में सुविधा हो सके। डायट संकाय सदस्यों को निम्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है :–

1– समेकित शिक्षा कार्यशाला हेतु संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण।
2– कम्प्यूटर प्रशिक्षण।
3– लाइब्रेरी संचालन व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण।
4– शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को संयचालित किये जाने विषयक प्रशिक्षण।
5– क्रियात्मक शोध प्रशिक्षण।

सर्व शिक्षा अभियान का अकादमिक सुपर विजन :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के शैक्षिक अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयकों ब्लाक स्तर पर सह समन्वयक एवं समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा डायट स्तर पर ब्लाक मेन्टर की भूमिका रही है। किन्तु कार्यक्रम के प्रभावी अनुश्रवण के लिये कुछ और अधिक परस्पर लिकेजेज की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालयों न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों/ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा डायट के ब्लाक मेन्टर में परस्पर लिकेजेज बनासमन्वयक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपने अकादमिक अनुश्रवण का प्रतिवेदन अपने ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक को देगा तथा प्रतिवेदन का समाधान हर संभव ब्लाक संसाधन केन्द्र पर किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र पर न्याय पंचायत संयाधन केन्द्र से प्राप्त होने वाले जिन प्रतिवेद नों का समाधान नहीं हो पायेगा उन्हे समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र द्वारा डायट पर आयोजित मासिक बैठक कार्यशाला में प्रस्तुत किया जायेगा। शिक्षा के गुणवत्ता सम्वर्धन तथा शिक्षकों की शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि के लिए डायट स्तर पर गणित अकादमिक संसाधन समूह के सदस्यों की मासिक बैठक में बी0आर0सी0 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर चर्चा करके भविष्य का एजेंडा तैयार किया जायेगा। जिसके दिशा निर्देशन में बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयक कार्य करेगें प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन भ्रमण कार्यों का अनुश्रवण तथा श्रेणीकरण के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। चूंकि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों हाईस्कूल, इंटर कालेज में कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले शिक्षको को परिधि मे लिये जाने का प्रस्ताव है। अतएव इन विद्यालय के शिक्षकों का भी अकादमिक पर्यवेक्षण किया जायेगा।

बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 में गुणवत्ता विकास तथा संस्थागत क्षमता सम्बर्धन की भूमिका के संदर्भ में इनका पशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर

किया जायेगा। जिसमें इस बात पर विशेष बल होगा कि डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत चलायी गयी अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणली की ओर अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम ,बनाया जा सके। प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों ब्लाक संसाधन केन्द्रों को उनके कार्य निष्पादन के आधार पर राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरा मीटर (उद्देश्य परक मानक) के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उनकी आवश्यकता आधरित क्षमता विकास पर विशेष बल दिया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा की एक महत्वाकांक्षी योजना है तथा कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं प्रत्येक स्तर पर परस्पर लिंकेजेज बनाये रखने के लिए वर्तमान में कार्यरत् अभिकर्मी पर्याप्त नहीं है। अस्तु सृजित पदों के विपरित अभिकर्मियों पदस्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान :–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों (शिक्षामित्रों सहित) के प्रशिक्षण का प्राविधान है। जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री (टी0एल0एम0) निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। शिक्षण अधिगत सामग्री के विकास के लिये प्रत्येक अध्यापक एवं शिक्षामित्र को रुपये 500 की दर से प्रतिवर्ष टी0एल0एम0 अनुदान दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयो के समस्त शिक्षकों एवं अतिरक्ति शिक्षकों को वर्ष 2002–03 से यह अनुदान दिया जायेगा। किन्तु प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों/शिक्षामित्रों, नवीन विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षामित्रों को वर्ष 2002–03 से टी0एल0एम0 अनुदान दिया जायेगा।

टी0एल0एम0 अनुदान का वर्ष वार प्रावधान बजट में निम्नवत् कर लिया जायेगा।

सारिणी संख्या

वर्ष	टी0एल0एम0 अनुदान हेतु शिक्षकों/शिक्षामित्रों की संख्या	
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
2002–3	–	500
2003–4	200	1500
2004–5	5008	800
2005–6	–	800
2006–7	–	800
2007–8	–	––
2008–9	–	––
2009–10	–	––

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फतेहपुर का सुदृढ़ीकरण :–

डायट फतेहपुर में डायट का प्रशासनिक भवन तथा पुरूष/महिला छात्रावास डायट की स्थापना के समय निर्मित किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के एकेडमिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता रहेगा इसलिए प्रतिभोगियों के आवास के लिए 50 शैय्या का छात्रावास तथा अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष डारमेटरी प्राचार्य आवास की आवश्यकता है।

डायट के कक्षा कक्ष के लिए 200 मेज, 200 कुर्सी छात्रावास के लिए 100 तख्त, 100 गद्दा 100 बेडशीट तथा तकिया की आवश्यकता है। कार्यक्रमों की टेली कान्फ्रेंसिंग के लिए एक बड़े 73 सेमी0 रंगीन टी0वी0 बी0सी0आर0 के साथ उपलब्ध है। संस्थान में कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटरया जायेगा।रूम नहीं हैं। संस्थान में कम्प्यूटर कक्षा के लिए एक डाट मेटिक्स प्रिन्टर एवं एयर कन्डीशनर की आवश्यकता है। पुस्तकालय सुदृढ़ीकरण हेतु आलमारी और फर्नीचर की आवश्यकता है।

डायट सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित बजट

क्रमांक	मद का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1.	भोजनालय कक्ष का निर्माण	5.00
2.	सभाकक्ष का निर्माण	—
3.	पुताई, रंगाई, सुधार, मरम्मत आदि	2.00
		योग
	70.00	

उपकरण साज–सज्जा

1.	कम्प्यूटर	6.00
2.	पुस्तकालय हेतु स्टेशन	0.50
3.	वाटर कूलर, डुप्लीकेटिंग मशीन ए0सी0	2.00
	योग	8.50

अन्य मद

1.	संस्थान की बाउन्ड्री	—
2.	जलापूर्ति हेतु पाइप की मरम्मत	1.00
3.	ड्राइवर हेतु वेतन	4.00
	योग	5.00

आवर्तक प्रतिवर्ष

1.	क्रियात्मक शोध अध्ययन	2.00
2.	कार्यशाला / सेमिनार	2.00
3.	प्रकाशन एवं मुद्रण	5.00
4.	कन्टीजेन्सी	1.50
5.	वाहन रखरखाव एवं पी0ओ0एल0	1.50
	योग	12.00

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत डायट की क्षमता / दक्षता संवर्धन हेतु डायट से प्राप्त उपर्युक्त प्रस्ताव एवं अभियान के अन्तर्गत अनुतानित आवश्यकता का आकलन करते हुए निम्नलिखित प्राविधान किये जायेगें–

सारणी संख्या–9.3

क्र सं0	मद का नाम	अनुमानित लागत (हजार में)	अन्य विवरण
1.	फर्नीचर	100	
2.	उपकरण (दृश्यश्रव्य सामग्री सहित)	200	
3.	कम्प्यूटर वर्क स्टेशन	600	
4.	वाहन	–	
5.	किराये का वाहन	50	
6.	पी0ओ0एल0 एवं वाहन का रखरखाव	400	
7.	सेमिनार	1500	
8.	शोध / क्रियात्मक शोध	1000	
9.	संकाय विकास	40	
10.	एक्सपोजर विजिट	40	
11.	पुस्तकालय	50	
12.	कम्प्यूटर आपरेटर का वेतन	100	
13.	ड्राइवर का वेतन	100	
14.	कंज्यूमेबिल / कम्प्यूटर स्टेशनरी	50	
15.	आनुषांगिक व्यय	800	
	योग	5060	

अध्याय – 10

परियोजना प्रबन्धन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि 2001–10 तक होगी। इस अवधि में 6–14 आयु के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जायेगी। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबन्धन कौशल विकसित कर लिए जाने का प्रस्ताव है।

प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगी और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। इसमें अधिकतम जनसहभागिता पर ध्यान रखा जायगा।

संगठनात्मक ढांचा :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से गठित है। जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी है। मुख्य विकास अधिकारी इसके उपाध्यक्ष है। तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य/सचिव हैं।

समिति का गठन निम्न प्रकार हैं।

1. जिलाधिकारी अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य/सचिव
4. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य
5. जिला स्तरीय विभाग का एक अधिकारी सदस्य

6. वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक विभाग) सदस्य

7. जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य

8. अधिशासी अभियन्ता पी0 डब्लू0 डी0 सदस्य

9. अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा सदस्य

10. जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य

11. दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय)

12. दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष सदस्य

13. दो शिक्षक (राष्ट्रपति/राज्यपुरस्कार प्राप्त) सदस्य

14. स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित) सदस्य

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व :

(अ) यह समिति जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिला स्तर पर उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुए इसे सभी निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार तथा जन सहभागिता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में इसके निर्णय सभी प्रशासनिक एवं शैक्षिक अंगों को मान्य होंगे। प्रवेश धारण क्षमता, गुणवत्ता संवर्धन तथा निर्माण के लिए तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए संस्थाओं का निर्धारण तथ प्रचार प्रसार के सभी कार्य इसी समिति के द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान की संरचना संचालन एवं निर्देश के लिए जनपद स्तर पर सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0 जी0 एस0/ए0 आई0 ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इस समिति का होगा।

(ब) जिला बेसिक शिक्षा समिति परियोजना के अन्तर्गत नवीन प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु स्थल चयन करने के लिए जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा समिति पूर्व से ही गठित है। इस समिति के अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष तथा जिला बेसिक शिक्ष अधिकारी सदस्य/सचिव है।

जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगे जिसमें निम्नलिखित आवश्यक स्टाफ के पद सृजित कर तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यानलय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी–पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2. उपबेसिक शिक्षा अधिकारी अपर जिला परियोजना अधिकारी
3. समन्यवक
4. सलाहकार
5. कम्प्युटर आपरटेर
6. सहायक लेखाधिकारी
7. लिपिक/कम्प्युटर आपरेटर
8. परिचारक

उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षाअधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवक्षण में कार्य करेगें जनपद में कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी अपर जिला परियोजना अधिकारी होगें।

ग्राम शिक्षा समिति–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर यह समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी। विद्यालय परिसर में सुधार, भवन निर्माण, चहारदीवारी निर्माण, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति विद्यालय की स्वच्छता आदि इसी समिति की देखरेख में सम्पन्न किया जायेगा। इसके अतिरिक्त नामांकन, धारण, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करना इसी समिति का दायित्व होगा। समिति का स्वरूप निम्नवत है :–

1. ग्राम प्रधान अध्यक्ष
2. प्रधानाध्यापक – सदस्य/सचिव
3. तीन अभिभावक जिसमें एक महिला सदस्य होगी

(सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत होगें)

शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों का भुगतान ग्राम शिक्षा समितियों के द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार का वितरण निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समितियों के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

प्रशासनिक संगठन–

1. ब्लाक स्तर :

प्रत्येक विकास खण्ड में एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेंगें। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी परियोजना कार्यक्रम

के क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तर दायी होंगे। विकासखण्ड के स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय प्रवायत केन्द्र के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका मुख्य दायित्व है। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। इसके लिए उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेगी।

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियो एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

2. विद्यालय भवनों (निर्मित हाने वाले) का पर्यवेक्षण करना।

3. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित कर संकलित कराना।

4. छात्रवृत्ति एवं पोषाहार की सूचना संकलित करना।

5. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

6. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की क्षमता में वृद्धि के लिए मोटर साइकिल की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

विकास खण्ड स्तर पर नियुक्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का सम्प्रति कार्यालय ब्लाक संसाधन केन्द्र है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत धन के दुरूपयोग से बचने के लिए ब्लाक संसाधन केन्द्र / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भेजे जाने वाले समस्त अनुदान सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के खाते में ही भेजे जाय। इस खाते का लेखा परीक्षण अन्य शासकीय कार्यलयों की भांति ही सुनिश्चित कराया जाय।

गुणवत्ता संवर्धन हेतु संगठनात्मक ढांचा :

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान –

जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान सुदृढ़ किया जा चुका हे। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। इसके निम्नलिखित कार्य है –

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना।
2. ब्लाक स्तर के संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना निरीक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत कराना।
3. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्ता मूलक निरीक्षण करना तथा अध्यापकों को मार्ग दर्शन देना।
4. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना तथा इसके लिए बेस लाईन सर्वे कराना।
5. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना तथा क्रियान्वयन कराना।
6. शिक्षकों समन्वयकों , निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

ब्लाक संसाधन केन्द्र :

जनपद फतेहपुर के सभी विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन भवनों का निर्माणकराया जा चुका है। सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत है तथा सुसज्जित है। यहाँ समन्वयक की नियुक्ति की जा चुकी है तथा प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर दो अन्य

अतिरिक्त सह समन्वय का पद सृजित है। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण सूचना को एकत्रित करना तथा संकलन सांख्यकी संकलन एवं सभी प्रकार के कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेंगे।

कार्य एवं दायित्व

1. अध्यापकों को अभिनवी करण प्रशिक्षण प्राप्त कराना।
2. विद्यालयों का एकेडेमिक पर्यवेक्षण करना/नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य कराना।
3. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एवं डाइट के बीच मे समन्वय स्थापित करना।
4. विकास खण्ड के शैक्षणिक आंकड़ों का आकलन एवं संकलन करना तथा सूक्ष्म नियोजन कराना।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रे (एन० पी० आर० सी०)

जनपद फतेहपुर में 132 न्याय पंचायत ससाधन केन्द्रों का निर्माण प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है।

इसे सुसज्जित करने हेतु न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों में सकुल प्रभारी की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय और क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयो का शैक्षणिक निरीक्षण करना।

2. विद्यालयो का साप्ताहिक पर्यवेक्षण करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार विमर्श एवं उनका निराकरण करना।

3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करना।

4. विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार, प्रवेश, निर्माण की योजना तैयार करना।

5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओ का सकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

एजूकेशनल मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत जो कम्पूटर स्थापित है उससे शिक्षा गारन्टी योजना, वैकल्पिक , शिक्षा नवाचार योजना सम्बन्धी गतिविधियो का अनुश्रवण ऑकड़ो का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा।

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्पूटर आपरेटर शंकुल प्रभारी वी0 आर0 सी0 समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हें ई0 एम0 आई0 एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उसे भरना संकलन, विशलेषण आदि की जानकारी दी जायेगी ।

प्राथमिक तथा उ0 प्राथमिक स्तर पर प्राप्त शैक्षणिक सूचनाओं के प्रपत्र उपलब्ध हो गये है जिस पर प्रतिवर्ष 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार ऑकड़े एकत्रित किये जायेगे तथाकम्प्यूटर डाटा तैयार की जायेगी।

ई0 एम0 आई0 एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स ग्रास इनरोलमेन्ट रेसियो नेट इनरोलमेन्ट रेसियो ड्राप हाउट दर छात्र अध्यापक अनुपात कक्षा कक्ष छात्र अनुपात के आकड़ो का प्रतिवर्ष वार्षिक कार्य योजना के निर्माण हेतु उपयोग किया जायेगा।

वर्षिक कार्य योजना एवं बजट
वर्ष 2003–04

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2003-2004	
		Cost	Phy	Fin
A	ACCESS			
A1	New Primary School Unserved	259	55	14245
A2	New Upper Primary Schools	451	55	15400
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9		
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	69	8280
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04	2.25		
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04	9	55	2970
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)	10	165	9900
A8	Teaching Learning Equipment			
A8.1	PS	10	55	550
A8.2	UPS	50	55	2750
A9	TLE UPS not covered OBE	50		
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200		
	Total			54095
	Interventions for out of school children			
A11	Alternative Schools			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.845		

A11.2	Honraria	1		
A11.3	Training	1.5		
A11.4	Contingency	0.468		
A11.5	Equipment	1.76		
A11.6	Adm. & Management Cost	6.056		
A12	AIE/ Primary-including all models of DPEP(per child)-Shiksha Ghar	0.845		
A13	AIE Upper Primary	1.2	26	936
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5		
A15	Bridge/Remedial course PS	180	1	180
A16	Bridge Course at NPRC level	0.845	132	4461.6
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.35		
A18	Updation Of Microplanning	250		
	ACCESS Subtotal			**59672.60**
R	**RETENTION**			
R1	Reconstruction - PS	191		
R2	Reconstruction - UPS	383	8	3064
R3	**Additional Classrooms**			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70		
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	15	1050
R4.1	Toilets Upper Primary	10	35	350
R4.2	Toilets Primary	10		
R5.1	Drinking Water Primary	15		
R5.2	Drinking Water Upper Primary	15		
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	1428	7140
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	171	855
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8		
R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25		
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8		

R7.4	Salary of Fresh SM(PS)	2.25	55	742.5
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	803	10840.5
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	25	50
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	319	638
R12	**Promoting Girls Education**			5000
R12.1	Summer Camps	4.5		
R12.2	MCDA	75		
R12.3	Meena Manch	4		
R12.4	SUPW for Girls Per School	25		
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07		
	Opening of ECCE centers			
R13	Strengthening ICDS centers	0		
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials			
R13.2	TLM(per center)	5		
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.375		
R13.4	Contigency(per center)	1.5		
R13.5	Training			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07		
R16	Community Mobilization			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07		
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5		
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day	0.48		
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25		
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5		
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7		
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60		
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5		
	RETENTION Sub Tota			29730
Q	QUALITY IMPROVEMENT			
Q1	Training Programmes			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	20	42

Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07		
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4		
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	861	904.05
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07		
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07		
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07		
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07		
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07		
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07		
Q2	IED Provision for disable children	1.2	1900	2280
Q2.1	**IED**-Medical Assessement	2.3		
Q2.2	Printing of Modules	9		
Q2.3	Funds for NGOs	300		
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5		
Q2.5	Support Services	5		
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31		
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2		
Q2.8	Aids and Appliances	15		
Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10		
Q2.10	Awareness workshop	5.3		
Q2.11	Extra Curricular Activities	20		
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8		
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31		
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5		
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0		
Q5	Teacher Learning Material			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	200	100
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1986	993

Q5.3	Free Text book PS	0.05	7942	397.1
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	104160	15624
Q5.5	School Library	0.15		
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05		
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15		
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5		
Q5.9	Schools Awards	25		
	QUALITY Sub Total			**20589.35**
C	**CAPACITY BUILDING**			
C1	DIET Capacity Building			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60		
C1.2	Telephone/Fax	40		
C1.3	Maintenance of Computer Room	50		
C1.4	Educational Tour & Survey	26		
C1.5	Travelling Allowance	50		
C1.6	Hiring	25		
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80		
C1.8	Seminar	200		
C1.9	Research/Action Research	200		
C1.10	Exposure Visit	50		
C1.11	Salary of Computer Operator	7		
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4		
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20		
C1.14	Contingency	50		
C2	Block Resource Center			
C2.1	Civil Construction	800		
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12		

C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5		
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3		
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10		
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	13	78
C2.7	Maintenace of Equipment	2		
C2.8	Maintenace of Building	10		
C2.9	TLM(per center)	5	13	65
C2.10	Consumables	5.0		
C2.11	Contigency	12.5	13	162.5
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3		
C2.13	Contigency - ABSA	5.0		
C3	School Complex (NPRC)			
C3.1	Construction	70		
C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12		
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5		
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	132	132
C3.4	Contingency	2.5	132	330
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	132	316.8
C4	District Project Office/Management		1	2240
C4.1	Staffing			
C4.2	BSA/AAO/DC	15		
C4.3	Salary of AE	15		
C4.4	Equipment Maintenance	30		
C4.5	Furniture/Fixtures	30		
C4.6	Books/Magazine/News papers	10		
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	13		
C4.8	Travelling Allowances	10		

C4.9	Consumaables	40		
C4.10	Telephone/FAX	30		
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100		
C4.12	Pay to JE	10		
C4.13	Hiring of Vehicle	10		
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.5		
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	194	271.6
C4.16	Contingency	100		
C4.17	AWP & B	10		
	Total			**3595.9**
C5	MIS			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200		244
C5.2	Salary of Computer Programmer	12		
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5		
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100		
C5.5	Furnishing of MIS cell	20		
C5.6	Computer Software	20		
C5.7	Upgradation and Networking	30		
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40		
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20		
C5.10	Computer Consumable	25		
C5.11	Training Of Computor Staff	10		
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25		
	CAPACITY Sub Total			
	GRAND TOTAL			113831.9

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए है, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। **अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।**
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों, वाद विवाद / वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

SARVA SHIKSHA ABHIYAN

Fathepur

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003 Phy	2002-2003 Fin	2003-2004 Phy	2003-2004 Fin	2004-2005 Phy	2004-2005 Fin	2005-2006 Phy	2005-2006 Fin	2006-2007 Phy	2006-2007 Fin	Total Phy	Total Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	55	14245	0	0	5	1280	0	0	60	15525
A2	New Upper Primary Schools	451	23	10373	55	15400	0	0	5	1400	0	0	83	27173
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	69	6660	69	8280	69	8280	69	8280	69	8280	345	39780
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	55	742.5	55	1361.25	60	1485	60	1485	230	5073.75
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	55	2970	55	5940	60	6480	60	6480	230	21870
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	165	9900	165	19800	180	21600	180	21600	690	72900
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	55	550	0	0	5	50	0	0	60	600
A8.2	UPS	50	37	1850	55	2750	0	0	5	250	0	0	97	4850
A9	TLE UPS not covered OBB	50	48	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	48	2400
A10	Assessment Sur.e For UPS Per Year	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		0	**21283**	0	**54837.5**	0	**35381.25**	0	**40825**	0	**37845**		**190171.75**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	152	3211	252	5323.5	252	5323.5	656	13858
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost / AIE Primary(according to all models of DPEP(per child)- Shiksha	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	26	936	162	5832	162	5832	162	5832	512	18432
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	50	3000	50	3000	50	3000	150	9000
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	2	360	2	360	2	360	7	1260
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	132	4461.6	2	67.6	2	67.6	2	67.6	138	4664.4
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	0	0	5	76.75	5	76.75	10	153.5
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**21283.00**	0	**60415.10**	0	**48101.85**	0	**55734.85**	0	**52754.85**	**0**	**238289.65**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	8	3064	0	0	0	0	0	0	8	3064
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	484	33880	484	33880	480	33600	1448	101360
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	13	910	15	1050	36	2520	35	2450	35	2450	134	9380
R4.1	Toilets Upper Primary	10	0	0	35	350	0	0	0	0	0	0	35	350
R4.2	Toilets Primary	10	15	150	0	0	300	3000	200	2000	91	910	606	6060
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	63	1134	63	1134	0	0	126	2268
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1428	7140	1532	7660	1532	7660	1537	7685	6029	30145
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	171	855	171	855	249	1245	249	1245	254	1270	1094	5470
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	[illegible] teacher as Old Shiksha Mitra [illegible] 2 25 pm	2 25	0	0	0	0	603	13874.25	981	24279.75	1059	[illegible]		
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	179	17184	258	24768	339	32544	776	
R7 5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	803	10841	178	4405.5	78	1930.5	80	1980	1139	19156.5
R10.1	School Improvement grant(p a /school) Ps	2	0	0	25	50	1532	3064	1537	3074	1537	3074	4631	9262
R10.2	School Improvement grant(p a /school) UPs	2	171	342	319	638	286	572	291	582	291	582	1358	2716
R12	**Promoting Girls Education**		0	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937
R12 1	Summer Camps	4 5	0	0	0	0	65	292.5	65	292.5	65	292.5	195	877.5
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	5	375	5	375	5	375	15	1125
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	100	2500	100	2500	100	2500	300	7500
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	789	1104.6	789	1104.6	789	1104.6	2367	3313.8
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	100	500	100	500	100	500	300	1500
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	300	1125	350	1312.5	350	1312.5	1000	3750
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	300	450	350	525	350	525	1000	1500
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	300	21	350	24.5	350	24.5	1000	70
R16	*Community Mobilization*		0	0	0		0		0		0			
R16.1	*MTA/PTA training for 2 days per person*	0.07	0	0	0	0	0	0	6000	16800	0	0	6000	16800
R16.2	*Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)*	5	0	0	0	0	132	660	132	660	132	660	396	1980
R16.3	*Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC*	0.48	0	0	0	0	0	0	789	378.72	0	0	789	378.72
R17	*Award to Best VEC (2 no.)*	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	*Award to Best Shiksha Mitra*	5	0	0	0	0	1	5	1	5	1	5	3	15
R19	*Special Interventions for SC/ST children*	66.7	0	2212	0	0	132	8804.4	132	8804.4	132	8804.4	396	28625.2
R20	*Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.*	60	0	0	0	5000	5	300	5	300	5	300	15	5900
R21	*School Health Check up/School PS+UPS*	2.5	0	0	0	0	1781	4452.5	1781	4452.5	1781	4452.5	5343	13357.5
	RETENTION Sub Total		0	**6406**	0	**28967.6**	0	**116178.8**	0	**141087.97**	0	**131211.25**	0	**421871.47**
Q	***QUALITY IMPROVEMENT***		0	0	0		0		0		0			
Q1	*Training Programmes*		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	*Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)*	2.1	0	0	20	42	0	0	1242	2608.2	336	705.6	1598	3355.8
Q1.2	*Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)*	0.07	111	233.1	0	0	0	0	20	42	0	0	131	275.1
Q1.3	In-service Teachers Trg *(/person for 20 days)* HT + AT for PS	1.4	681	953.4	178	249.2	4608	6451.2	4871	6819.4	5210	7294	15548	21767.2
Q1.4	In-service Teachers Trg *(/person for 20 days)* UPS	1.05	0	0	861	904.05	949	996.45	964	1012.2	964	1012.2	3738	3924.9
Q1.5	In-service Teachers *Shiksha Mitra(/personfor 20 days)*	0.07	0	0	0	0	448	627.2	629	880.6	687	1241.8	1964	2749.6
Q1.6	Induction Training of *EGS & AIE workers(/person for 30 days)*	0.07	0	0	0	0	364	764.4	364	764.4	364	764.4	1092	2293.2
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst *Coordinators(/person for 10 days)*	0.07	0	0	0	0	39	27.3	39	27.3	39	27.3	117	81.9
Q1 8	Trg. Of NPRC coordinators*(/person for 10 days)*	0 07	0	0	0	0	132	92.4	132	92.4	132	92.4	396	277.2
Q1.9	Trg. Of resource persons at *DIET(/person for 20 days)*	0.07	0	0	0	0	0	0	150	210	150	210	300	420
Q 10	ABSA/SDI Trg *(/person for 5 days)*	0 07	0	0	0	0	21	7.35	21	7.35	21	7.35	63	22.05
Q2	IED Provision for disable children	1.2	1293	517.2	1900	2280	3881	4657 2	4976	5971 2	4976	5971 2	17026	19396.8
Q2.1	IED-Medical Assessement	2 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 3	Funds for NGOs	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2 7	Training on IED to teachers(17.2 th /batch of 32 teachers	17 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	[illegible]	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.12	[illegible]													
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	[illegible]											
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	0	[illegible]						
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]			
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	200	100	6037	3018.5	6204	3102	6365	3182.5	18806	9403
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	792	396	1986	993	1356	678	1371	685.5	1371	665.5	6876	3438
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	7942	397.1	195857	9792.85	203799	10189.95	207875	10393.75	615473	30773.65
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	29212	4381.8	104160	15624	34175	5126.25	34859	5226.85	35558	5333.7	237964	35694.6
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1837	275.55	1912	286.8	1912	286.8	5661	849.15
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1532	22980	1532	22980	1532	22980	4596	68940
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	249	1867.5	249	1867.5	249	1867.5	747	5602.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	QUALITY Sub Total		0	**8481.5**	0	**20589.35**	0	**67402.18**	0	**62818.65**	0	**62096**		**209384.65**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	1	26	1	26	1	26	3	78
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	1	48	1	48	1	48	3	144
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	13	1872	13	1872	13	1872	39	5616
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	13	858	13	858	13	858	39	2574
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	13	468	13	468	13	468	39	1404
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	13	78	13	78	13	78	13	78	52	312
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	13	26	13	26	13	26	39	78
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	13	130	13	130	13	130	39	390
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	13	65	13	65	13	65	13	65	52	260
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	13	65	13	65	13	65	39	195
C2.11	Contigency	12.5	0	0	13	162.5	13	162.5	13	162.5	13	162.5	52	650
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	13	46.8	13	46.8	13	46.8	39	140.4
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	13	65	13	65	13	65	39	195
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		12	0	0	0	0	132	19008	132	19008	132			
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	132	132	0	0	132	132	132	132	396	396
C3.4	Contingency	2.5	0	0	132	330	132	330	132	330	132	330	528	1320
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	132	316.8	132	316.8	132	316.8	132	316.8	528	1267.2
C4	District Project Office/Management		0	888	1	2240	0	0	0	0	0	0	1	3128
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	6	1080	6	1080	6	1080	18	3240
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	21	378	21	378	21	378	63	1134
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	13	1560	13	1560	13	1560	39	4680
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	1532	2144.8	1532	2144.8	1532	2144.8	4596	6434.4
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	208	291.2	194	271.6	249	348.6	249	348.6	249	348.6	1149	1608.6
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
	Total		0	**1179.2**	0	**3839.9**	0	**30211.5**	0	**30343.5**	0	**30343.5**		**95673.6**
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	244	0	0	0	0	0	0	1	244
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	**1179.2**	0	**3839.9**	0	**30665.5**	0	**30817.5**	0	**30817.5**	0	**97339.6**
	GRAND TOTAL		0	**34349.7**	0	**113831.85**	0	**251366.25**	0	**290455.97**	0	**276879.60**	0	**966885.37**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention — **Pathepur**

	2002-03	**2003-04**	**20004-05**	**2005-06**	**2006-07**	**Total**
Civil	11433.0	34109.0	40534.0	42144.0	36960.0	165180.0
Management	291.2	271.6	6475.4	6475.4	6475.4	20233.0
Programma	22625.5	79451.3	204358.9	241836.6	233444.2	781472.4
Total	**34349.7**	**113831.9**	**251368.3**	**290456.0**	**276879.6**	**966885.4**
Percentage - Civil	**33.3**	**30.0**	**16.1**	**14.5**	**13.3**	**17.1**
Percentage - Management	**0.8**	**0.2**	**2.6**	**2.2**	**2.3**	**2.1**
Percentage - Programme	**65.9**	**69.8**	**81.3**	**83.3**	**84.3**	**80.8**
Percentage - Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**